षोडश माला, खंड 4, अंक 23

शुक्रवार, 8 अगस्त, 2014
17 श्रावण, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 23 में अंक 21 से 27 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

08.08.2014

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

कीर्ति यादव
संयुक्त निदेशक

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) **आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

08.08.2014

विषय-सूची

षोडश माला, खण्ड 4, दूसरा सत्र, 2014 / 1936 (शक)
अंक 23, शुक्रवार, 8 अगस्त, 2014 / 17 श्रावण, 1936 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
*भारत छोड़ो आंदोलन की 72वीं वर्षगांठ	12
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 441 से 445	13-38
प्रश्नों के लिखित उत्तर	39
तारांकित प्रश्न संख्या 446 से 460	
अतारांकित प्रश्न संख्या 4279 से 4508	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित चिह्न **+** इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

08.08.2014

सभा पटल पर रखे गए पत्र 40-55

राज्य सभा से संदेश 56-58

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 59-63

(i) आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 75वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री अरुण जेटली 59

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चार विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 67वें से 70वें तथा 75वें से 78वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डॉ. हर्षवर्धन 63

रक्षा संविदाओं के बारे में दिनांक 10.02.2014 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2946 के उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण

श्री अरुण जेटली 61-62

08.08.2014

खसरे के मामले के बारे में दिनांक 25.07.2014 के तारांकित प्रश्न संख्या 269 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

डॉ. हर्षवर्धन 64-71

सभा का कार्य 72-77

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण 78-93

देश में गन्ने तथा अन्य कृषि उपजों के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र को सही किए जाने की आवश्यकता

डॉ. सत्यपाल सिंह 78, 80-86

श्रीमती कृष्णा राज 86

श्री रामविलास पासवान 78-80
89-93

नियम 193 के अधीन चर्चा 99-133

देश में महिलाओं और बच्चों पर बढ़ते अत्याचारों को रोकने के लिए कड़े विधान की आवश्यकता

डॉ. रत्ना डे (नाग) 99-102

श्रीमती पूनम महाजन 103-106

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा 106-108

श्रीमती अंजू बाला 108-111

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर 111-114

श्री कौशलेन्द्र कुमार 114-116

श्री दुष्यंत चौटाला 116-119

साध्वी सावित्री बाई फुले 119-122

श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर 122-125

श्री बदरुद्दीन अजमल 125-127

श्री असादुद्दीन ओवैसी 127-130

श्री भगवंत मान 130-132

श्रीमती पूनमबेन माडम 132-133

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुर:स्थापित 134-160

(एक) कृषक (कृषि उपज के लिए न्यूनतम सुनिश्चित मूल्य का अधिकार) विधेयक, 2014

श्री देवजी एम. पटेल 134

(दो) नारियल उत्पादक (कल्याण) विधेयक, 2014

श्री एम. के. राघवन 135

(तीन) वन्य जीव जंतुओं के आक्रमण के शिकार व्यक्तियों को प्रतिकर का संदाय विधेयक, 2014

श्री एम. के. राघवन 136

(चार) केरल उच्च न्यायालय (कोझिकोड में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2014

श्री एम. के. राघवन 137

(पांच) प्राकृतिक आपदाओं और सर्पदंश पीड़ितों को प्रतिकर का संदाय विधेयक, 2014

श्री एम. के. राघवन 138

(छह) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2014
डॉ. किरिट पी. सोलंकी 139

(सात) सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2014
डॉ. किरिट पी. सोलंकी 140

(आठ) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (नए अनुच्छेद 16क आदि का अंत:स्थापन)
डॉ. किरिट पी. सोलंकी 141

(नौ) एसिड (नियंत्रण) विधेयक, 2014
डॉ. किरिट पी. सोलंकी 142

(दस) सरकारी सेवाएं (अनुकंपा नियुक्तियों का विनियमन) विधेयक, 2014
श्री ए.टी. नाना पाटिल 143

(ग्यारह) राष्ट्रीय आस्तियाँ (संरक्षण) विधेयक, 2014
श्री ए.टी. नाना पाटिल 144

(बारह) कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2014
श्री ए.टी. नाना पाटिल 145

(तेरह) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2014 (धारा 20क का संशोधन)
श्री ए.टी. नाना पाटिल 146

(चौदह) राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता (जल निकायों का संरक्षण) विधेयक, 2014
श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन 147

(पंद्रह) श्रम बल (मांग और आपूर्ति सर्वेक्षण) विधेयक, 2014
श्री राजीव प्रताप रूडी 148

08.08.2014

(सोलह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)

श्री राजीव प्रताप रूडी 149

(सत्रह) विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014

श्री राजीव प्रताप रूडी 150

(अठारह) गायों के प्रति क्रूरता का निवारण विधेयक, 2014

श्री सुनील कुमार सिंह 151

(उन्नीस) राष्ट्रीय युवा आयोग विधेयक, 2014

श्री सुनील कुमार सिंह 152

(बीस) केंद्रीय विश्वविद्यालय (अध्यापनेतर स्टाफ की सेवा की शर्तें) विधेयक, 2014

श्री जगदम्बिका पाल 153

(इक्कीस) पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक, 2014

श्री जगदम्बिका पाल 154

(बाईस) परीक्षा- पूर्व कोचिंग सेंटर विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2014

श्री जगदम्बिका पाल 155

(तेईस) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014(अनुसूची का संशोधन)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव 156

(चौबीस) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 (अनुसूची का संशोधन)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव 157

(पच्चीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (अनुच्छेद 243क का संशोधन)।

श्री शैलेश कुमार 158

(छब्बीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (अनुच्छेद 171 का संशोधन)

श्री शैलेश कुमार 159

08.08.2014

(सत्ताईस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 160
(अनुच्छेद 39 का संशोधन)
श्री पी. पी. चौधरी

(एक) राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन (गारंटी) विधेयक, 2014 161-201
विचार के लिए प्रस्ताव

श्री जगदम्बिका पाल 161-164

श्री राम कृपाल यादव 165-170

श्री वीरेंद्र कश्यप 170-172

श्री पी.पी. चौधरी 173-175

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय 175-177

श्रीमती रमा देवी 177-179

श्री अनुराग सिंह ठाकुर 180-183

श्री जय प्रकाश नारायण यादव 183-186

डॉ. ममताज संघमिता 186-187

श्री हंसराज गंगाराम अहीर 188-189

श्री शंकर प्रसाद दत्ता 189-191

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर 191-197

श्री निशिकांत दुबे 197-201

विधेयक वापस लिया गया 201

(दो) केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद विधेयक , 2014 201-204

विचार के लिए प्रस्ताव 202-204

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक 202-204

08.08.2014

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. एम. तम्बिदुरई

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

प्रो. के.वी. थॉमस

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

महासचिव

श्री पी. के. ग्रोवर

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 8 अगस्त, 2014 / 17 श्रावण, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष *पीठासीन* हुईं]

08.08.2014

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

भारत छोड़ो आंदोलन की 72वीं वर्षगांठ

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कल 9 अगस्त है, हमारी छुट्टी है, इसलिए आज ही मैं पढ़ रही हूं। 72 वर्ष पूर्व इसी दिन 9 अगस्त, 1942 को महात्मा गांधी ने 'भारत छोड़ो आंदोलन' का आह्वान किया था, जिसने पूरे देश में ब्रिटिश राज की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए एकजुट होकर खड़े होने का जोश भर दिया था।

'भारत छोड़ो आंदोलन' हमारे स्वतंत्रता संग्राम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जिसने पूर्ण स्वराज्य के हमारे प्रयासों को एक निर्णायक बल प्रदान किया था।

इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्योछावर करने वाले तथा अपना पूरा जीवन होम करने वाले सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आदर्शों का स्मरण करते हुए भारत को शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने का अगर आज प्रण करते हैं तो ज्यादा उचित होगा।

अब सभा स्वतंत्रता संग्राम सेना के सभी सेनानियों की स्मृतियों में मौन खड़ी रहेगी।

<u>पूर्वाह्न 11.02 बजे</u>

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

08.08.2014
पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर[1]

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न सं.441, डॉ. भोला सिंह बोलेंगे।

(प्रश्न **संख्या 441)**

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह : महोदया, मैं आसन के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने वित्तीय बजट में और अपने उद्बोधन में एक मिशन की स्थापना का उल्लेख किया है।

मैं जानना चाहता हूं कि बैंकों के द्वारा जो ऋण दिए जा रहे हैं, जो आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं और उस आवेदन पत्र की जो स्वीकृति होती है, उसमें बहुत अंतर है। जो जवाब दिया गया है, उसमें आप देखेंगी कि इलाहाबाद बैंक को 4,388 एप्लीकेशंस प्राप्त हुईं और उन्होंने लोन सैंक्शन किया 590 को। उसी तरह से आंध्रा बैंक को 4,041 एप्लीकेशंस प्राप्त हुईं और उन्होंने लोन 634 को किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा को 27,315 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं और लोन 1832 हैं। ये जो आवेदन पत्र हैं, ये अपेक्षाओं को लेकर आवेदन पत्र हैं। जिनकी जिंदगी में खुशबू लाने का आपने कदम उठाया है, लेकिन उसके चलते जो बैंक का एटीट्यूंड है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह गैप न रहे और अपेक्षाओं पर तुषारापात न हो।

---

[1] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

08.08.2014

क्या केंद्र सरकार ने और माननीय मंत्री जी ने बैंको को आसान किश्तों में ऋण देने के लिए कोई दिशा निर्देश दिया है?

श्री अरुण जेटली : माननीय अध्यक्ष जी, जिस एनैक्सचर का उत्तर के साथ ज़िक्र हो रहा है, वह जो दोनों आँकड़े माननीय सदस्य ने रखे हैं, उनका संदर्भ अलग-अलग है। जैसे इलाहाबाद बैंक में 4388 जो लिखा है, वह नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड हैं कि इतनी दर्ख्वास्त आईं, और 590 करोड़ है कि रुपयों में कितना ऋण दिया गया। तो 590 का जो संबंध है, वह रुपयों के साथ है। किसी ने पाँच लाख मांगा होगा, किसी ने दस लाख मांगा होगा। इसलिए अगर उसको मल्टीप्लाई कर लें तो एप्लीकेशंस की संख्या काफी बढ़ जाएगी। विभिन्न स्तरों पर शैड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, नेशनल हाउसिंग बैंक जो रीफाइनैंस करता है, जो फाइनैंसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके माध्यम से घर निर्माण के लिए, हाउसिंग के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऋण देने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी जो गाइडलाइंस हैं, इसकी जो ब्याज दर है, वह आर.बी.आई. जो ब्याज दर तय करता है, उसके बाद बैंक्स स्वतंत्र होते हैं अपनी ब्याज दर तय करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर भी ब्याज में इंसैंटिव मिल जाए जिसको सबवैंशन कहते हैं, सरकार उसके लिए विभिन्न माध्यमों से और ग्रांट तथा पैसे की व्यवस्था करवाती है।

डॉ. भोला सिंह : मैं आसन के माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि सस्ते मकान निर्माण के लिए जिस मिशन की घोषणा उन्होंने की है और उसका जो जवाब हमारे पास आया हुआ है, क्या सरकार ने सस्ते मकान संबंधी मिशन के बनवाने के अंतर्गत कार्य-योजना में राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किया है? यदि हाँ तो बिहार का आँकड़ा क्या है?

श्री अरुण जेटली : माननीय अध्यक्ष जी, आज सात करोड़ लोग, यानी सात करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके लिए गृह निर्माण पूरे देश का और सरकार का एक लक्ष्य है। ये देश के विभिन्न राज्यों में बँटे हुए हैं। बिहार की संख्या क्या है, अगर माननीय सदस्य मुझे लिखते हैं, तो मैं उनको जानकारी दे दूँगा । इनमें से 31 फीसदी लोग वे हैं जो शहरी हैं। बाकी देहात के लोग हैं और इसलिए दोनों स्तरों पर अलग-अलग स्तरों से लोगों को लोन के माध्यम से पैसा मिल जाए जिससे वे गृह निर्माण कर पाएँ, इसकी पर्याप्त योजना है।

08.08.2014

कुँवर हरिवंश सिंह : मैडम स्पीकर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गरीबों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने हेतु रीयल एस्टेट डैवलपर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। [हिन्दी] महोदया, वर्तमान समय में रीयल एस्टेट मंदी के दौर से गुज़र रहा है। ऐसे समय में क्या सरकार रीयल एस्टेट डैवलपर्स को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने, इस सैक्टर को इनफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने, करों में छूट इत्यादि देने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा दिया है, और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

श्री अरुण जेटली : महोदया, कई प्रकार से रीयल एस्टेट का सैक्टर आगे प्रगति करे, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस बार बजट के अंदर जो लोग अपना ऋण वापस करते हैं, जिनको डेढ़ लाख रुपये तक ऋण वापस करना है, उसके ब्याज के ऊपर टैक्स की छूट थी, उसको बढ़ाकर हमने दो लाख रुपये किया है ताकि लोगों में उत्साह और इंसैंटिव पैदा हो कि गृह निर्माण के लिए वे अपना पैसा खर्चें। जहाँ तक पैसा उपलब्ध करवाना रीयल एस्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए है या डैवलपर्स के लिए है, जो बैंक्स या फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशंस अपनी दर तय करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि कीमतें काफी बढ़ रही थीं, मुद्रा स्फीति काफी बढ़ रही थी, इसलिए रिज़र्व बैंक जो इसका संचालन करता है, उन्होंने एक ब्याज दर तय की हुई थी, जिसके आधार पर असर पड़ता है जो बैंक्स और फाइनैंशियल इंस्टीट्यूंशंस ऋण देने की अपनी ब्याज दर तय करते हैं। लेकिन अगर वह नियंत्रण में आती है जिसके आसार आजकल कुछ दिखते हैं, तो स्वाभाविक है कि आने वाले दिनों में वह कम भी हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री जयदेव गल्ला: महोदया, आंध्र प्रदेश में झुग्गी-झोपड़ियों की आबादी 2001 में 70 लाख से बढ़कर 2013 में 85 लाख से अधिक हो गई है। योजना आयोग के तकनीकी समूह ने 12 वीं योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में 1.27 मिलियन की कमी का अनुमान लगाया है। उनकी जीवन स्थितियों में सुधार लाने के लिए, उन्हें आश्रय या कम मूल्य पर मकान उपलब्ध कराना समय की मांग है। मैं इस संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक के अच्छे प्रयासों की सराहना करता हूं। वर्ष 2013-14 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने शहरी आवास निधि का प्रस्ताव रखा था और 2000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए थे। एन.एच.बी. ने शहरी आवास क्षेत्र में निधियों के वित्तपोषण और

चैनलाइजेशन के लिए एक पूर्ण वित्त योजना तैयार की है। मेरा प्रश्न मुख्य प्रश्न के भाग 'क' से संबंधित है। यहां एन.एच.बी. यह शर्त रख रहा है कि व्यक्ति की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आवास इकाई की लागत 16 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी शहर में किसी को 16 लाख रुपए में मकान नहीं मिल सकता। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हम वार्षिक आय सीमा को 10 लाख रुपये तथा आवासीय इकाई की सीमा को 25 लाख रुपये तक क्यों नहीं बढ़ा सकते?

श्री अरुण जेटली: महोदया, ये अलग-अलग योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत अलग-अलग लोगों को धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। जहां तक राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रश्न है, यह विभिन्न वित्त निगमों और वित्त कंपनियों को पुनर्वित्त प्रदान करता है, जिनकी दो अलग-अलग प्रकार की योजनाएं होती हैं। एक योजना कम लागत वाले आवास के लिए है जिसके लिए अधिकतम ऋण राशि 10 लाख रुपये है। इसलिए, आवास एक निश्चित सीमा तक ही किया जाता है। एक दूसरी श्रेणी है जिसमें आवास इकाई का आकार भी उल्लेखित है तथा आवास इकाई की लागत 16 लाख रुपये होनी चाहिए। अब, ये योजनाएं केवल इन दो श्रेणियों को कवर करती हैं जो वित्तीय रूप से सस्ते आवास को कवर करते हैं। अब, स्पष्ट रूप से है कि हुडको से, निर्धारित वाणिज्यिक बैंकों से, यदि कोई इस राशि से अधिक खर्च करने जा रहा है तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए ऋण प्राप्त कर सकता है।

08.08.2014

श्री के. नारायणसामी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे वास्तव में खुशी है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री ने विस्तार से उन उपायों के बारे में बताया है जो सरकार शहरी गरीबों के लिए आवास के उद्देश्य से ऋण जारी करने के लिए कर रही है, जो जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। इतना कहने के बाद, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या तेंदुलकर समिति के प्रतिवेदन या सक्सेना समिति के प्रतिवेदन या नवीनतम रंगराजन समिति के प्रतिवेदन के अनुसार गरीबों की परिभाषा को राष्ट्रीय आवास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण देने में शहरी गरीबों को शामिल करने के लिए लागू किया जा रहा है। इसके अलावा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, उन प्रतिवेदनों के अनुसार गरीबों की परिभाषा का उद्देश्य अलग है। लेकिन मैं इस संबंध में शहरी गरीबों को परिभाषित करने के मानदंड या मानक जानना चाहता हूं। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: केवल एक अनुपूरक प्रश्न की अनुमति है।

श्री अरुण जेटली: महोदया, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की परिभाषा या चर्चा उनके भोजन के अधिकार और विभिन्न अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित विषय-वस्तु से संबंधित है, जिनके वे हकदार हैं। अब प्रश्न शहरी आवास और शहरी आवास पर ऋण से संबंधित है। इसलिए, जहां तक इसका प्रश्न है, उन परिभाषाओं की कोई प्रयोज्यता नहीं है। यह एक पूर्णतया भिन्न श्रेणी से संबंधित है जो संभवतः आर्थिक रूप से उन श्रेणियों से कहीं अधिक मजबूत है, जिनके बारे में माननीय सदस्य सोच रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये वे मकान हैं जिनका वित्तपोषण एन.एच.बी. करता है, जहां ऋण सीमा 10 लाख रुपये और 16 लाख रुपये तक है। जिन लोगों के नाम तेंदुलकर समिति के प्रतिवेदन या अन्य प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं, उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए संभवतः काफी प्रयास करने होंगे।

[हिन्दी]

श्री सुधीर गुप्ता : अध्यक्ष जी, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि राष्ट्रीय आवास बैंक क्या ग्रामीण अल्प आय सम्बन्धी किसी योजना पर काम कर रहा है या भविष्य में कोई ऐसी योजना पर विचार कर रहा है? दूसरा, ब्याज की न्यूनतम आधार दर का निर्धारण क्या है एवं समय-समय पर घोषित ब्याज सहायता की योजनाएं क्या हैं?

08.08.2014

श्री अरूण जेटली : जो रूरल हाउसिंग फण्ड है, वह ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों के पास आवास नहीं है उनके साथ संबंध रखता है। शहरी क्षेत्रों में अलग योजनाएं हैं, देहात के क्षेत्रों में अलग योजनाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की जो योजनाएं हैं, उसका इस से अलग से संबंध है।

दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऋण दिया जाता है, जो रि-फाइनैंस के लिए पैसा दिया जाता है, उसके अपर लिमिट की 2 फीसदी की एक कैप है, उस से अधिक वह नहीं दिया जा सकता है।

08.08.2014

(प्रश्न संख्या 442)

[अनुवाद]

श्री एस.पी. मुदाहनुमेगौड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने यह प्रश्न गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की दुर्दशा को देखते हुए पूछा था, जो कैंसर, किडनी की समस्या, हृदय की समस्या, डेंगू बुखार आदि जैसी घातक बीमारियों से पीड़ित हैं। दूरदराज के गांवों में रहने वाले गरीब मरीजों को ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर जिला अस्पताल पहुंचना पड़ता है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बावजूद, हमारे जिला अस्पताल ऐसे रोगियों के इलाज के लिए पूरी तरह सुसज्जित नहीं हैं। ये गरीब मरीज निजी अस्पतालों में जाने में असमर्थ हैं। वे अस्पताल का न्यूनतम खर्च भी वहन करने में सक्षम नहीं हैं। महोदया, कड़वी सच्चाई यह है कि ये गरीब मरीज लंबी दूरी तय करने और न्यूनतम खर्च वहन करने के लिए संघर्ष करने की बजाय मौत को प्राथमिकता देते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस सरकार ने जिला अस्पतालों को मजबूत करने तथा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को विकेन्द्रीकृत करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की है। इस प्रकार की बीमारियों से पीड़ित मरीज राजधानी शहरों में स्थित अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। लेकिन छोटे और दूरदराज के गांवों के मरीज इतनी दूर तक यात्रा भी नहीं कर सकते। यहां तक कि जिला अस्पताल तक पहुंचने के लिए भी उन्हें 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे जिला अस्पतालों को मजबूत करने के लिए कुछ पहल करें। मैं वास्तव में उनसे अनुरोध करूंगा कि वे तालुक अस्पतालों को भी मजबूत करें, लेकिन कम से कम उन्हें गरीब मरीजों को मृत्यु से बचाने के लिए कुछ न्यूनतम उपचार सुविधाएं प्रदान करके स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाना चाहिए।

डॉ. हर्षवर्धन: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य की चिंता की सराहना करता हूं। उनकी जानकारी के लिए बता दें कि स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। उप-केन्द्र से शुरू करके, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और जिला अस्पताल, समाज की

08.08.2014

आवश्यकताओं और जनसंख्या के अनुसार प्रदान किए जाने वाले विभिन्न स्तर हैं। हाल के वर्षों में हमने उन दुर्गम क्षेत्रों के लिए मानदंडों में ढील दी है जहां गरीब लोगों को काफी यात्रा करनी पड़ती है। अब यह आधे घंटे की दूरी के भीतर रहना होगा, और इसमें भी मानदंडों में और ढील दी गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसका एक घटक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, के अंतर्गत जिला अस्पतालों को विभिन्न सुविधाओं के लिए सुदृढ़ करने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत, हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर क्या आवश्यक है और क्या वांछनीय है, इसके विशिष्ट मानदंड निर्धारित किए हैं। राज्य सरकारों के लिए भी हमने प्रावधान किया है जिसके तहत जो सेवाएं अनिवार्य रूप से होनी चाहिए तथा जो उस स्तर तक वांछनीय हैं। वे इसे हमेशा उन्नत कर सकते हैं और अपनी स्वयं की योजना बना सकते हैं। कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना नामक एक तंत्र है जिसके तहत संबंधित राज्य सरकारें अपनी विस्तृत योजनाएं प्रस्तुत करती हैं।

हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्य सरकारों को उप-केन्द्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक विभिन्न स्तरों पर उनकी विभिन्न सुविधाओं के उन्नयन में सहायता करते हैं।

मैं जिला अस्पतालों में दी जा रही विभिन्न सेवाओं के बारे में विस्तार से नहीं बता रहा हूं। इसके अलावा, गरीब लोगों की दवाएं, नैदानिक सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के बुनियादी निवारक और प्रोत्साहक पहलुओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हम एक राष्ट्रीय आश्वासन मिशन लेकर आ रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा का एक घटक होगा। वित्त मंत्री के भाषण में भी इसका उल्लेख था। आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। इसमें हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति तक इन स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच हो, साथ ही 50 आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध हों, जो 95 प्रतिशत बीमारियों का इलाज करेंगी, साथ ही उन्हें बुनियादी जांचें भी उपलब्ध हों, तथा निवारक, प्रोत्साहनकारी और सकारात्मक स्वास्थ्य पैकेज तक उनकी पहुंच हो।

इसके अलावा, मेरा सभी सांसदों से एक अनुरोध है। जिला एवं अस्पताल स्तर पर दो समितियां हैं। एक है *रोगी कल्याण समिति,* जिसमें सांसद हर जिला अस्पताल की *रोगी कल्याण समिति* का अध्यक्ष होता है। … (*व्यवधान*) मुझे पूरा करने दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे पूरा करने दीजिए। मेरी बात पूरी होने के बाद यदि आप संतुष्ट न हों तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न उठाने पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं लेकिन आपके पास पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। … (*व्यवधान*) मैं कह रहा हूँ कि आपको और अधिक सतर्क रहना होगा। यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आप सभी को यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि दो समितियां हैं जिनके आप अध्यक्ष हैं। … (*व्यवधान*) कृपया मेरी बात सुनें। मेरे प्यारे मित्रों, कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

ये समितियां दो स्तरों पर हैं - एक जिला स्तर पर और दूसरी जिला अस्पताल स्तर पर। *रोगी कल्याण समिति* है और जिला स्तर पर एक जिला-स्तरीय समिति है। … (*व्यवधान*) आप कृपया मुझे पूरा करने दें। … (*व्यवधान*) यदि आप इन समितियों में भाग नहीं ले रहे हैं तो अपने जिला मजिस्ट्रेट से पूछें। कृपया जिला चिकित्सालय जाकर संपर्क करें, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। ... (*व्यवधान*) चूंकि नई संसद का गठन हो चुका है, इसलिए हमने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इन समितियों का गठन तुरंत किया जाए। वे तंत्र का हिस्सा हैं। अतः जिला स्तर पर भी सांसद समिति के अध्यक्ष होते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने-अपने जिलों में जाकर यह सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जा रहा है। आप उन्हें निर्देशित कर सकते हैं। आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं।

ये आधिकारिक समितियां हैं। हमने राज्य सरकारों को भी यह सुनिश्चित करने के लिए लिखा है कि ये समितियां संस्थागत तंत्र का हिस्सा हों। तो ऐसा नहीं है कि मैं यह बात सिर्फ यहीं नहीं कह रहा हूं। कृपया आप इन समितियों में शामिल हों। आप अध्यक्ष हैं। आपको निर्णय लेना है। इसमें वे सभी सदस्य हैं जो उस स्थिति में प्रासंगिक हैं।

श्री एस. पी. मुदाहनुमेगौड़ा : मेरा जोर गरीब मरीजों को ध्यान में रखते हुए, अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान करके जिला अस्पतालों को मजबूत बनाने पर था।

दूसरा, कर्नाटक में तुमकुर मेरे संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय है। उस जिले से चार राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तुमकुर का जिला अस्पताल गरीब मरीजों से खचाखच भरा हुआ है। माननीय वित्त मंत्री ने तुमकुर में एक छोटे औद्योगिक शहर की घोषणा और प्रस्ताव करने की कृपा की। नि:संदेह, कर्नाटक सरकार हम सभी को अच्छी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए सभी कदम उठा रही है। इसके बावजूद, उदाहरण के लिए, जिला अस्पतालों में डेंगू बुखार के निदान के लिए कुछ भी नहीं है। वे नमूने बेंगलुरु शहर भेज रहे हैं। कैंसर के लिए कोई कीमोथेरेपी उपचार उपलब्ध नहीं है। किडनी रोगियों के इलाज के लिए पर्याप्त डायलिसिस मशीनें उपलब्ध नहीं हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तुमकुर को औद्योगिक लघु शहर के रूप में घोषित किया जा रहा है और उस शहर के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, तुमकुर के जिला अस्पताल को मजबूत करने के लिए क्या कोई वित्तीय सहायता या कोई विशेष पैकेज दिया जाएगा।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप तुमकुर का ध्यान रखिए।

[अनुवाद]

डॉ. हर्ष वर्धन: आपके मूल प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा है कि प्रत्येक राज्य सरकार, कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना, जिसे पी.आई.पी. के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से केन्द्र सरकार से सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के विशिष्ट उन्नयन की मांग कर सकती है, जिसमें निश्चित रूप से जिला अस्पताल और आपका जिला अस्पताल भी शामिल है। चूंकि संसद सदस्य जिलों के अध्यक्ष होते हैं, इसलिए वे संबंधित राज्य सरकारों को सुझाव दे सकते हैं कि ऐसी सुविधाओं को उन्नत किया जाना चाहिए और यदि उन्हें संबंधित योजना में शामिल किया जाता है, तो केंद्र सरकार उन सुविधाओं को उन्नत करने में उनकी मदद करेगी।

08.08.2014
[हिन्दी]

श्री नाना पटोले : महोदया, मंत्री महोदय ने सविस्तार उत्तर यहाँ पर दिया है। [हिन्दी] उन्होंने निश्चित रूप से केन्द्र सरकार की पॉलिसी के बारे में बताया है। मैं महाराष्ट्र राज्य से यहाँ पर आता हूं। उन्होंने पीएचसी, ग्रामीण रूग्णालय और जिला रूग्णालय के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। वास्तव में आज भी वहाँ पर टेक्नीशियन नहीं है। जिला रूग्णालय में मशीन्स हैं, लेकिन वहाँ टेक्नीशियन नहीं है, डॉक्टर्स नही हैं।

महोदया, उसके पीछे का रीजन भी हमने पता किया है। एजुकेशन पर करोड़ों रूपए खर्च करके डॉक्टर बनते हैं, एम.डी. बनते हैं, लेकिन वे न तो जिला रूग्णालय में काम करते हैं, न पीएचसी में काम करते हैं और न ही गाँव में काम करते हैं। जो भी हम डॉक्टर्स निर्माण करते हैं, वे वहां काम नहीं करते हैं। [अनुवाद] आज सभी हॉस्पीटल्स खाली पड़े हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या हम लोग मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करना चाहेंगे? जो मशीन्स वहाँ पर पड़ी हैं, वहां टेक्नीशियंस नहीं हैं। केन्द्र सरकार का राज्य सरकार की तरफ जो बार-बार इशारा होता है, उससे आम आदमी को इलाज नहीं मिलता है, यह वास्तविकता है। [अनुवाद] इसमें सुधार करने के लिए सरकार की क्या भूमिका है?

डॉ. हर्ष वर्धन : महोदया, मैं दो-तीन बातें माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा। एक तो उन्होंने मेडिकल मैन पॉवर की शॉर्टेज की बात की है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मेडिकल मैन पॉवर की देश में शॉर्टेज है, लेकिन इसको फर्दर स्ट्रेंग्थन करने के लिए कई सारी एक्टिविटीज सरकार के द्वारा प्लान की गयी हैं, जिनका सरकार विभिन्न फेजेज में इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेजेज में हम परिवर्तित कर सकते हैं। 200 बेड्स के डिस्ट्रिव्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ मान लीजिए ऑलरेडी कोई सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, उनको एक बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेजेज में परिवर्तित करने की योजना है, जिसके तहत मेडिकल मैन पॉवर और फर्दर प्रोडक्शन की दृष्टि से इंप्रूव हो।

08.08.2014

एक योजना ऐसी है, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स को, मेडिकल कॉलेजेज को फर्दर हम लोग सुपर स्पेशिलिटी हास्पिटल्स में परिवर्तित करने वे लिए काम कर रहे हैं, जिसमें अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स मैन पॉवर को हम फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। इसके साथ-साथ देश भर के अंदर हमने कई योजनाएं बनायी हैं, जिसमें एक तीन साल के कोर्स के तहत कम्युनिटी सर्विस के अंदर बीएससी होती है। जो कि लगभग तीन साल में नॉलेज से इक्विप हो जाते हैं ताकि वे वहां पर उनका मिनिमम रिप्लेसमेंट कर सकें। नेशनल हेल्थ मिशन में हम इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं। हमने प्लान के अंदर स्टेट गवर्नमेन्ट्स को सुविधा दी है कि अगर मैन पावर को साधारण तरीकों से सुविधा उपलब्ध नहीं दे पा रहे हैं, किसी स्पेशियलिस्ट को किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, अगर उनको एक्सट्रा पेमेंट भी करना है, उनको एक्सट्रा वेतन भी देना है, जहां पर दूसरे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्थ मिशन के माध्यम से हम लोग सपोर्ट करते हैं।

देश भर में एम्स बनाने की योजना है उसमें भी नए सिरे से मेडिकल मैन पावर का प्रोडक्शन और टर्शिएरी केयर जो हेल्थ सर्विसेज हैं, उन्हें हम सब प्रान्तों में उपलब्ध करा पाएं, इसके लिए व्यापक योजना के तहत मेडिकल मैन पावर, लेकिन बेसिकली यह सारा कुछ, सेन्ट्रल गवर्नमेंट सिर्फ सपोर्ट करती है, फाइनैंशियली सपोर्ट करती है, गाइड करती है, नॉर्म्स बनाती है लेकिन इनको इम्प्लिमेंट करने की जो सारी जिम्मेदारी है, अगर स्टेट गवर्नमेन्ट्स जहां-जहां इनको परस्यू करेंगी, हम उनको पूरी तरह से सहायता देने के लिए कटिबद्ध हैं।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: महोदया, स्वास्थ्य राज्य का विषय है और इसलिए स्वाभाविक रूप से भारत सरकार के पास सहायता देने के लिए पर्याप्त गुंजाइश नहीं है। मंत्री महोदय ने कुछ मामलों का उल्लेख किया है; जैसे विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयां, मातृ एवं शिशु देखभाल इकाइयां, प्रसव कक्ष, ऑपरेशन थियेटर, नैदानिक प्रयोगशालाएं और अन्य बुनियादी ढांचे, जहां केन्द्र सरकार सहायता प्रदान कर सकती है। माननीय मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार जिला अस्पतालों को 10 लाख रूपये उपलब्ध कराती है। मुझे आश्चर्य है कि एक जिला अस्पताल के लिए 10 लाख रुपए कैसे पर्याप्त और राज्य सरकार के लिए बहुत मददगार हो सकते

हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन जिला अस्पतालों को पूरे देश में तृतीयक या सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्तर तक उन्नत किया जा सकता है। आपने पहले ही देश के 10 उच्च फोकस वाले राज्यों को वर्गीकृत कर दिया है। आपने 10 स्टेट्स वो फोकस स्टेट कैटेगरी-वन पर प्रिंट किया, यह आपने बताया। तथा, 11 गैर-उच्च फोकस राज्य हैं। मैं इस वर्गीकरण के पीछे के मानदंड जानना चाहूंगा। किन राज्यों को उच्च फोकस वाले राज्य माना गया है और किन राज्यों को गैर-उच्च फोकस वाले राज्य माना गया है?

डॉ. हर्ष वर्धन: प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में मैं स्पष्ट कर दूं कि इन सभी सुविधाओं के उन्नयन के लिए, जैसा कि आपने नवजात शिशु देखभाल इकाइयों, प्रसव कक्षों या प्रयोगशालाओं आदि के बारे में उल्लेख किया है, राज्य सरकार को यह उल्लेख करना होगा कि किसका उन्नयन किए जाने की आवश्यकता है। यदि मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र के लिए 100 बिस्तरों वाले नए भवन का निर्माण किया जा रहा है तो इसका उल्लेख कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में करना होगा। *रोगी कल्याण समिति* के अंतर्गत आने वाली सभी नियमित गतिविधियों के अतिरिक्त 10 लाख रुपये दिए जाते हैं। यह उन छोटी-छोटी बातों के लिए दिया गया है जिनका उल्लेख आपको पी.आई.पी. में करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, यदि आप अपने जिला अस्पताल की *रोगी कल्याण समिति* में जाकर रुचि लेंगे, तो आप बेहतर तरीके से योजना बना सकते हैं और हमें बेहतर फीडबैक दे सकते हैं। यह संभव है।

दूसरे, आपने जिला अस्पतालों के उन्नयन के बारे में बताया है। हम पहले से ही इन जिला अस्पतालों को उन्नत करने की प्रक्रिया में हैं। जहां भी हमारे पास 200 बिस्तरों वाला जिला अस्पताल है और 5-10 किलोमीटर के भीतर पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, वहां एक योजना पहले से ही काम कर रही है, यानी जहां हमारे पास मेडिकल कॉलेज या सुपर स्पेशियलिटी तृतीयक देखभाल सुविधा उपलब्ध नहीं है, हम उन्हें बड़े मेडिकल कॉलेजों और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में हैं। यह पहले से ही प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का हिस्सा है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है।

08.08.2014
[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदया, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि नेशनल हैल्थ मिशन योजना के तहत जिला अस्पतालों में बेहतर फैसीलिटी मुहैया हो, क्या इसके लिए सरकार नए सिरे से कोई ठोस उपाय करने पर विचार रखती है? दवा, बैड, ऑक्सीजन और ब्लड बैंक नहीं होने के कारण मरीजों की असमय मौत हो जाती है। [अनुवाद] हम खासकर बिहार के बांका में स्वयं देखते रहते हैं। क्या सरकार नए सिरे से कोई ठोस उपाय करने वे बारे में विचार करना चाहती है? माननीय मंत्री जी ने जिन बातों की चर्चा की, आपने रोगी और सेवा के लिए जो कमेटी बनाई है, हम उसके चेयरमैन हैं, इसके लिए चिट्ठी दिलवा दीजिए। हम उसमें मेहनत करेंगे।

डॉ. हर्ष वर्धन : आपने अभी पत्र की जो बात की, आपको मेरा पत्र भी मिल जाएगा। [हिन्दी] आपने जो दूसरी बात कही, नेशनल हैल्थ मिशन के अंदर हम एक-एक चीज को बहुत डिटेल में रिव्यू कर रहे हैं। हमने देशभर में 184 डिस्ट्रिक्ट्स को मार्क आउट किया है जिनमें वास्तव में स्वास्थ्य फैसीलिटीज़, इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैनपावर की दृष्टि से या हैल्थ की डिलीवरी के लिए आवश्यक चीजों की कमी है, हम इन पर एक्सट्रा फोकस कर रहे हैं। हम वहां 30 प्रतिशत फंड्स भी ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल हैल्थ मिशन का जो इम्प्लीमैंटेशन प्रोसैस है, उसकी मौनीटरिंग में भी फर्दर प्रोफेशनल इनपुट्स डालकर स्ट्रैन्दैन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सबसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप सब अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अपने-अपने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में स्वयं विज़िट कीजिए। आप हमें फीडबैक दीजिए। आपके फीडबैक के आधार पर हम अपनी योजनाओं को इम्प्रूव करेंगे और आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करेंगे। इसके लिए हम आपको बहुत जल्दी औपचारिक पत्र भी देंगे। ऐसा नहीं है कि हमने यहां सिर्फ घोषणा की है। इंस्टीट्यूशनल मकैनिज़्म ऑलरेडी क्रिएटेड है।

श्री विनायक भाऊराव राऊत : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने जिला अस्पतालों के सुधार के लिए कई योजनाएं रखी हैं । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज सारे जिला रुग्णालय वैंटीलेटर पर हैं। मेरे क्षेत्र रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग में डाक्टर्स नहीं आना चाहते। सिंधुदुर्ग एकमात्र ऐसा जिला है जो टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हुआ है। चंद्रपुर

के लिए प्रावधान है कि वहां आने वाले डाक्टर्स को विशेष एलाउंसेज दिए जाते हैं। सिंधुदुर्ग टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से वहां से अस्पताल में डाक्टर्स आने के लिए राज्य सरकार छ: इंक्रिमेट ज्यादा देती है। क्या इसके साथ ही सरकार उन्हें स्पैशल एलाउंसेज देने की व्यवस्था भी करेगी?

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष महोदया, मैंने शायद पिछले प्रश्न में आपको यही बात कही है कि जो ऐसे डिफिकल्ट एरियाज हैं, जहां किसी भी कारण से मैडिकल मैनपावर उपलब्ध नहीं हो पा रही है, स्पैशलिस्ट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां नेशनल हैल्थ मिशन के तहत हमने राज्य सरकारों को एक्सट्रा तनख्वाह देने के लिए, वे तनख्वाह भी नेगोशिएट कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को सूचित कर सकते हैं। उसके लिए पर्याप्त प्रावधान है। आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल या प्राइमरी हैल्थ केयर में जो भी कमियां लगती हैं, प्लान के तहत उन्हें अपग्रेड करने के लिए केन्द्र सरकार को देना है। यहां से प्लान पास करके उन्हें पैसा दिया जाता है। यह सारा कार्य बेसिकली राज्य सरकार को करना है। हैल्थ स्टेट सब्जैक्ट है। हम केवल सहायता कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, नॉर्म्स बता सकते हैं और जहां जरूरत है नॉर्म्स को रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बेसिक एक्शन स्टेट गवर्नमैंट को लेना होगा। आप अपनी राज्य सरकार के साथ इस विषय को परस्यु कीजिए। अगर उसमें हमारी कोई स्पैसीफिक सहायता चाहिए तो वह ले सकते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस विषय पर बहुत चर्चा हो गई है। आप सबको जानकारी भी मिली है। आप अपने-अपने क्षेत्र में जा सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल देख सकते हैं। नहीं तो मुझसे आकर पूछिए।

... (व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 443)

माननीय अध्यक्ष : श्री विजय कुमार हाँसदाक - उपस्थित नहीं।

वैसे भी यह विषय डिसकस हो चुका है। इसलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं।

(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदया, क्या प्रश्न 443 नहीं लिया जायेगा?

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न स्मॉल इन्वेस्टर्स का है। इस पर पहले बहुत डिसकशन हो चुका है।

प्रश्न 444 - डा. शशि थरूर।

08.08.2014

(प्रश्न संख्या 444)

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर: माननीय अध्यक्ष महोदया, संसद का प्रासंगिक अधिनियम जो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 है, वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को लघु वन उपज का स्वामित्व, संग्रह, उपयोग और निपटान का अधिकार देता है, जिसे वे पारंपरिक रूप से एकत्र करते रहे हैं।

महोदया, उदाहरण के लिए, केरल जैसे राज्य में कुट्टनायकन जनजातीय समुदाय का मुख्य व्यवसाय हमेशा से शहद एकत्र करना रहा है और चोलनायकन को अपनी आजीविका के लिए जंगल की आवश्यकता होती है। वे वन का सामान एकत्र करते हैं और सहकारी समितियों के माध्यम से उन्हें बेचते हैं।

अब न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था लघु वनोपज संग्रहकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। वे अपने माल के लिए अच्छी कीमत प्राप्त कर सकेंगे और स्थानीय व्यापारियों के शोषण से खुद को बचा सकेंगे। लेकिन केरल को कोई एमएसपी नहीं मिलता, क्योंकि यह केवल उन्हीं राज्यों को दिया जाता है, जिनके क्षेत्र वास्तव में संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अब यह पूरी तरह से अतार्किक है क्योंकि पांचवीं अनुसूची प्रशासन के बारे में है, लोगों के बारे में नहीं है और यह वनवासियों के कल्याण के बारे में नहीं है।

अतः माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उपज के विपणन की व्यवस्था को उन राज्यों तक विस्तारित करने का विचार रखती है जो पांचवीं अनुसूची से बाहर हैं, लेकिन जहां केरल जैसे महत्वपूर्ण जनजातीय समुदाय वन उपज पर निर्भर हैं।

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम : अध्यक्ष महोदया, मान्यवर सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, उसे मैं जानता हूं। हमने फिफ्थ शैडयूल में पीसा स्टेट को ही इनक्लूड किया है। यह कैबिनेट का मेनडेट था। अभी हम विचार कर रहे हैं कि

08.08.2014

नॉन पीसा स्टेट्स में भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में एमएसपी इनक्लूड किया जाये या नहीं। यह मामला विचाराधीन है और इस पर हम विचार कर सकते हैं।

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर: मैं मंत्री जी को उनके रचनात्मक प्रत्युत्तर के लिए धन्यवाद देता हूं।

वर्तमान योजना, जो एमएसपी के माध्यम से विद्यमान लघु वन उपज के विपणन का प्रावधान करती है, में भंडारण सुविधा सृजित करने, हाटों के आधुनिकीकरण आदि के लिए कुछ प्रावधान हैं। लेकिन वर्तमान में वृक्षारोपण के लिए ली जाने वाली वन प्रजातियां आमतौर पर वाणिज्यिक प्रजातियों को प्राथमिकता देती हैं और अक्सर वास्तविक आदिवासी लघु वन उपज की उपेक्षा कर देती हैं, क्योंकि यूकेलिप्टस जैसी वाणिज्यिक प्रजातियों की तुलना में इन्हें उगने में अधिक समय लगता है।

अत:, क्या मंत्री और सरकार लघु वनोपज के पुनर्जनन के लिए कोई योजना शुरू करने के लिए कदम उठा सकते हैं, उदाहरण के लिए, विभिन्न वनरोपण कार्यक्रमों में इमली या औषधीय वृक्षों के रोपण के लिए, जो केरल में बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, ताकि इन जनजातीय लोगों और वनवासियों को आजीविका का एक अच्छा साधन मिल सके?

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम : महोदया, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की प्राइसिंग और मार्केटिंग का दायित्व हमारा है, जबकि प्लांटेशन का दायित्व दूसरी मिनिस्ट्री का है। माननीय सदस्य यदि संबंधित मंत्रालय से पूछेंगे, तो ठीक रहेगा।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य की बात आप संबंधित मंत्रालय तक पहुंचा दें।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वन बंधुओं के जीवन के उन्नयन के लिए इन्होंने एमएसपी निर्धारित किया है, तो क्या यह एमएसपी यथेष्ट है? यदि यथेष्ट नहीं है, तो इसे ठीक करने के लिए इनकी क्या योजना है? इसके साथ-साथ वन क्षेत्र, जहां वे निवास करते हैं, उसमें क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई योजना बना सकते हैं जिससे उन्होंने कुछ ऐसे स्थान चिन्हित

करके दिये जायें, जहां यह इस तरह के प्रोड्यूस, उत्पादों की खेती को और अधिक बढ़ा सकें और उसके लिए प्रयास करें?

श्री जुएल ओराम : महोदया, भारत सरकार ने दस आइटम्स जिनमें इमली, मधु, ठर्रा, गम कराया, करंज सीड, साल सीड, महुआ सीड, साल पत्ता, चिरौंजी आदि ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसमें आंवला भी होगा।

श्री जुएल ओराम : हां। इन दस आइटम्स पर हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइज घोषित किया है। इसमें मार्केट का जो रेट है और हम लोगों ने जो सपोर्ट प्राइस घोषित किया है, यदि उससे कम में बिक्री होती है, तो हम इंटरवेंशन करते हैं। हमने बेटर प्राइस के लिए एमएसपी सिस्टम लागू किया है। इसमें आगे और बेटर क्या स्थिति होगी, यह मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, उसे देखकर हम रेट बताएँगे।

श्री गोडम नगेश : माननीय अध्यक्ष महोदया, हर वर्ष फारेस्ट एरिया कटने के कारण माइनर फारेस्ट प्रोडक्शन कम होती जा रही है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार एमएफपी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है और क्या हमारे राज्य में जीसीसी (गिरिजन कॉपरेटिव कॉरपोरेशन) एमएफपी के मार्केटिंग में इंवॉल्वड नहीं है?

श्री जुएल ओराम : यह जो आंध्र प्रदेश का जीसीसी है, यह भी हम लोगों की एजेंसी में शामिल है। ...(व्यवधान) हाँ, अब यह तेलंगाना हो गया।

माननीय अध्यक्ष : हाँ, अब यह तेलंगाना हो गया है।

... (व्यवधान)

श्री जुएल ओराम : तो जो तेलंगाना का गिरिजन कोपरेटिव कारपोरेशन है, वह भी हमारे सिस्टम में है, लेकिन वहाँ की एक दिक्कत यह है कि उस स्टेट के माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस की लीज एक संस्था को दी गयी है, जिसके कारण उसमें हम एमएसपी लागू नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में मैं हम बार-बार वहाँ की सरकार को

लिख रहे हैं और माननीय सदस्य से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ की सरकार से उसे फ्री करने के लिए कहा जाए, वह माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस को फ्री करे ताकि हम उसमें एमएसपी लागू कर सकें।

श्री कड़िया मुंडा : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके द्वारा मंत्री से यह पूछना है, लेकिन उसके पहले इन्हें मैं दो चीजें सुधार करने के लिए बता देता हूँ। [हिन्दी] यह जो उत्तर में लिस्ट दी गयी है, उसमें 10 आइटम्स हैं। उसमें से साल की पत्ती नहीं बिकती है। उसके जगह पर तेंदू पत्ता या बीड़ी पत्ता होना चाहिए। पता नहीं, इसे किन अफसरों ने बनाया है। दूसरी बात, शहद अब जंगल में नहीं होता है। अब शहद गांव में होता है। उनके अधिकारियों को सुधार करना चाहिए और यदि नहीं जानते हैं, तो इसकी ट्रेडिंग करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, इन्होंने झारखंड के संबंध में कहा कि झारखंड में झारखंड मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसायटी है। लेकिन आज तक कोई भी आइटम झारखंड मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसायटी नहीं खरीदती है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी बताएंगे कि विगत तीन सालों में इस संस्था ने इन दस आइटम्स में से कोई एक आइटम भी खरीदा हो, तो बताइए।

श्री जुएल ओराम : अध्यक्ष महोदया, यह पिछले साल से ही लागू हुआ है। [हिन्दी] मतलब हम लोगों ने इसी वर्ष से खरीदना शुरू किया है। तीन साल से पहले तो प्रश्न ही नहीं उठता है।...(व्यवधान) दूसरी बात, श्री कड़िया जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं ...(व्यवधान)

श्री कड़िया मुंडा : यह बीस-बाईस वर्षों से चल रहा है।

श्री जुएल ओराम : साल सीड का बड़ा बिजनेस ओडिशा में है, जहाँ यह करोड़ों रुपए में की जाती है, इसलिए साल सीड भी एमएसपी में कवर है।

08.08.2014
[अनुवाद]

श्री रामचन्द्र हाँसदा: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपजों का विपणन तथा लघु वनोपजों के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास नामक योजना शुरू की है।

लेकिन मुझे यह जानकर निराशा हुई कि इस योजना में केवल 12 वस्तुओं को ही शामिल किया गया है। लेकिन ओडिशा में, मैं माननीय मंत्री जी को सूचित करना चाहता हूं कि 62 ऐसे गैर-काष्ठ लघु वन उत्पाद हैं जिन्हें इस न्यूनतम समर्थन मूल्य में शामिल किया गया है तथा पंचायतों को उन्हें खरीदने का अधिकार दिया गया है। कुछ मामलों में तो विनियमित बाजार समितियां भी इस खरीद प्रक्रिया में उल्लंघन कर रही हैं। इसलिए, मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे मामलों में सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम : अध्यक्ष महोदया, माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस के बहुत सारे आइटम्स हैं। [हिन्दी] लेकिन भारत सरकार ने प्रायोगिक तौर पर इन दस आइटम्स को लिया है। जहाँ का ट्रायबल्स के एक्सप्लॉइट होने के चांस हैं, या एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, इसमें हमने एमएसपी की घोषणा की है। अगर उससे कम में बिक्री होगी, तो बहुत सारे सरकारी एजेंसीज द्वारा उसमें इंटरवेंशन किया जाएगा। ओडिशा में पंचायती राज संस्थाओं में भी उसका फ्री मार्केटिंग करने के लिए दिया गया है, वह भी करते हैं, लेकिन उससे कम होने से भारत सरकार की एजेंसी उस पर कार्य करती है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री एंटो एन्टोनी – उपस्थित नहीं।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल - उपस्थित नहीं।

अब श्री दुष्यंत सिंह अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

08.08.2014

[प्रश्न संख्या 445)

श्री दुष्यंत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, चीनी आयात प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। वर्ष 2008-09 में 146,000 करोड़ रुपये का आयात हुआ था, जो वर्ष 2012-13 में बढ़कर 52.25 अरब रुपये हो गया। लघु उद्योगों, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी, कार्बनिक रसायन, खिलौना उद्योग, साइकिल उद्योग, कागज एवं प्लास्टिक उत्पाद उद्योग के संरक्षण के लिए सरकार क्या कर रही है? हम अपने उद्योग को चीन से हमारे देश में आने वाले आयात से कैसे सुरक्षित रखेंगे, जो हर साल बढ़ रहा है? हम यहां स्थित अपनी छोटी कंपनियों की देखभाल कैसे कर सकते हैं?

श्रीमती निर्मला सीतारमण: माननीय अध्यक्ष महोदया, यह सच है कि हमने 2001 से आयात पर सभी मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए हैं। तथापि, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों की सुरक्षा के लिए तथा भारत के सभी निर्माताओं की सुरक्षा के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर कई कदम उठाए जाते हैं, जिनमें से पहला कदम एंटी-डंपिंग शुल्क है, जिसे महानिदेशक (एंटी-डंपिंग) द्वारा तब लागू किया जाता है, जब कोई समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए, इस समय, यदि हम विशेष रूप से चाइना के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं इस सम्मानित सभा को यह तथ्य उपलब्ध कराने में सक्षम हूं कि कुल 690 मामलों में से चाइना से आयातित लगभग 166 उत्पाद, जिनमें कई अन्य देश भी शामिल हैं, एंटी-डंपिंग शुल्क जांच के अधीन हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है। बेशक, इसमें रासायनिक, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र, इस्पात और अन्य धातु, फाइबर, धागे और उपभोक्ता वस्तुएं भी शामिल हैं।

इसके अलावा, जब आयात में अचानक वृद्धि होती है तो हम सुरक्षा उपाय भी करते हैं और यह भी विश्व व्यापार संगठन के सुरक्षा समझौते के अनुरूप ही होता है। यह उन तरीकों में से एक है जिससे हम अपने उद्योगों की रक्षा करते हैं।

तीसरा, जब हम स्वास्थ्य सुरक्षा या उत्पादन के मानकों के लिए उठाए गए कदमों की बात कर रहे हैं, तो मैं यह कहना चाहूंगी कि खिलौनों के मामले में, जब हमने पाया कि आयात किए जा रहे खिलौनों में खतरनाक

सामग्री है, तो गुणवत्ता और मानकों के आधार पर, उन्हें भी हमारी विदेश व्यापार नीति के तहत प्रतिबंधित किया गया। दूध और दूध उत्पादों के मामले में भी यही स्थिति है।

चूंकि मूल प्रश्न साइकिल से संबंधित है, इसलिए मैं यह भी कहना चाहूंगी कि मूल सीमा शुल्क 2011-12 में दस प्रतिशत से बढ़ाकर 2012-13 में 30 प्रतिशत कर दिया गया है। इसलिए, मूलतः हम अपने छोटे और मध्यम निर्माताओं को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स पर माननीय सदस्य के विशिष्ट प्रश्न के संबंध में, मैं यह कहना चाहूंगी कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आई.एम.ई.आई.) नंबर के बिना या सभी शून्य आई,एम.ई.आई. वाले मोबाइल हैंडसेटों के आयात पर तथा इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर, मोबाइल उपकरण पहचान (एम.ई.आई.डी.) या सभी शून्य ई.एस.एन./एम.ई.आई.डी. के बिना सी.डी.एम.ए. मोबाइल फोनों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए, विशेष इलेक्ट्रॉनिक मामलों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

प्रो. सुगत बोस: महोदया, सभा के पटल पर रखे गए उत्तर से मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि मंत्रालय के पास नकली माल के आगमन के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। बेशक, मैं समझता हूं कि नकली उत्पादों के विनिर्माण और व्यापार के बारे में शिकायतों की जांच करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य पुलिस की है। लेकिन यदि हमारा मंत्रालय वैध व्यापार को बढ़ावा देने जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसे हमारी सीमाओं के पार हो रहे अवैध व्यापार के बारे में जानकारी की आवश्यकता होगी।

तो क्या मंत्री महोदय अब से राज्यों से हमारी सीमाओं के पार नकली वस्तुओं के व्यापार के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए कदम उठाएंगे?

श्रीमती निर्मला सीतारमण: माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया मुद्दा बहुत अच्छी तरह से लिया गया है। इसमें कठिनाई यह है कि जब कोई नकली सामान देश में आता है, तो जब ब्रांड के मालिक को सचमुच लगता है कि उसके उत्पादों की नकल की जा रही है और नकली सामान तैयार हो रहा है, तभी इसे मुद्दा बनाया जाता है

और जांच का कारण बनता है। हम यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि ऐसे कितने नकली उत्पाद आ रहे हैं। इसलिए, मूल ब्रांड धारक को ही प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए।

तथापि, वास्तविक व्यापार के हित में, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, हम उनकी सलाह लेंगे, तथा हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि हम सर्वोत्तम तरीके से, यदि संभव हो तो, कोई प्रक्रिया आरंभ कर सकें।

माननीय अध्यक्ष : बहुत अच्छा।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : यह बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने भी कहा, कि भारत में चीनी निर्यात बढ़ रहा है। यह विशेष रूप से हमारे एस.एम.ई. उद्योगों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। यह भी एक तथ्य है कि चाइना ने तीसरे देशों, जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश के माध्यम से भारत में माल निर्यात करने की नई रणनीति शुरू की है, क्योंकि इनमें से कई देशों के साथ हमारी विभेदक कर आयात संधि है।

उदाहरण के लिए, यदि आप साइकिलों का मामला लें, तो चाइना के लिए बांग्लादेश या श्रीलंका के माध्यम से भारत में माल भेजना, सीधे भारत को निर्यात करने की तुलना में सस्ता है। श्रीलंका से आने वाले माल पर आयात शुल्क की विभेदक कर दर 6.5 प्रतिशत है, जबकि चाइना से सीधे आने वाले माल पर यह दर 20 प्रतिशत है।

क्या सरकार को पता है कि ये रणनीतियां चाइना द्वारा अपनाई जा रही हैं? एक देश के रूप में हम इन रणनीतियों को कैसे विफल करेंगे ताकि समानता सुनिश्चित हो सके और हम घरेलू उद्योगों को बढ़ने की अनुमति दे सकें?

श्रीमती निर्मला सीतारमण: माननीय सदस्य ने व्यापार से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, जो व्यापार में विकृत प्रथाओं को जन्म देता है। मैं इसकी पूरी तरह से सराहना करता हूँ। सिर्फ साइकिल ही नहीं, कई अन्य सामान भी तीसरे देशों के माध्यम से भारत में आते हैं। यह एक बड़ा मुद्दा है जिस पर मंत्रालय निश्चित रूप से काम कर रहा है। हम मामले से अवगत हैं। मैं यह नहीं कहूंगी कि व्यापक रूप से काम पहले ही हो चुका

है। हम निश्चित रूप से हर आवश्यक प्रक्रिया शुरू करेंगे। … (*व्यवधान*) मुझे निश्चित रूप से पता है कि सिर्फ साइकिलों में ही नहीं, बल्कि कई अन्य उत्पादों में भी ऐसा हो रहा है। हम निश्चित रूप से यह समझने पर काम कर रहे हैं कि हम इस तरह की चीजों का सबसे अच्छे तरीके से मुकाबला कैसे कर सकते हैं। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने जनरली बता दिया है। आपको मौका दिया गया था।

श्री वीरेन्द्र कश्यप : अध्यक्ष महोदया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हिन्दुस्तान की मार्केट में चीन पूरी तरह छाया हुआ है। चीन की हरेक किस्म की आइटम अपने देश में बिक रही है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में भी कुछ आइटम्स हिन्दुस्तान में अवैध रूप से आयात हो रही हैं, जिसमें लहसुन प्रमुख है। लहसुन की मेडिसनल वेल्यू है। हमारे देश में लहसुन की पैदावार नौ से 10 लाख टन प्रतिवर्ष होती है, जबकि चीन में लगभग 14 लाख से लेकर 15 लाख टन है। चीन के लहसुन में फंगस है इसलिए उसे हमारे देश में बैन किया गया है। लेकिन चीन का लहसुन बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल के रास्ते से हिन्दुस्तान में गलत तरीके से लाया जा रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में जो यह गलत तरीके से लहसुन आ रहा है, क्या इस पर सरकार प्रतिबंध लगाएगी या नहीं?

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: उन्होंने विशेषकर लहसुन के संबंध में जो चिंताएं व्यक्त की हैं, उन पर माननीय सदस्य तथा कई अन्य लोग अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मंत्रालय को टिप्पण देने आए हैं।

मंत्रालय इस मामले से अवगत है। हम निश्चित रूप से उन्हें तथा सभा को बताएंगे कि हम इस मुद्दे को कैसे संभालेंगे।

माननीय अध्यक्ष: श्री टी. राधाकृष्णन बोलेंगे।

08.08.2014

*__श्री टी. राधाकृष्णन__ : माननीय माननीय अध्यक्ष महोदया जी। मेरे विरुधुनगर निर्वाचन क्षेत्र में शिवकाशी आतिशबाजी और पटाखों के लिए जाना जाता है। यहां पटाखे बनाए जाते हैं और देश के विभिन्न भागों में भेजे जाते हैं। यह उद्योग 2 लाख से अधिक श्रमिकों को आजीविका प्रदान करता है। भूमि और जलमार्गों के माध्यम से अवैध रूप से चाइना से भारत में पटाखे लाये जा रहे है। उन्हें नेपाल के रास्ते से भी लाया जाता है। इससे केंद्र सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होने के अलावा श्रमिकों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री *पुरैची थलाइवी* अम्मा ने पिछली सरकार को कई पत्र लिखे थे। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

माननीय अध्यक्ष: समय समाप्त हो गया है।

श्री टी. राधाकृष्णन: तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री *पुरैची थलाइवी* अम्मा ने भी इस संबंध में माननीय प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है।

माननीय अध्यक्ष: समय समाप्त हो गया है। हाँ, मंत्री जी बोलेंगे।

*__श्रीमती निर्मला सीतारमण__: क्या मैं तमिल में कहूँ? माननीय मुख्यमंत्री का माननीय प्रधानमंत्री को लिखा पत्र प्राप्त हुआ है। उचित समय पर आवश्यक एवं उचित कार्रवाई की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

---

* मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

08.08.2014

*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 446 से 460
अतारांकित प्रश्न संख्या 4279 से 4508)

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

08.08.2014
<u>अपराह्न 12.01 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1111(अ) से का.आ. 1116(अ) जो 22अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जो 6 नए एम्स संस्थान निकाय जिनके नाम उसमें उल्लिखित हैं, में नाम निर्देशनों के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 645/16/14]

(2) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत संशोधित दंत चिकित्सक (आचार संहिता) विनियम, 2014 जो 27 जून, 2014के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. डीई-97-2014 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 646/16/14]

(3) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) नियम, 2014 जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि..508(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 647/16/14]

08.08.2014

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह): मैं

निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) वर्ष 2014-2015 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 648/16/14]

(2) वर्ष 2014-2015 के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 649/16/14]

(3) वर्ष 2014-2015 के लिए वैवाहिक आवास परियोजना महानिदेशालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 650/16/14]

(4) वर्ष 2014-2015 के लिए भूतपूर्व सैनिक के अभीदायी स्वास्थ्य स्किम का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 651/16/14]

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 652/16/14]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

. (1) .सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

. (2) सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

. [ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 653/16/14]

(3) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के 44वें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 654/16/14]

(4) (एक) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई, के वर्ष 2013-2014, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

. (दो) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मुम्बई, के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 655/16/14]

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

. [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 656/16/14]

(6) वर्ष 2014-2015 के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 657/16/14]

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

. (1) कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 जो 28 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 129 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) कंपनी (परिभाषा संबंधी ब्योरों का विनिर्देशन) नियम, 2014 जो 31 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 238 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) कंपनी (लेखे) नियम, 2014 जो 31 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 239(अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (4) कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 जो 31 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 240 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

08.08.2014

. (5) कंपनी (लाभांश की घोषणा और संदाय) नियम, 2014 जो 31 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 241 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (6) निधि नियम, 2014 जो 2अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 258 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (7) कंपनी (प्रकीर्ण) नियम, 2014 जो 1अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 253 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (8) कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) नियम, 2014 जो 1अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 254(अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (9) कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरण पत्रिका और आबंटन) नियम, 2014 जो 1अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 251(अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (10) कंपनी (वैश्विक निक्षेपागार रसीदों का निर्गम) नियम, 2014 जो 1अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 252(अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (11) कंपनी (निगमन) नियम, 2014 जो 1अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 250 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (12) कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम, 2014 जो 1अप्रैल, 2014के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 249 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

08.08.2014

. (13) कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 जो 1अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 248(अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (14) कंपनी (निरीक्षण, अन्वेषण और जांच) नियम, 2014 जो 1अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 247 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (16) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 जो 1 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 246 (अ) में प्रकाशित हुए थे।.

. (16) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 जो 2अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 260 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (17) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति तथा अर्हता) नियम, 2014 जो 2 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 259(अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (18) कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 जो 2अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 257 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (19) कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 2014 जो 2अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 256 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (20) कम्पनी (विदेशी कम्पनियों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 जो 3 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 266 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (21) कम्पनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 जो 3 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 265 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

08.08.2014

. (22) कम्पनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 जो 4 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 268 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (23) कम्पनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 जो 28 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 297(अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (24) कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) संशोधन नियम, 2014 जो 6 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 386(अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (25) कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2014 जो 6 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 390 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (26) कम्पनी (बोर्ड की बैठकें तथा शक्ति) संशोधन नियम, 2014 जो 12 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 398 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (27) कम्पनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) संशोधन नियम, 2014 जो 18जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 413(अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (28) कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2014 जो 23 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 415(अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (29) कम्पनी (प्रतिभूतियों की विवरण पत्रिका और आबंटन) संशोधन नियम, 2014 जो 1 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 424(अ) में प्रकाशित हुए थे।

08.08.2014

. [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 658/16/14]

(8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 467 की उप-धारा (3) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

. (1) सा.का.नि.130(अ) जो 28 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में कतिपय संशोधन किए गए थे तथा उसका शुद्धिपत्र जो 2 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.261(अ) में प्रकाशित हुआ है।

. (2) सा.का.नि.237 (अ) जो 31 मार्च, 2014के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

. [ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 659/16/14]

(9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 470 की उप-धारा (2) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

. (1) कम्पनी (कठिनाइयों का निराकरण) दूसरा आदेश, 2014 जो 30 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का. आ..1177(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा उसका शुद्धिपत्र जो 29मई, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ..1406(अ) में प्रकाशित हुआ है।

. (2) कम्पनी (कठिनाइयों का निराकरण) दूसरा आदेश, 2014 जो 3 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ..1428(अ) में प्रकाशित हुआ था।

. (3) कम्पनी (कठिनाइयों का निराकरण) तीसरा आदेश, 2014 जो 3 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ..1429(अ) में प्रकाशित हुआ था।

. (4) कम्पनी (कठिनाइयों का निराकरण) चौथा आदेश, 2014 जो 6 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ..1460(अ) में प्रकाशित हुआ था।

. [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 660/16/14]

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 458 की उप-धारा (2) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

. (1) का.आ.1354 (अ) जो 22 मई, 2014के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या में प्रकाशित हुआ था तथा जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 153 और 154 के अंतर्गत रीजनल डायरेक्टर, नोएडा को शक्तियों का प्रत्यायोजन किए जाने के बारे में है।

. (2) का.आ.1353(अ) जो 22मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या में प्रकाशित हुआ था तथा जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 458 के अंतर्गत उसमें उल्लिखित कम्पनी रजिस्ट्रार को शक्तियों का प्रत्यायोजन किए जाने के बारे में है।

. (3) का.आ .1352(अ) जो 22 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या में प्रकाशित हुआ था तथा जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 458 के अंतर्गत उसमें उल्लिखित रीजनल डायरेक्टरों को शक्तियों का प्रत्यायोजन किए जाने के बारे में है।

08.08.2014

. [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 661/16/14]

(11) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूति अपील, प्राधिकरण को अपील) नियम, 2014 जो 27 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसचूना सं. सा.का.नि. 358(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 662/16/14]

.(12) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

. (1) विदेशी मुद्रा प्रबंध (सामग्रियों और सेवाओं का निर्यात) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014 जो 8 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 434(अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (2) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (नौवां संशोधन) विनियम, 2014 जो 8 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 436 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (3) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (सातवां संशोधन) विनियम, 2014 जो 8 जुलाई, 2014 के भारत के परिपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 435(अ) में प्रकाशित हुए थे।

08.08.2014

. (4) विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुज्ञेय पूंजी लेखा संव्यवहार) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 488(अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (5) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 489 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

. [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 663/16/14]

(13) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

. (1) जमशेदजी नुसरवानजी टाटा की 175वीं जन्म वर्षगांठ के समारोह के अवसर पर उनकी स्मृति में निर्मित एक सौ रुपये और पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2014, जो 31 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 73 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (2) मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की 125वीं जन्म वर्षगांठ के समारोह के अवसर पर उनकी स्मृति में निर्मित बीस रुपये और पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2013, जो 14 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 686(अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (3) कॉयर बोर्ड की हीरक जयंती समारोह के अवसर पर निर्मित साठ रुपये और दस रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2014 जो 21 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 102(अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (4) आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी के अवसर पर निर्मित बीस रुपये और पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2013 जो 18 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 782 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

. [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 664/16/14

(14) सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9ए की उपधारा (7) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेज़ी संस्करण):-

. (1) सा.का.नि.525 (अ) जो 23 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा कराई जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित भारी और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए बनाए गए फ्रंट एक्सल बीम और स्टीयरिंग नकल के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 14 जून, 2015, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

. (2) सा.का.नि.526 (अ) जो 23 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वार कराई जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य, रूस और थाईलैंड में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित रबड़ उपायोजन में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक के

आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 29 जुलाई, 2015, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तब बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

. (3) सा.का.नि.527 (अ) जो 23 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा कराई जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण का परिणाम आने तक कोरिया (जनवादी गणराज्य) में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सभी श्रेणी और सभी सांद्रता फास्फोरिक एसिड (कृषि और उर्वरक श्रेणी को छोड़कर) के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 21 जून, 2015, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तब बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

. (4) सा.का.नि.528 (अ) जो 23 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा कराई जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विटामिन सी के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 15 जून, 2015, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तब बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

. [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 665/16/14]

. (5) सा.का.नि.529 (अ) जो 23 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा कराई जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण का परिणाम आने तक यूरोपीय संघ, चीन जनवादी

गणराज्य कोरिया जनवादी गणराज्य और ताईवान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पोटाशियम कार्बोनेट के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 9 जून, 2015, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तब बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

. (6) सा.का.नि.541(अ) जो 25 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा की जा रही जांच के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीयन संघ, कोरिया जनवादी गणराज्य और थाईलैंड में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित प्यूरीफाइड टेरीफ्थैलिक एसिड, जिसमें इसके परिवर्त जैसे कि मीडियम क्वालिटी टेरीफ्थैलिक एसिड और क्वालीफाइड टेरीफ्थैलिक एसिड भी शामिल हैं, के आयात पर छह माह की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

. (7) सा.का.नि.535 (अ) जो 24 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा कराई जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विनिर्दिष्ट रबड़ केमिकल्स के आयात पर पांच वर्ष की अवधि तक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

. [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 666/16/14]

08.08.2014

(15) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

. (1) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (निवेशकों की जागरूकता तथा संरक्षण) संशोधन नियम, 2014 जो 27 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 216(अ) में प्रकाशित हुए थे।

. (2) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (कंपनियों के पास असंदत्त और अदावाकृत धनराशियों के बारे में सूचना का अपलोड किया जाना) संशोधन नियम, 2014 जो 27 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 217 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

. [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 667/16/14]

(16) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि.262(अ) जो 2अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कंपनियों को निधि दर्जा प्रदान किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

. [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 668/16/14]

(17) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत सीमा-शुल्क बैगेज घोषणा (संशोधन) विनियम, 2014 जो 10 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.

सा.का.नि.82 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

. [ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 669/16/14]

08.08.2014

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:-

(i) 'मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने बुधवार, 30 जुलाई, 2014 को अपनी बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कल्याण संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:-

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि दोनों सभाओं की एक समिति, जिसे 'अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कल्याण संबंधी समिति' कहा जाएगा, का गठन लोक सभा द्वारा 22 जुलाई, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में पारित प्रस्ताव में निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जाए तथा इस सभा को सूचित किया जाए, तथा यह सभा संकल्प करती है कि यह सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इस सभा के सदस्यों में से दस सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित करने के लिए कार्यवाही करे।"

2. मैं लोक सभा को यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में, राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है:

1. श्री राम नारायण डूडी
2. श्री बी. के. हरिप्रसाद
3. श्री अहमद हसन

4. श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप

5. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद

6. श्री वी. हनुमंत राव

7. श्रीमती विजिला संत्यानंत

8. श्री अश्क अली टाक

9. श्री राम नाथ ठाकुर

10.श्री शंकरभाई एन. वेगड़।

(ii) मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने मंगलवार, 15 जुलाई, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव को स्वीकृत किया है:-

" कि यह सभा संकल्प करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी दोनों सभाओं की समिति में शामिल हो तथा उक्त समिति में कार्य करने के लिए सभा के सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार दस सदस्यों को निर्वाचित करने की कार्यवाही करे। "

2. मैं लोक सभा को यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में आरंभ की गई निर्वाचन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, राज्य सभा के नौ सदस्य उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित हुए तथा उनके नाम राज्य सभा से दिनांक 28 जुलाई, 2014 को एक संदेश के माध्यम से लोक सभा को सूचित किए

गए। अब शेष एक रिक्ति को भरने के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है, श्री अम्बेथ राजन, सदस्य, राज्य सभा को विधिवत रूप से समिति का सदस्य निर्वाचित किया गया है।

08.08.2014
अपराह्न 12.02 ½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 75वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति *

(अनुवाद)

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली): मैं आर्थिक मामलों, वित्तीय सेवाओं, व्यय और विनिवेश विभागों, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 75वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

----

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 670/16/14.

08.08.2014

<u>अपराह्न 12.02 3/4 बजे</u>

रक्षा संविदाओं के बारे में दिनांक 10.02.~~2014 के अता~~रांकित प्रश्न संख्या 2946 के उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण*[2]

[अनुवाद]

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं 10 फरवरी, 2014 को श्री कालिकेश एन. सिंह देव, संसद सदस्य द्वारा 'रक्षा संविदाओं' के बारे में उठाए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2946 के उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

15वीं लोक सभा की समाप्ति के पश्चात यह संज्ञान में आया कि उप-भाग (क) में जीवन चक्र लागत (एल.सी.सी.) पद्धति के अंतर्गत किए गए लेन-देन का ब्यौरा मांगा गया था। यह देखा गया कि एक अनुबंध, अर्थात् बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट (बी.टी.एस.) को एल.सी.सी. दृष्टिकोण के तहत कुल अधिग्रहण लागत (टी.सी.ए.) पद्धति का उपयोग करके अंतिम रूप दिया गया है। इसलिए उत्तर को संशोधित करने और इसे 16वीं लोक सभा के दूसरे सत्र में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया गया क्योंकि 16वीं लोक सभा के पहले सत्र में कोई प्रश्न दिवस नहीं था।

लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं.2946 का संशोधित उत्तर 8अगस्त, 2014 को लोक सभा के पटल पर रखा जा रहा है।

---

[2] * सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 671/16/14.

08.08.2014

<table>
<tr><td colspan="3">रक्षा मंत्री द्वारा रक्षा अनुबंधों के बारे में श्री कालीकेश एन. सिंहदेव,संसद सदस्य (लोक सभा) द्वारा दिनांक 10.02.2014 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2946 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण</td></tr>
<tr><td>प्रश्न</td><td>उत्तर पहले ही दिया जा चुका है</td><td>संशोधित उत्तर</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>श्री कलिकेश नारायण देव सिंह</td><td>रक्षा मंत्री
(ए.के. एंटोनी)</td><td></td></tr>
<tr><td>(क) क्या सरकार जीवन चक्र लागत का उपयोग करती है। रक्षा खरीद के लिए (एल.सी.सी.) पद्धति लागू है और यदि हां, तो इस पद्धति के तहत किए गए लेन-देन का ब्यौरा क्या है;</td><td rowspan="2">(क) से (ङ) कुछ रक्षा खरीद मामलों में जीवन चक्र लागत दृष्टिकोण अपनाया जाता है। प्लेटफॉर्म के तकनीकी जीवन, पुर्जों और रखरखाव आवश्यकताओं तथा अन्य मापदंडों के आधार पर अपनाया गया मॉडल अलग-अलग मामलों में भिन्न हो सकता है।

वित्त मंत्रालय के सुझाव पर रक्षा खरीद प्रक्रियाओं में जीवन चक्र लागत मॉडल को शामिल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।</td><td rowspan="2">(क) से (ङ) कुछ रक्षा खरीद मामलों में जीवन चक्र लागत दृष्टिकोण अपनाया जाता है। प्लेटफॉर्म के तकनीकी जीवन, पुर्जों और रखरखाव आवश्यकताओं तथा अन्य मापदंडों के आधार पर अपनाया गया मॉडल अलग-अलग मामलों में भिन्न हो सकता है।</td></tr>
<tr><td>(ख) क्या सरकार ने एल.सी.सी. पद्धति के माध्यम से खरीद पर नीति तैयार की है/बनाने की प्रक्रिया में है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;</td></tr>
</table>

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान में उपयोग की जा रही एल.सी.सी. पद्धति और नीति पर वित्त मंत्रालय से टिप्पणियां मांगी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;		**अब तक केवल एक अनुबंध, अर्थात् बेसिक प्रशिक्षण विमान की आपूर्ति, एल.सी.सी. दृष्टिकोण के तहत अधिग्रहण की कुल लागत मॉडल का उपयोग करके संपन्न किया गया है।**
(घ) क्या रक्षा मंत्रालय ने वर्तमान में प्रयुक्त एल.सी.सी. पद्धति के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा उठाई गई टिप्पणियों/आपत्तियों को स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और		वित्त मंत्रालय के सुझाव पर रक्षा खरीद प्रक्रियाओं में जीवन चक्र लागत मॉडल को शामिल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
(ड.) क्या रक्षा मंत्रालय वित्त मंत्रालय की आपत्तियों का समाधान करने के लिए एल.सी.सी. नीति में सुधार करने का विचार रखता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?		

<u>**अपराह्न 12.03 बजे**</u>

<u>मंत्रियों द्वारा वक्तव्य. . . जारी</u>

(दो)स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चार विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 67वें से 70वें तथा 75वें से 78वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन): लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 73क के उपबंधों के अनुसरण में, मैं सभा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चार विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 67वें से 70वें तथा 75वें से 78वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति, जिसे सभा पटल पर रखे जाने वाले विवरण में दर्शाया गया है, के बारे में सूचित करता हूं।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 672/16/14.

08.08.2014

अपराह्न 12.03 ½ बजे

खसरे के मामलों के संबंध में दिनांक 25.07.2014 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 269 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण*[3]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन): खसरे के मामलों के संबंध में 25 जुलाई, 2014 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं.269 के उत्तर में, उत्तर के साथ संलग्न अनुलग्नक-**I** में दर्शाए गए कुछ आंकड़े अनापेक्षित रूप से हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण में भिन्न हैं।

प्रश्न का सही उत्तर संलग्न है।

[3] * सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 673/16/14.

08.08.2014

सही उत्तर

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 269

25 जुलाई, 2014 को उत्तर दिया जाना है

खसरे के मामले

***269 श्री हरिश्चंद्र चव्हाणः**

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में खसरे के मामलों तथा इसके कारण हुई मौतों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(ख) उक्त बीमारी को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान इनके परिणामस्वरूप क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त उद्देश्य के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्धारित, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि; और

(घ) देश में खसरे के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(डॉ. हर्ष वर्धन)

(क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है

08.08.2014

25 जुलाई, 2014 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 269* के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) देश में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार खसरे के कुल मामलों और उसके कारण हुई मौतों का ब्यौरा, केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो (सी.बी.एच.आई.) द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख) भारत सरकार ने 2020 तक देश से खसरे को समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस संबंध में, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 2010 से खसरे के टीके की एक खुराक के स्थान पर दो खुराकें शुरू की गई हैं। इससे पहले 14 राज्यों में 9 माह से 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर खसरा टीकाकरण अभियान चलाया गया था। इन राज्यों का चयन इसलिए किया गया क्योंकि इनमें खसरे का मूल्यांकन 80% से कम था। ये राज्य थे अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इस अभियान के दौरान कुल 119 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया। देश में आउटब्रेक प्रयोगशाला निगरानी शुरू की गई है।

(ग) यू.आई.पी. के अंतर्गत राज्यों को खसरे की दो खुराक सहित नियमित टीकाकरण के लिए प्रावधान किया गया है। इस निधि का उपयोग कोल्ड चेन रखरखाव, टीका वितरण, क्षमता निर्माण, सहायक पर्यवेक्षण को मजबूत करने, सामाजिक लामबंदी के लिए आशा की भागीदारी आदि के लिए किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निधियों का आवंटन और उपयोग अनुलग्नक II में दिया गया है।

(घ) देश में प्रयोगशाला समर्थित खसरा निगरानी शुरू की गई है जो खसरा उन्मूलन गतिविधियों को आगे बढ़ाने में आगे की कार्रवाई का मार्गदर्शन करने के लिए महामारी विज्ञान डेटा उत्पन्न कर रही है।

08.08.2014
[हिन्दी]

अनुलग्नक-I

खसरा के सूचित मामलों एवं उसके कारण होने वाली मौतों का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2011		2012		2013		2014*	
		मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	49	0	73	0	16	0	20	0
2.	आंध्र प्रदेश	849	2	234	7	701	1	245	0
3.	अरूणाचल प्रदेश	627	1	172	0	44	0	रिपोर्ट नहीं की गई	रिपोर्ट नहीं की गई
4.	असम	4692	0	1596	0	1516	0	267	0
5.	बिहार	416	0	2772	0	520	1	76	0
6.	चंडीगढ़	16	0	11	0	3	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	98	0	482	0	139	0	70	0
8.	दादरा एवं	36	0	44	0	58	0	16	0

* स्त्रोतः सीबीएचआई/राज्यों/केंद्राशसित प्रदेशों के स्वस्थ्य सेवा निदेशालयों से प्राप्त मानसिक स्वस्थ्य स्थिति की रिपोर्ट

	नागर हवेली								
9.	दमन और दीव	2	0	1	0	1	0	13	0
10	दिल्ली	1089	10	1485	16	945	4	214	2
11	गोवा	19	0	59	0	59	0	18	0
12	गुजरात	683	1	123	0	241	0	556	0
13	हरियाणा	515	0	422	1	30	0	72	0
14	हिमाचल प्रदेश	573	0	221	0	155	0	25	0
15	जम्मू एवं कश्मीर	3269	0	1935	0	1920	0	1011	0
16	झारखंड	1097	0	270	0	480	0	36	0
17	कर्नाटक	811	1	1282	0	100	0	253	0
18	केरल	1553	1	1094	0	1221	0	613	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	486	0	871	0	249	0	118	0

08.08.2014

21	महाराष्ट्र	2528	2	1260	1	1474	1	994	0
22	मणिपुर	711	0	257	0	429	0	105	0
23	मेघालय	485	2	125	0	300	0	24	0
24	मिजोरम	239	0	165	0	88	0	23	0
25	नागालैंड	615	0	164	0	304	0	17	0
26	ओडिशा	1004	1	1085	0	457	0	213	0
27	पुडुचेरी	32	0	22	0	24	0	10	0
28	पंजाब	42	0	2	0	1	0	1	0
29	राजस्थान	326	1	542	0	37	0	89	0
30	सिक्किम	740	0	136	0	66	0	13	0
31	तमिलनाडु	2582	3	623	0	323	0	225	0
32	त्रिपुरा	670	0	256	0	65	0	22	0
33	उत्तर प्रदेश	370	1	615	0	476	0	152	0
34	उत्तराखण्ड	38	0	111	0	90	0	166	0
35	पश्चिम बंगाल	6372	30	4079	15	3236	0	986	3

08.08.2014

	योग	33634	56	22589	40	15768	7	6398	5

08.08.2014
अपराह्न 12.04 बजे

[हिन्दी]

सभा का कार्य

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदया, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 11 अगस्त, 2014 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगाः-

1 रेल (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार और पारित करना।

2 निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करनाः-

(क) शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 2014;

(ख) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014; और

(ग) कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014

3 राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन विधेयक, 2011 पर विचार और पारित करना।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ) : अध्यक्ष जी, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए -

1. मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में सर्वाधिक तालाब हैं। यह चन्देलकालीन तालाब लगभग 950 थे। किंतु रखरखाव के अभाव में तथा अतिक्रमण के कारण अभी लगभग 450 तालाब बचे हैं। पुरातत्व महत्व के इन सभी तालाबों का जल संरक्षण योजना के अंतर्गत जीर्णोद्धार की आवश्यकता है।

2. मध्य प्रदेश के ओरछा धार्मिक एवं पर्यटक केंद्र पर देशी विदेशी पर्यटकों की अपार भीड़ की उपस्थिति देखते हुए यहां से हवाई सेवाएं देश के प्रमुख नगरों से जोड़ने की आवश्यकता है।

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): अध्यक्ष जी, कृपया निम्न दो विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ लिया जाए -

1. भागलपुर शहर में यातायात का दबाव बहुत ही ज्यादा है। शहर के यातायात को विकेंद्रित करने तथा शहर के अंदर सामान्य आवागमन बनाए रखने के लिए भागलपुर में कहलगांव से तीन टेंगा तक राष्ट्रीय नदी गंगा पर आवागमन के लिए नए पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है।

2. भागलपुर सिल्क नगरी के रूप में प्रसिद्ध है तथा बिहार राज्य के पूर्वी भाग का एक प्रमुख शहर है। [हिन्दी] देश के कोने-कोने से सिल्क के व्यापार के लिए यहां लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन भागलपुर शहर के लिए घरेलू विमान सेवा नहीं होने के चलते स्थानीय नागरिकों तथा अन्य लोगों को दूसरे महानगरों में आवागमन करने में काफी कठिनाई होती है। अतः भागलपुर में विमान सेवा प्रारंभ करने के लिए हवाई अड्डे के निर्माण् कराए जाने की आवश्यकता है।

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आगामी सप्ताह के लिए सदन के कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है, उसमें मैं निम्नलिखित प्रस्तावा को जोड़ना चाहता हूं -

1. बिहार के बेगूसराय जिले में कांवड झील जो 15000 एकड़ में है, उसे किसान विहार घोषित किया जाए।

2. बेगूसराय के जयमंगलागढ़ को बुद्ध सर्किट में जोड़ने की सरकार घोषणा करें।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : अध्यक्ष महोदया, वर्तमान सत्र के अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित लोक महत्व के विषय को विचार हेतु सम्मिलित कर सदन में चर्चा कराने की कृपा करें।

महोदया, देश के विभिन्न स्थानों पर कोल आदिवासी समुदाय के लोग भारी संख्या में रहते हैं जो केवल वनों एवं खेती पर आधारित हैं। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा तथा इलाहाबाद जिले में इनकी बहुतायत है। काफी लम्बे समय से उत्तर प्रदेश में कोल जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिये जाने की मांग भारत सरकार से की जा रही है किन्तु अभी तक प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाई है।

अतः आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में कोल आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची मे सम्मिलित करने के लिए सदन में चर्चा करायी जाए।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित विषयों को सप्ताह के अगले कार्यसूची में शामिल करने की कृपा की जाए -

1. हमारे संसदीय क्षेत्र गिरिडीह के अन्तर्गत जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता खराब है, उक्त सड़कों की गुणवत्ता जांच कर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा।

2. झारखण्ड सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के उन्नयन एवं विकास हेतु राशि उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है। अतः केन्द्र सरकार के द्वारा उक्त प्रस्ताव के आलोक में शीघ्र निधि/राशि विमुक्त कर झारखण्ड सरकार को भेजने की अपेक्षा।

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़चिरोली-चिमुर): महोदया, आपसे निवेदन है कि सबमिशन के अन्तर्गत निम्नलिखित दो विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किए जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाए -

1 महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरोली चिमुर आदिवासी संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत नागभीड़ से नागपुर छोटी रेलवे लाईन, जो चन्द्रपुर व नागपुर जिलों से होकर गुजरती है, को बड़ी रेलवे लाइन में परिवर्तित किए जाने के बारे में।

08.08.2014

2 महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरोली चिमुर संसदीय क्षेत्र जो एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र् है, के गढ़चिरोली आदिवासी जिले की लघु, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्र सरकार से वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अब तक स्वीकृति न मिलने से नक्सलवाद से प्रभावित जिले में किसानों को भूमि सिंचन हेतु पानी न उपलब्ध होने से सम्बन्धित विषय।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में समावेश किया जाए।

1) अहमदाबाद के नारोल, विशाका सर्कल होते हए जुहापुरा से सरखेल से सौराट्र जाने वाले राट्रीय राजमार्ग नं. 4 पर सीवर्स लेन का फ्लाई ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए।

2) बीआरटीएस रूट पर रानी क्रॉस रोड पर डा. अम्बेडकर राट्रीय फाउंडेशन में विकास और सुविधाओं के लिए वित्तीय मदद दी जाए।

[अनुवाद]

डॉ. किरिट सोमैय्या (मुंबई उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदया, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह के एजेंडे में शामिल किया जाए:

1. देश भर में विभिन्न मेट्रो रेलवे परियोजनाओं में तेजी लाने, समन्वय करने, उन्हें सुचारू बनाने तथा गति प्रदान करने की आवश्यकता है; तथा

2. देश में बिजली की स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाए जाने वाले कदम तथा देश में बिजली परियोजनाओं को सुचारू बनाने के उपाय।

प्रो. सौगत राय (दम दम): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित मामलों को आगामी सप्ताह के सरकारी कार्य में शामिल किया जाए:

1. रक्षा में 49 प्रतिशत और रेलवे में 100 प्रतिशत एफ.डी.आई., जो राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है, पर चर्चा; और
2. पंजाब सरकार द्वारा जूट की बोरियों का उठाव न किए जाने के कारण जूट उद्योग की खराब हो रही स्थिति, जिसके कारण जूट मिलें बंद हो रही हैं।

श्री पी. कुमार (तिरुचिरापल्ली): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह के एजेंडे में शामिल किया जाए:

1. देश भर में वसूले जाने वाले टोल टैक्स को नियमित करने/उन्मूलन करने के संबंध में चर्चा; तथा
2. देश की सभी नदियों का राष्ट्रीयकरण/आपस में जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं पांच दिन से लगातार निवेदन कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज एक तो लेने दो। आपको भी समय दे देंगे।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैडम, तब तक यात्रा खत्म हो जाएगी।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं होगी।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : एक तो पहले से 25 सालों से वे लोग बेघर हैं।...(व्यवधान) कश्मीरी पंडितों की बात कब सुनी जाएगी? वे तादाद में ज्यादा नहीं होंगे लेकिन उनकी आवाज तो सुनी जानी चाहिए। न सदन के बाहर और न जम्मू-कश्मीर की सरकार उनकी बात सुनती है। क्या सदन के अंदर भी उनकी बात नहीं सुनी जाएगी?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुनी जाएगी। सदन के अंदर भी सुनी जाएगी। आज जो लिया है, उसको तो पहले करने दीजिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैडम, पिछली बार भी कहा गया कि आज कॉलिंग अटैंशन देंगे। ...(व्यवधान) मैडम, क्या किसी दिन इसका समय तय किया जाएगा?

माननीय अध्यक्ष : दे देंगे। नहीं तो आपको ज़ीरो ऑवर में दे देंगे।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैडम, बीएसी में कॉलिंग अटैंशन में आया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दे देंगे। [अनुवाद] मैं इसकी जांच कर रही हूं।

(*व्यवधान*)

08.08.2014
अपराह्न 12.14 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

देश में गन्ने तथा अन्य कृषि उपजों के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र को सही किए जाने की आवश्यकता

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर दिलाना चाहता हूं तथा यह अनुरोध करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य** दें:

देश में गन्ने और अन्य कृषि उपज के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र को सही करने की आवश्यकता है।"

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : माननीय अध्यक्ष जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं पढ़ दूं और यदि सब लोगों को स्टेटमेंट मिल गयी है तो इसको हम लेड-डाउन कर दें?

माननीय अध्यक्ष : हां, यदि सदस्यों को मिल गयी है तो ले कर दीजिए। पढ़िए, जल्दी से पढ़िए।

... (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक 31.07.2014 की स्थिति के अनुसार देश के गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर 9252 करोड़ रुपए का बकाया है, जो वर्तमान चीनी मौसम 2013-14 के दौरान देय कुल राशि (57104 करोड़ रुपए) का लगभग 16.20 प्रतिशत है। [हिन्दी] उत्तर प्रदेश राज्य में निजी और सहकारी चीनी मिलों पर 5741 करोड़ रुपए का बकाया है जो गन्ना मूल्य के कुल बकाया का 29.61 प्रतिशत

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 674/16/14]

है। गन्ना मूल्य का बकाया मुख्य रूप से वर्तमान मौसम में गन्ने की आपूर्ति से संबंधित है। पिछले मौसमों का बकाया सामान्यतः मामलों के न्याय-निर्णयाधीन होने, ऋणदाता बैंकों द्वारा मिलों को प्रतिभूतिकरण अधिनियम के अंतर्गत लिए जाने आदि के कारण है। वर्तमान मौसम में बकाया की स्थिति मुख्य रूप से चीनी की बिक्री से कम राशि प्राप्त होने के कारण उत्पन्न हुई है।

2. गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1996 में यह प्रावधान है कि गन्ने की आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाए और ऐसा न हो पाने की स्थिति में 14 दिनों के बाद की विलम्बित अवधि के लिए बकाया राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा। इस प्रावधान को लागू करने की शक्तियां ऐसी राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रदान की गई हैं जिनके पास आवश्यक फील्ड तंत्र उपलब्ध है। केंद्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को गन्ना किसानों के बकाया का यथासमय भुगतान सुनिश्चित करने और दोषी चीनी मिलों के विरुद्ध कार्रवाई करने की सलाह देती है।

3. गन्ना किसानों को पिछले चीनी मौसमों के गन्ना मूल्य बकाया का निपटान करने तथा उन्हें वर्तमान चीनी मौसम के गन्ना मूल्य का यथासमय भुगतान सुगम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार ने दिनांक 03.01.2014 को चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम (एसईएफएएसयू-2014) अधिसूचित की है, जिसमें से चीनी मिलों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी के रूप में बैंकों द्वारा 6600 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण परिकल्पित है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने दिनांक 28.02.2014 को एक अन्य स्कीम अधिसूचित की है जिसमें निर्यात बाजार के लिए लक्षित रॉ चीनी उत्पादन हेतु विपणन एवं संवधर्न सेवाओं के संबंध में प्रोत्साहन राशि की अनुमति प्रदान की गई है। इन स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन राशि का उपयोग चीनी मिलों द्वारा किसानों को भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

4. उठाया गया अन्य मुद्दा चीनी के मूल्य निर्धारण तंत्र का है। [हिन्दी] मैं निवेदन करना चाहता हूं कि घरेलू बाजार में चीनी के मूल्य बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं तथा वे उपभोक्ता-वार विनियमित नहीं होते। किन्तु मूल्य वृद्धि से गरीबों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार ने राज्य सरकारों से खुले बाजार से चीनी की खरीद करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 13.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बीपीएल

लाभभोगियों को इसकी आपूर्ति करने के लिए कहा है। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार 18.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से राज्य सरकारों की प्रतिपूर्ति करेगी। इससे खुला बाजार मूल्य से गरीब लोगों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

डॉ. सत्यपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी का वक्तव्य पूर्ण रूप से समाधान कारक नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार, माननीय मंत्री और इस सम्मानित सदन का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा ही नहीं है बल्कि बहुत ज्वलंत, गंभीर और विस्फोटक परिस्थिति है। जिस प्रकार से माननीय मंत्री ने कहा है कि लगभग 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा गन्ना किसानों का पैसा बाकी है। [अनुवाद] उत्तर प्रदेश में किसानों का 5000 करोड़ से ज्यादा बाकी है और मेरे संसदीय क्षेत्र बागपत में लगभग 650 करोड़ रुपया बाकी है। [हिन्दी] माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पिछले सीजनों का पैसा नहीं दे सकते क्योंकि मैटर सब्जुडिस है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। शुगर कंट्रोल आर्डर में कहा गया है 15 परसेंट किसानों का ब्याज मिलना चाहिए अगर भुगतान 14 दिनों के अन्दर नहीं किया जाता। पर यह राज्यों के अधिकार में है लेकिन राज्य कुछ करते नहीं हैं। मिल मालिकों की बैलेंस शीट में इस बात को कभी दिखाया नहीं जाता है कि उनको किसानों को ब्याज भी देना है।

जहां तक सिफासु स्कीम की बात है, तीन साल के लिए सरकार ने बैंकों को सॉफ्ट लोन देने के लिए दिखाया है, शुगर मिल मालिकों को यह दिया गया है किंतु किसानों को कुछ भी नहीं। यह हालत ऐसी है जैसे कोई भूखा आदमी रोड पर पड़ा हुआ मिल जाए, उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाए और अस्पताल में कहा जाए कि इसके इलाज पर जितना खर्च होगा, दे देंगे और बाद में जब भूखा आदमी अस्पताल से बाहर आ जाएगा तो क्या खाएगा, क्या करेगा, इसके बारे में सरकार कुछ नहीं करती है।

मेरा कहना यह है कि यह केवल मुद्दा नहीं है, परिस्थिति बहुत गम्भीर है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की हालत बहुत खराब है। केवल मात्र एक विधान सभा क्षेत्र छपरौली के अंदर लगभग 280 लड़कियों की शादी इसलिए कैंसिल हो गई, लोग अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। केवल एक स्कूल के अंदर 27 लाख रुपये फीस बाकी है। लोग अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं।

लोग अपनी भैसों, गायों के लिए खाने का सामान (फीड)नहीं खरीद पा रहे हैं और हम लोग केवल मात्र यहां पालिसी डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब तक वह इम्पलीमैन्ट नहीं होता, तब तक कोई फायदा नहीं है। हम शुगर मालिकों को पैसा देते हैं और भूल जाते हैं। [अनुवाद] मैं इस ओर भी सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सबसे गम्भीर बात यह है कि परसों तीन दिन पहले यूपी शुगर मिल एसोसिएशन तथा इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ने एक प्रेस कांफ्रैस की और उन्होंने धमकी दी है कि इस बार हम सीजन में गन्ना मिल नहीं चलायेंगे। [हिन्दी] पहले मिल मालिकों से सरकार यह पूछे कि आप लोगों ने कितना पैसा लगाया था। जब आपने मिल चालू की या आप जो मिल चलाते हो तो आप लोगों ने अपनी जेब से कितना पैसा लगाया। ज्यादातर पैसा जो आया है, वह हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का आया है, हमारे बैंकों का पैसा है, जनता का पैसा है और आज वे हमें धमकी देते हैं कि मिल नहीं चलायेंगे।

तीसरी बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ बैंकों ने रिट दायर की है, उसमें स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूपी कोऑपरेटिव बैंक हैं और उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार ने जो 32 लाख टन चीनी का स्टाक जमा किया है, उसे बेचा नहीं जा रहा है। अगर उसे बेचा जायेगा तो सबसे पहले जो पैसा दिया जायेगा वह बैंकों को दिया जायेगा और उसके बाद यदि थोड़ा बहुत बचेगा तो उसे मिल मालिक ले लेंगे। किसानों के बारे में कोई सोचने की बात नहीं है। यूपी सरकार कहती है कि हमारे पास जो चीनी का स्टाक है, उसका कोई खरीददार उपलब्ध नहीं है। किसान लोग इस बात के लिए आभारी हैं कि जिस प्रकार भारत सरकार से लोगों में उम्मीद जगी थी कि जो नई सरकार आ रही है, वह किसानों के हित का संरक्षण करेगी और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम सोफ्ट लोन दे रहे हैं। पिछले साल कांग्रेस सरकार ने 19 हजार करोड़ रुपये किसानों का माफ किया, इस पर सदन में चर्चा भी हुई थी। लेकिन वह 19 हजार करोड़ किसानों को नहीं मिला। यह 19 हजार करोड़ किन लोगों के पास गया, यह बैंकों के पास गया, बैंकों के अंदर जो नॉन-परफार्मिंग असैट्स हैं, उनमें चला गया। लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर लगभग छः करोड़ किसान और मजदूर शुगर इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं। केवल यूपी में तीस हजार करोड़ रुपये का व्यवसाय है। हमारी सरकार रोजगार के अवसर खोलना चाहती है और मिल

मालिक कहते हैं कि हम मिल बंद करना चाहते हैं। दुर्भाग्य की बात इस देश में यह है कि मिल मालिक कोर्ट में जा सकते हैं, उनका पैसा किसानों का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। बैंक्स कोर्ट्स में जा सकते हैं और किसान दो-दो सालों से अपने पैसे के लिए अगर कोर्ट में जाना चाहता है तो उसके पास जाने के लिए पैसा नहीं है।

महोदया, मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे, जो इससे संबंधित हैं, आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं। क्या कभी सरकार ने कारखानों के उत्पाद जैसे साबुन, कपड़े और जूते के भाव तय किए । फिर हम गन्ने का भाव क्यों तय करते हैं? क्या कभी हमने न्यूनतम मज़दूरी एक्ट, मिनिमम वेजिज एक्ट, मनरेगा जो किसान परिवार खेतों में काम करता है, क्या कभी उसके लिए लागू किया। हर साल बजट बनता है, हर साल बजट बनने से पहले जब सरकार पेश करती है, हम लोग इंडस्ट्रीज ग्रुप को बुलाते हैं, एसोचैम को बुलाते हैं, फिक्की को बुलाते हैं, क्या आज तक पिछले 67 सालों में कभी हमने किसानों को बुलाकर पूछा कि आप लोगों की क्या समस्या है, बजट में क्या किया जाए। हमने उनसे कभी इस बात को नहीं पूछा है। अभी राजू शेट्टी जी यहां नहीं हैं। एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन बनता है। डा. स्वामीनाथन कमेटी के ऊपर यहां चर्चा हुई। डा.रंगराजन कमेटी के ऊपर यहां बात हुई। मेरा सबमिशन सदन में इतना ही है कि इन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन के अंदर ऐसे लोग आये, जो किसानों की समस्याओं को जानते हों और किसानों के घरों में पैदा हुए हों। ऐसे कितने लोग आज तक हुए हैं, जिन्हें किसानों के आयोग में बैठाया गया हो।

हम लोग चीनी रिकवरी की बात करते हैं। यूपी में रिकवरी बहुत कम है। [अनुवाद] यूपी में 9 परसैन्ट रिकवरी है, महाराष्ट्र में 11 परसैन्ट रिकवरी है, केरल में 7 परसैन्ट रिकवरी है। [हिन्दी] 67 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने गन्ना रिसर्च पर कितना पैसा खर्च किया है। 6600 करोड़ रुपये बैंकों को बिना ब्याज का पैसा देने के लिए मंत्री जी ने कहा है। हम बिना ब्याज का पैसा पांच साल के लिए देने के लिए तैयार हैं। क्या हम लोगों ने गन्ने की रिसर्च पर 1600 करोड़ रुपये खर्च किया है। हम लोगों ने आज तक गन्ने की नस्ल में सुधार क्यों नहीं किया? क्यों हम लोग उसकी नई टैक्नोलॉजी नहीं लाए? अगर महाराष्ट्र के अंदर रिकवरी इतनी ज्यादा है तो यूपी के अंदर क्यों नहीं हो सकती है? सन् 1975 में ब्राजील के अंदर कहा कि वहां पर गन्ने से इथनॉल बनती है। पैट्रोल के अंदर उसकी ब्लेंडिंग (मिलाया जाना) की जाती है या एल्कोहल से वहां गाड़ियां चलाई जाती है।

इसको 39 साल हो गए। सन् 2001 में तब के माननीय पैट्रोल मंत्री श्री राम नाइक ने कहा था कि इस भारत सरकार ने अभी तक चार कमेटियां बनाई हैं, छह टैक्निकल कमेटियां बनाई हैं। लेकिन आज तक इस हिंदुस्तान के अंदर पैट्रोल इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री का आपस में समन्वय नहीं हो पाया है कि हम कितना इथनॉन पैदा करेंगे। प्रतिवर्ष 144 बिलयन अरब रूपये का हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट (आयात)करते हैं। अगर हम इथनॉल को बनाते, इथनॉल से गाड़ियां चलाते, एल्कोहल से गाड़ियां चलाते तो बाहर के देशों पर हमारी जो निर्भरता है, वह खत्म होती और इस देश का स्वाभिमान बढ़ता। गन्ने का सीज़न शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र और यूपी में हर बार धरने होते हैं, हर बार डिमोंस्ट्रेशन होते हैं कि गन्ने का भाव तय करो। सरकार पंचवर्षीय योजना तैयार करती है। क्या हम पांच साल पहले उसका भाव तय नहीं कर सकते हैं कि अगले साल किसानों को क्या भाव मिलेगा। वह गन्ना बोएगा या नहीं बोएगा, यह उसकी इच्छा है। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों एमआरपी, एमआरपी, एसएजी करते हैं? हम इसको 5 साल या 2 साल पहले तय क्यों नहीं करते है? यहां पर माननीय मंत्री जी और एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठे हुए हैं। एग्रीकल्चर कमेटी की एक टास्क फोर्स को मुझे अटैंड करने का मौका मिला। उसके अंदर इस देश के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। मैंने वहां पर कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारी कृषि नीति, हमारी कृषि शिक्षा, हमारे रिसर्च, हमारे डिवेल्पमेंट, हमारे फर्टीलाइज़र, सब का सब इस देश के हिसाब से नहीं है। जैसा विदेशी लोगों ने तय किया, वैसा ही हमने किया। आज हमारे किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? आज हमारे लोग भूखे क्यों मरते हैं? जो दूसरों के पेट को भरता है वह भूखे पेट क्यों रहता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश की कृषि नीति इलीट लोगों के लिए बनी हुई है, संभ्रांत लोगों के लिए बनी हुई है। भारतीय कृषि के ऊपर एक किताब आई है कि“ हाउ द अदर हाफ डाइस” सुसान जॉर्जद्वारा मतलब आधे लोग कैसे भूखे मरते हैं, उसे पढ़ना चाहिए। मैडम, जैसे नमक के बिना भोजन नहीं बनता, वैसे ही चीनी के बिना भी नहीं बन सकता। लेकिन चीनी कोई बल्क आइटम नहीं है। आलू और सब्जी की तरह हम उसको खाते नहीं हैं। हमारे देश के अंदर जितनी चीनी का उत्पादन होता है, उसका लगभग 35 पर्सेंट पीडीएस(सार्वजनिक वितरण प्रणाली)में जाता है। लेकिन 65 प्रतिशत बल्क में जाती हैं, कमर्शियल कम्पनियों को जाता है जैसे केक बनाने में जाती है, पेस्ट्री बनाने में जाती है, बिस्किट बनाने में जाती है, कोल्ड ड्रिंक बनाने

में जाती है। एक गरीब आदमी जिस भाव से चीनी खरीदता है, उसी भाव से ये वम्पनियां हज़ारों क्विंटल चीनी खरीदी जाती है। मेरा कहना यह था कि हम शुगर का डिफरेन्शियल प्राइज़ फिक्सेशन मैकेनिज़म क्यों नहीं कर सकते हैं? जो लोग हज़ारों क्विंटल चीनी खरीदते हैं, हम उनसे ज्यादा दाम क्यों नहीं चार्ज कर सकते हैं? जैसे एलपीजी के अंदर है कि जो चार सिलेंडर खरीदेगा उसको सब्सिडाइज़ रेट मिलेगा और जो 12 सिलेंडर ज्यादा खरीदेगा उसको ज्यादा देना पड़ेगा। क्या हम ऐसा नही कर सकते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए जो बल्क में चीनी खरीदता है, उसके लिए ज्यादा दाम रखे जाएं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह : मैडम, यह केवल मुद्दा नहीं है, यह बहुत ही विस्फोटक समस्या है। [हिन्दी] कल को ये भूखे लोग, अगर रोड़ पर आ गए तो बहुत मुश्किल होगी। ये मात्र किसानों की आर्थिक समस्या का प्रश्न नहीं है। यह सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न है। यह कानून व्यवस्था का प्रश्न है। कल को हम इसको काबू नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप मुझे थोड़ा और समय दें। ...(व्यवधान) मैं यह कह रहा था कि जितनी चीनी होती है, मेरे पास उसका पूरा रिकार्ड है, साल में एक लाख बीस हज़ार करोड़ रूपये का टर्न ओवर है इन कम्पनियों का, क्या हम उनको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से नहीं बेच सकते हैं। [अनुवाद] मेरा एक सुझाव है, हमने बहुत सी चीज़ों पर सैस लगाया है जैसे एजुकेशन सैस है, पैट्रोल सैस है, एनवायरमेंट सैस है, तो क्या हम शुगरकेन के ऊपर नहीं लगा सकते हैं, चीनी के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। [हिन्दी] हम मात्र पांच पर्सेंट सैस लगा दें तो भारत सरकार को पांच हज़ार करोड़ रूपये का फायदा होगा। हम पांच हज़ार करोड़ रूपये किसानों को दे सकते हैं।

मैडम, आज हम लोग शुगरकेन को केवल शुगर से जोड़ते हैं। हम शुगरकेन का वैल्यू एडिशन क्यों नहीं करते हैं? उससे बगास (खोई) से पावर बनती है, उससे इथिनॉल बनेगा, उससे एल्कोहल बनेगी, उससे दूसरी

चीज़ बनेगी। इस तरह से उसको वैल्यू एडिशन मिलेगा। जब उसका वैल्यू एडिशन करेंगे तो किसानों का फायदा होगा, मिल मालिकों को फायदा होगा।

महोदया, मैं मिल मालिकों के खिलाफ नहीं हूं। मेरा उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है, लेकिन मैंने किसान परिवार में जन्म लिया है, उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। मैंने तीस साल से ज्यादा कानून व्यवस्था का काम किया है। मुझे यह डर लगता है कि अगले कुछ दिनों में कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो सकता है तो हम कैसे उसे हल करेंगे?

एक माननीय सदस्य : आप इस चर्चा को नियम 193 के तहत करने की रिक्वेस्ट कीजिए।

माननीय अध्यक्ष : अब इनकी बात कंप्लीट हो गयी है।

डॉ. सत्यपाल सिंह : मै अंत में एक बात बताना चाहता हूं। हमारे बागपत के अंदर मलकपुर में एक मोदी इंडस्ट्रीज है, जिन्होंने इस मिल को लगाया है। जब से मिल लगा है, वर्ष 1998 से हर साल, कभी उसने किसानों को समय पर पैसा नहीं दिया, एक-दो साल के बाद वह पैसा देता है और मैंने खुद वर्ष 2012 और 2013 की उसकी बैलेंस शीट का अध्ययन किया है। 231 करोड़ रूपए, क्या उन्होंने कंपनी फ्रॉड किया है, मिल से पैसा निकालकर दूसरी कम्पनियों में पैसा लगाया है।

मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इसमें 420 आई.पी.सी.का मुकदमा दायर होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश के अंदर दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज बीमार हो जाती है, इंडस्ट्रीज (उद्योग) सिक हो जाती है, इंडस्ट्रियलिस्ट (उद्योगपति) कभी बीमार नहीं होता है, उसके ऐशो-आराम में कभी कोई कमी नहीं आती है। वे बीआईएफआर में जाते हैं, वे सीडीआर के अंदर जाते हैं, किसान बेचारा कहां जाएगा, उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। व्यापारियों के लिए फिक्की है, किसानों के लिए कोई फोरम नहीं है। यह सदन ही किसानों के लिए कुछ कर सकता है। यह मेरा आपसे निवेदन है।

मैंने इस बात को पहले भी कहा है कि हम लोग इसको एक व्यवस्था का प्रश्न मानें, इसे हम केवल एक आर्थिक प्रश्न न मानें। माननीय मंत्री जी, यह न मानें कि शुगर का प्राइस मार्केट फिक्स करता है या यह

सबज्युडिस मैटर है, तो इससे बात बनने वाली नहीं है। इससे व्यवस्था बिगड़ी जाएगी। इस देश के 65 प्रतिशत लोग अभी खेती पर अवलंबित हैं, अगर उनके बारे में हमारी प्रायोरिटी नहीं है, उनके बारे में हमारी प्राथमिकता नहीं है और गरीबों के लिए प्राथमिकता नहीं है तो फिर हमारी प्राथमिकता कहां है? महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं आपका आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती कृष्णा राज।

लम्बा भाषण नहीं देना है। [अनुवाद] केवल एक-एक क्लेरिफिकेशन पूछना है।

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि सम्पूर्ण देश में गन्ने के भुगतान का कुल 10,925.46 करोड़ रूपए बकाया है। हमारे उत्तर प्रदेश में सात हजार करोड़ रूपए का भुगतान बकाया है। वर्ष 2011-12 में 107.26 करोड़, वर्ष 2012-13 और वर्ष 2013-14 में क्रमशः 31.24 करोड़, 6,737 करोड़ रूपए, इस प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश में इतना धन गन्ना किसानों का बकाया है। मैंने यह देखा है कि इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में किसानों ने आत्महत्या की और वे भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। इतनी दयनीय स्थिति को मैंने देखा है।

मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि सम्पूर्ण देश के साथ-साथ हमारे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कराया जाए। यह हमारी आपसे अपेक्षा है।

[अनुवाद]

श्री जयदेव गल्ला (गुंटूर): महोदया, मैं अपना प्रश्न सीधे पूछना चाहता हूं तथा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इसका उत्तर दें।

वर्तमान में भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दे हैं - विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी और बुनियादी ढांचे की कमी । सिंचाई अवसंरचना, बाजार अवसंरचना और परिवहन अवसंरचना से संबंधित समस्याएं किसानों की कार्य लागत को बहुत अधिक बढ़ाती हैं।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे इस समस्या का समाधान कैसे करने की योजना बना रहे हैं।

दूसरे, सी.ए.जी. ने अपनी 2013 के प्रतिवेदन संख्या 7 में पाया है कि प्रत्येक फसल के उत्पादन की लागत निर्धारित करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया। हालांकि, उत्पादन लागत पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट मानदंड नहीं अपनाया गया, जिसके कारण साल दर साल इसमें भारी अंतर आया।

2006-07 और 2011-12 की अवधि के दौरान अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत और भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी के बीच का अंतर व्यापक रूप से भिन्न था जो गेहूं के मामले में 29 प्रतिशत से 66 प्रतिशत के बीच था तथा धान के मामले में 14 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच था।

खेती की लागत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापक रूप से भिन्न होती है। पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मजदूरी, भूमि मूल्य और इनपुट लागत अधिक होने के कारण ये दरें आमतौर पर कहीं अधिक हैं, जबकि अन्य राज्यों में ये दरें कम हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते समय इन दोनों बातों में किस प्रकार सामंजस्य बिठाएंगे।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष जी, डॉ. सत्यपाल सिंह जी ने जो विषय उठाया है, मैं उस सारे विषय से अपने को संबद्ध करता हूँ। मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा।

उत्तर प्रदेश में विशेषकर चीनी मिल, सरकार और बैंक अधिकारी - इनका एक ऐसा गठजोड़ बन गया है जो असंगठित किसानों का पूरी तरह से शोषण करता है। मैं मिल का नाम यहाँ पर नहीं लूँगा । मैं बैंक का नाम ले रहा हूँ - ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। मिल के अधिकारी बैंक के अधिकारियों से मिलीभगत करके फर्जी तरीके से किसानों की ज़मीनों के कागज़ात का उपयोग करके किसानों के नाम पर सस्ते ब्याज पर ऋण ले लेते हैं। यह प्रैक्टिस अनेक वर्षों से चली आ रही है, अखबारों में इसके विषय में छपता रहता है। चार प्रतिशत की

जो दर है, उस पर उनको 12 प्रतिशत के स्थान पर ऋण मिल जाता है और यह सौ करोड़, सवा सौ करोड़, डेढ़ सौ करोड़ की ट्यून का होता है। इसमें 100-200 किसानों के नाम तो ठीक होते हैं, बाकी वे सब फर्ज़ी नाम होते हैं। बैंक के अधिकारी, चीनी मिल के मालिक और सरकार - तीनों इसमें मिले हुए हैं। जो किसान का भुगतान नहीं कर रहे हैं, किसान की ही ज़मीन का उपयोग करके वे ऋण लेते हैं। इनकी जाँच की जाए और इनको बाध्य किया जाए। मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वे किसान का समय से भुगतान करें अन्यथा जैसी आशंका व्यक्त की गई है, विस्फोटक स्थिति है, बहुत तकलीफदेह स्थिति है, इसका समाधान किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : हुक्मदेव नारायण यादव जी, केवल एकाध प्रश्न, लंबा भाषण नहीं देना है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदय, मैं केवल समस्या के निदान के लिए दो बातें करना चाहता हूँ। पहली बात यह कि किसानों को सूद समेत पैसे का भुगतान मिल वाले नहीं करते हैं तो सरकार उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करे और सभी मिल मालिकों को जेल में बंद करे जैसे किसानों को बंद करते हैं।

दूसरी बात, खेती के उत्पाद की कीमत सरकार तय कर देती है लेकिन कारखाने के उत्पाद की कीमत तय नहीं करती है। हमारी कीमत कछुए की चाल से चले और उनकी कीमत घोड़े की चाल से दौड़े, तो हम औद्योगिक माल खरीदते समय मरते हैं। इसलिए एक राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण आयोग बनाया जाए जो औद्योगिक माल की कीमत निर्धारित करे और लागत मूल्य से डेढ़ गुना से ज़्यादा पर उद्योग का माल मार्केट में न बिके जिससे किसान बच सकें।

माननीय अध्यक्ष : कृषि मंत्री जी, इस पर आपको इंटरवीन करना है।

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह): महोदय, कृषि जिंसों के लिए सरकार की मूल्य नीति में उत्पादकों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने पर विचार किया जाता है ताकि उचित मूल्यों पर आपूर्ति उपबंध कराकर उच्चतर पूँजी निवेश एवं उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के विचारों तथा अन्य संबंधित कारकों पर विभिन्न कृषि जिंसों के लिए समर्थन मूल्य का निर्णय

करती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय अनेक महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है। इसमें शामिल हैं - उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, आदान उत्पादन मूल्य में समानता, बाज़ार मूल्यों में प्रवृत्तियाँ, मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, अंतर-फसल मूल्य समानता, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवन लागत पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार मूल्य की स्थिति तथा अदा किए गए मूल्य तथा किसानों द्वारा प्राप्त मूल्यों के बीच समानता। खेती उत्पादन की लागत में सभी अदा की गई लागतें शामिल हैं जिसमें किराये पर लिए गए मानव श्रम, बैल श्रम, मशीन श्रम तथा पंपसैटों के संचालन आदि के लिए डीज़ल और विद्युत की लागत सहित बीजों, उर्वरकों, खादों, सिंचाई प्रभारों जैसे सामग्री आदानों के उपयोग पर नकद एवं सामान्य के रूप में व्यय के अतिरिक्त पट्टे पर दी गई भूमि के लिए अदा किया गया किराया भी शामिल है।

कृषि लागत और मूल्य आयोग को 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों तथा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य की सिफारिश करती है। गन्ना, जिसके लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 22 फसलें शामिल की गयी हैं। यह फसलें हैं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, छिलके सहित मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, रामतिल, कपास, गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड, सरसों के बीज, कुसुम्भ, पटसन एवं खोपरा न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा किसानों के उत्पादन, उत्पाद के लिए उस समय प्रस्तावित न्यूनतम गारण्टी मूल्य के अनुरूप होता है, जब बाजार मूल्य उस स्तर से कम हो जाते हैं। जब बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में अधिक हो जाता है, तब किसान इस मूल्य पर उत्पाद को कहीं भी बेचने के लिए स्वतन्त्र है।

महोदय, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए इस बार बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने विस्तार से राष्ट्रीय बाजार स्थापित करने की जो घोषणा की है, राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठता के सम्बन्ध बना कर हम इस काम को करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, इनका पहला सवाल किसान के बकाये के बारे में है। इसमें दो मत नहीं है कि किसान का बकाया जब हम आए थे तो 13 हजार करोड़ रुपए था। सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की

है। उत्तर प्रदेश में 7261 करोड़ रुपए बकाया था। 31 जुलाई, 2014 तक यह घट कर 5741 करोड़ रुपया रह गया है। सरकार के द्वारा जो भी प्रयास हो रहा है, हम उसी प्रयास को कर रहे हैं। हमारा काम अलग है और राज्य सरकार का काम अलग है। हम एफआरपी तय करते हैं। हमारा काम है कि किसान की उपज का दाम तय हो और वह कैसे तय होता है, इस बारे में कृषि मंत्री जी ने बतलाने का काम किया है। हम अपने तमाम सदस्यों से जो किसान रहे हैं और हम शुरू से कहते रहे हैं कि उस समय भी नारा लगता था-

'करखनियां दामों का कीमत आने खर्च से ड्योढ़ा हो।

अन्न के दाम की घटती-बढ़ती आने-सेर के भीतर हो।'

यह नीति का विषय है कि यदि कारखाने का मालिक अपना दाम तय करते हैं, तो किसान क्यों नहीं अपनी लागत के अनुसार अपनी उपज का दाम तय कर सकता है। लेकिन केंद्र सरकार का जो दायित्व है, जैसे पिछली बार चीनी का सरकार ने 210 रुपए प्रति क्विंटल तय किया था, इस बार हमने 220 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। राज्य सरकार का काम गन्ने के मूल्य का भुगतान करवाना है। उसके बाद जैसा हमने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि राज्य सरकार को सारे के सारे पावर हैं और 14 दिनों के अंदर मिल मालिक को पैसे का भुगतान करना चाहिए। अगर मिल मालिक ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर 15 परसेंट की दर से सूद लगेगा। अगर इसके बाद भी अगर वह भुगतान नहीं करता है तो राज्य सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है। हमारा फैड्रल स्ट्रक्चर है। इसमें भारत सरकार से जितना बन पा रहा है, वह भारत सरकार करती है चाहे वह इस पक्ष की हो या उस पक्ष की हो। पीडीएस से लेकर हमारा जो सिस्टम है, उसमें हम यहां से पैसा देते हैं। जैसा अभी एक साथी ने कहा कि जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो कोका कोला वाले हैं, उनसे आप अधिक दाम क्यों नहीं लेते हैं। चीनी का मूल्य हम तय नहीं करते हैं। चीनी का मूल्य बाजार तय करता है। हम सिर्फ गरीब लोगों के लिए तय करते हैं। जो बीपीएल में हैं, बहुत राज्यों में तो बीपीएल को दिया ही नहीं जाता है। बिहार वगैरह राज्य में तो दिया ही नहीं जाता है, लेकिन जहां-जहां बीपीएल के परिवारों को दिया जाता है, उन्हें 13.50 पैसे की दर से दिया जाता है और उस पर हम सब्सीडी के रूप में 18.50 पैसे देते हैं। लेकिन जो ओपन मार्केट है, वह खुला

हुआ है कि किस दाम पर कोका कोला लेता है या किस दाम पर कोई दूसरा लेता है, उस बारे में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है।

इसमें हम लोगों ने अभी तक चार सहूलियतें देने का मन बनाया है और दे भी रहे हैं। एक इम्पोर्ट ड्यूटी के संबंध में है। अभी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, वह अभी 15% है। हम ने विचार किया है कि उसे बढ़ाकर 15% से 40% किया जाए। लेकिन उसमें हमें इस बात का डर है कि ज्यों ही इसे 40% करेंगे, मार्केट में चीनी का दाम चार-पांच रुपये किलो बढ़ जाएगा। हम तो वह किसानों के लिए करेंगे, लेकिन वह हमारे ही खिलाफ़ जाएगा।

उसी तरह से, एक्सपोर्ट इंसेंटिव की बात है। अभी वह 3,300 रुपये है। हमने उसे दो महीने के लिए सितम्बर तक बढ़ाया है और बढ़ाकर उसे 3,370 रुपये करने का काम किया है।

महोदया, अभी हमारे एक साथी इथेनॉल के संबंध में कह रहे थे। यह बात सही है कि विदेशों में, ब्राजील में इथेनॉल 84% तक मिलाया जाता है। हमारे यहां यह दो प्रतिशत था। हमने पेट्रोलियम मिनिस्टर से बातचीत की और वे इस पर राज़ी हो गए हैं। हम लोग इसे 10% तक मिलाने की छूट दे रहे हैं।

चौथी सहूलियत सॉफ्ट लोन के संबंध में है कि ब्याज रहित कर्ज़ दिया जाए। उसमें अभी 6,000 करोड़ रुपये तक सैंक्शन हो गया है। उसमें अभी तक 1,000 करोड़ रुपये बचे हुए हैं जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो अगले और दो सालों के लिए हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन, जरूरत इस बात की है कि पहले यह हो जाए।

जहां तक मिल मालिकों को जेल भेजने का सवाल है, मिल मालिकों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का सवाल है, यह सारा का सारा अधिकार राज्य सरकार को दिया हुआ है। [अनुवाद] हमारे यहां प्रॉब्लम यह है कि जो-जो राज्य डेवलप्ड हैं, जैसे महाराष्ट्र है, अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो वहां एक क्विंटल गन्ना में 11 किलो चीनी निकलती है। अगर बिहार में देखेंगे तो यह मात्रा सात-आठ किलो तक भी नहीं होती है। किसी-किसी एरिया में मिल मालिक किसानों से यह तय कर लेते हैं कि यहां आप इस फसल को उपजाइये , हम इसे लेंगे। लेकिन हमारे यहां उत्तर प्रदेश, बिहार में आज क्या है? उत्तर प्रदेश में भी यह देखा जाता है कि मिल

मालिकों के सामने, फैक्टरी के सामने बैलगाड़ी पर अपनी फसल लेकर किसान चार-चार दिनों तक खड़े रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उसमें से 25% फसल तो वैसे ही सूख जाता है।

एक मामला वेरायटीज़ वे संबंध में भी है। जो बढ़िया वेरायटी था, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। अब उस प्रतिबंध को हटाने की कार्रवाई की गयी है। इसलिए हमने कहा कि हमें हर स्तर पर इसे देखने की आवश्यकता है। इस संबंध में हम स्वयं चिंतित हैं। अगर गन्ना किसान सड़क पर उतर जाएं या मिल मालिक ही हड़ताल कर दें और कल यदि पैदावार कम हो जाए तो फिर तो इसका दाम बढ़ ही जाएगा। चीनी के मामले में यही होता है कि हर तीन सालों के बाद जब चीनी की पैदावार ज्यादा हो जाती है और उसका मार्केट में दाम कम हो जाता है तो गन्ना किसान दूसरे क्रॉप की ओर चले जाते हैं। फिर इसके बाद जब चीनी का उत्पादन घट जाता है तो दाम बढ़ जाता है। हम इस को कैसे बैलेंस करें, यह हमारे लिए सब से महत्वपूर्ण सवाल है।

हम तो किसान के परिवार से आते हैं, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते हैं कि मिल-मालिकों की ऐसी स्थिति बन जाए कि वे पैसा न दे सकें। हम गन्ने की न्यूनतम समर्थन मूल्य 210 रुपये प्रति क्विंटल तय करते हैं। उत्तर प्रदेश में यह तय किया गया कि किसानों को 290 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। यह उन्हें मिलना चाहिए, नहीं तो यह तय ही नहीं होना चाहिए। बिहार में यह कहा गया कि मिल मालिक 265 रुपये देगा। अगर मिल मालिक देगा तो यह देखना चाहिए कि वह देने की स्थिति में है या नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे सामने ये सारी समस्याएं हैं।

हमारी भावना किसान के प्रति भी है और मिल मालिक के प्रति भी है। हम उन से आग्रह भी करेंगे कि वे जो बार-बार यह धमकी देते हैं कि हम मिल नहीं चलाएंगे, हम इसे बंद कर देंगे तो अंततोगत्वा इस से किसका घाटा होगा? इस से राष्ट्र को घाटा होगा। इसलिए हमारे जो इम्पॉर्टेन्ट मिनिस्टर्स थे, हमने उन से बातचीत की। यहां मेनका जी बैठी हुई हैं, कृषि मंत्री राधा मोहन बाबू बैठे हुए हैं। इन लोगों के साथ-साथ, गडकरी जी, बालियान जी, कलराज मिश्र जी इत्यादि सभी लोगों को बुला कर हम ने बातचीत की जिस से समस्या का निदान हो सके। उसके तहत जो तीन-चार फॉर्मूला था, हम ने उसे लागू किया, उसकी घोषणा की। हम ने मिल मालिक को कहा कि आप को सुविधा मिलेगी। जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा कि ये लोग तो पैसा ले लेते हैं, लेकिन वे किसानों

को नहीं देते हैं। ऐसी बात इस बार नहीं है। उनको बैंक के माध्यम से पैसा मिलेगा और वह पैसा सीधे किसानों के खाते में ही जाएगा। दूसरी जगह वे इधर-उधर नहीं कर सकते हैं, वह उनको करना पड़ेगा। लेकिन हमने यह भी कहा है कि हम ये सहूलियतें भी पूर्णरूपेण तब देंगे, जब मिल-मालिक आ करके इस बात की गारंटी दे, वह जाकर किसानों की बकाया राशि का भुगतान करेंगे। इसके लिए हमने 14 तारीख को बैठक भी बुलाई है। उसमें मिल-मालिक भी रहेंगे, किसान के प्रतिनिधि रहेंगे, जो एस्मा एवं कोऑपरेटिव के हैं।

हम चाहते हैं कि एक बार बैठ करके इस समस्या का हल किया जाए, लेकिन हम राज्य सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि राज्य सरकार कानून के अंतर्गत अपनी कार्यवाही करें। इस बात को देखे कि जो किसान की बकाया राशि है, उसकी बकाया राशि महीने-दो महीने के अंदर किसान को मिल जाए, यह हम राज्य सरकार से अपील करना चाहेंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कल आपने इस पर बोला था।

... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है।...(व्यवधान) राज्य सरकार का क्या दायित्व है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा नहीं होता है, अब यह विषय खत्म हो चुका है।

जीरो ऑवर - श्री रामदास तड़स।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने बोला है कि इसे देख रहे हैं, आप क्यों चिन्ता करते हो?

... (व्यवधान)

08.08.2014
[हिन्दी]

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान महाराष्ट्र के विदर्भ में किसानों द्वारा आत्महत्या करने के संदर्भ की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि विदर्भ के किसान कर्ज से दबे हैं। किसानों को फसल की पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिलने एवं कई वर्षों से अतिवृष्टि एवं सूखा के कारण किसानों की फसल नष्ट हो जाती है।...(व्यवधान) जिसकी चिन्ता के कारण एवं कर्ज के बोझ से प्रतिवर्ष एक हजार से भी ज्यादा लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते रहे हैं। वर्ष 2006 में तत्कालीन सरकार ने कर्ज माफी योजना चलाई थी, उस समय जो कर्ज थे, वे आधे-अधूरे माफ हुए, बाकी बची राशि के आठ वर्षों में दुगुने होने के कारण फिर से ब्याज बढ़ गया है।...(व्यवधान) विदर्भ के सामाजिक संस्था, जन सेवक, जन प्रतिनिधि कर्ज माफी हेतु लगातार धरना प्रदर्शन एवं विचार-विमर्श करते रहे, किन्तु अभी तक इस पर कोई न्यायोचित विचार नहीं हुआ है। विदर्भ में मात्र चार प्रतिशत सिंचाई की व्यवस्था है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह पूर्वक विनती करता हूं कि विदर्भ के किसानों के कर्ज माफी हेतु 15सौ करोड़ रुपए का पैकेज दिलाने की कृपा करें, जिससे विदर्भ के छ: जिले क्रमश: वर्धा, यवतमाल, अमरावती, बूलढाणा, अकोला एवं वाशिम के किसानों का कर्ज माफ हो, ताकि वे अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें।...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): मैडम, आप सोमवार को कॉलिंग अटेंशन लेंगे या नहीं?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने बोला है कि अगले हफ्ते इसे देखेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उसे कब लेंगे, यह अभी तय नहीं हुआ है।

... (व्यवधान)

08.08.2014

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं,...(व्यवधान) जो मेरे दोनों चम्पारण जिले में नीलगाय का आतंक फैला हुआ है, उसके प्रति मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। हमारे यहां वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है। दोनों जिलों में किसानों की सैं सैकड़ों एकड़ की फसलें बर्बाद हो जाती है, क्योंकि इन पर कोई लगाम नहीं है। राज्य सरकार ने यह तय किया है कि आप इनको मार सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि अगर किसी के खेत में नीलगाय आई हुई है तो वह अपने खेत की रक्षा करे या वह एसडीएम से परमिशन लेने जाए। उसके बाद वह आकर उसको भगाए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध होगा कि फोरेस्ट मिनिस्ट्री को कह कर एक विशेष दल बनाया जाए, जोकि इन नीलगायों को जंगल में पहुंचा सके। हमारे यहां बाघों की संख्या भी कम हो रही है। किसानों को पूरे रूप से मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे कि किसानों की आजीविका चल सके।

अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. संजय जायसवाल जी द्वारा उठाए गए विषय से श्री अश्विनी कुमार चौबे जी अपने को सम्बद्ध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): मैं इस सभा के समक्ष केरल और कर्नाटक राज्यों से संबंधित एक बहुत गंभीर मुद्दा रखना चाहूंगा। एंडो-सल्फान के निरंतर उपयोग से मानव और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

मेरे अपने जिले कासरगोड में लगभग 11 पंचायतें प्रभावित हैं। अब तक 500 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 10,000 लोग उपचाराधीन हैं। यह सच है कि कासरगोड के निकटवर्ती क्षेत्र जैसे सुल्लिया और कर्नाटक

के निकटवर्ती हिस्से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। केरल सरकार ने विशेष पैकेज के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। राज्य सरकार के लिए अकेले मांगों को पूरा करना संभव नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे, महिलाएं और अन्य लोग कष्ट झेल रहे हैं। राज्य सरकार पिछली बार भी यह मांग कर चुकी है। केन्द्र सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। स्टॉकहोम कन्वेंशन ने पहले ही एंडोसल्फान पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही निर्णय लिया है। भारत सरकार ने भी निर्णय ले लिया है। मैं आपके सामने यह बात रखना चाहूंगा कि वेबसाइट पर यह देखा गया है कि यह जहरीला कीटनाशक कीटनाशकों की सूची में शामिल है। यह बेहद आपत्तिजनक है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय और जिनेवा कन्वेंशन के भी विरुद्ध है। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: श्री एम.बी. राजेश और श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर को श्री पी. करुणाकरन द्वारा उठाए गए मामले से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति है।

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं गुमशुदा एवं अनाथ बच्चों के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गुमशुदा एवं अनाथ बच्चे आश्रय एवं संरक्षण के अभाव में या तो तस्करी के कामों में लग जाते हैं या भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं या नक्सलवादियों के हाथ का खिलौना बन जाते हैं। देश के किसी न किसी अखबार में आये दिन बच्चों के लापता होने की खबरें छपती रहती हैं। देश भर में लगभग 800 गिरोह बच्चों की तस्करी के काम में लगे हुए हैं। औसतन लगभग हर घंटे में एक बच्चा देश के किसी न किसी कोने से लापता हो रहा है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 44 हजार बच्चे हर साल लापता हो जाते हैं, जिनमें से सिर्फ 11 हजार बच्चों का ही पता चल पाता है। वर्ष 2009 से वर्ष 2011 के बीच में लगभग एक लाख सतहत्तर हजार छः सौ साठ बच्चे लापता हुए, जिनमें से एक लाख बाईस हजार एक सौ नब्बे बच्चों

का ही पता चल सका है। अभी भी लगभग 55 हजार बच्चे लापता हैं। इनमें भी लगभग 64 प्रतिशत यानी 35, 615 नाबालिग लड़कियाँ हैं। एक और गंभीर बात है कि अस्पतालों से बच्चों के गायब होने की घटनाओं की संख्या में दिन-ब-दिन वृद्धि होती चली जा रही है। बच्चों की चोरी एवं खरीद-फरोख्त के गैर-कानूनी धंधों के कारण न जाने कितनी माताओं की गोदें सूनी हो जाती है और न जाने कितने बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि इसकी रोकथाम के लिए कानून न बने हों। कानून बने हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। कई बार लोग थाने में रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां जो पदस्थ पुलिस का ९टॉफ होता है, उन पुलिस कर्मचारियों को भी इन कानूनों के बारे में जानकारी नहीं होती है और कई बार पुलिसकर्मियों की उदासीनता के कारण बच्चे बरामद नहीं हो पाते हैं।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे आयोगों की सक्रियता बढ़ाने के साथ इस तरह के जो गुमशुदा और अनाथ बच्चे हैं, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस नीति बनाये जाने की पहल की जाये।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव सातव, श्री पी.पी.चौधरी अपने आपको डॉ. वीरेन्द्र कुमार जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा): महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र छत्तीसगढ़ में जांजगीर चाम्पा पॉवर हब बनने जा रहा है। यहां करीब 29 पॉवर कम्पनियों के साथ एक एम.ओ.यू. किया गया है जिससे उन्तीस हजार नौ सौ बत्तीस मेगावॉट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त चार हजार मेगावॉट के.एस.के. अकलतरा, एक हजार मेगावॉट तेंदूभांठा-मड़वा पॉवर प्लांट निर्माणाधीन है।

निर्माणाधीन पॉवर प्लांटों द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि भूमि अधिगृहीत कर जल स्रोतों का दोहन किया जा रहा है। निर्माण कार्य करने के पहले प्रभावित ग्रामीणों से किए गए वायदों से वे मुकर रहे हैं। किसानों को उचित दर से मुआवजा, विस्थापन, रोजगार की सुविधा नहीं दे रहे हैं। क्षेत्र के ग्रामीण, प्रभावित कृषक परेशान हैं। उन्हें दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है।

अपनी उचित मांग के लिए धरना-प्रदर्शन वे साथ आंदोलन करना पड़ रहा है। कंपनी द्वारा उनके विरूद्ध पुलिस में मामला दर्ज करने से बड़े, बूढ़े, नौजवानों, महिलाओं को जेल जाना पड़ रहा है।

<u>अपराह्न 1.00 बजे</u>

सरकार से मेरी मांग है कि प्रदेश में कम निर्धारित दर पर मुआवजा पुनर्वास प्रभावित परिवार के सदस्यों को नौकरी की गारंटी के साथ क्षेत्र में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ग्रामीणों विशेषकर तेंदूभांठा-मड़वा के विरूद्ध दर्ज समस्त पुलिस प्रकरण वापस लेते हुए की गई समझौता को क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल के बचे हुए विषय शाम को लिए जाएंगे। सभा अपराह्न 2 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 01.01 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजे बजे तक के लिए स्थगित हुई।

08.08.2014

<u>अपराह्न 02.02 बजे</u>

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजकर दो मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(**डॉ. एम. तंबिदुरै** *पीठासीन हुए*)

<u>नियम 193 के अधीन चर्चा</u>

देश में महिलाओं और बच्चों पर बढ़ते अत्याचारों को रोकने के लिए कड़े विधान की आवश्यकता

[अनुवाद]

माननीय सभापति : अब, नियम 193 के अंतर्गत मद सं.12 पर चर्चा होगी। डॉ. रत्ना डे अपनी बात जारी रख सकती हैं।

डॉ. रत्ना डे (नाग) (हुगली): महोदय, हाल के वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का मुद्दा चिंता का विषय बन गया है। यह बात अब धीरे-धीरे स्वीकार की जा रही है कि जब तक महिलाओं को अपने समाज में पूर्ण भागीदारी के अधिकार से वंचित रखा जाता रहेगा, तब तक राष्ट्र अपनी पूर्ण क्षमता हासिल नहीं कर सकते। लिंग आधारित हिंसा न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है बल्कि आर्थिक विकास को भी बाधित करती है और विकास के महत्व को कम करती है। इसे केवल भेदभाव को दूर करके तथा महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर ही समाप्त किया जा सकता है।

यहां मैं अपने राज्य पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। मेरी मुख्यमंत्री कुमारी ममता बनर्जी सीमित संसाधनों से महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने बालिकाओं की पढ़ाई में मदद के लिए *कन्याश्री* योजना शुरू की है। उन्होंने विभिन्न जिलों में महिला पुलिस थानों की

स्थापना, बालिकाओं के लिए छात्रावासों की स्थापना तथा लोकसभा में महिला उम्मीदवारों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण के लिए कदम उठाए हैं। बैंकों से परामर्श के बाद, वह स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण बढ़ाने में सक्षम हुई।

लैंगिक समानता और महिला अधिकारों का सिद्धांत हमारे संविधान में निहित है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है बल्कि उनके पक्ष में सकारात्मक भेदभाव की भी वकालत करता है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग आधी है। दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार की घटना से पूरा देश आक्रोशित हो गया था। मुझे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से है कि इस जघन्य अपराध के पीछे के लोगों को अभी तक सजा नहीं मिली है। देर से मिला हुआ न्याय , न्याय ना मिलने के सामान होता है । हमें यह देखना होगा कि फास्ट ट्रैक अदालतें न्याय देने में वास्तव में तेज हों। सभी खामियों को दूर करने की जरूरत है ताकि हम दोषियों को यथाशीघ्र दंडित कर सकें। तब से, दुर्भाग्यवश, देश के विभिन्न भागों से महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिनमें सबसे हालिया घटना मेरठ सामूहिक बलात्कार की है। महिलाओं के विरुद्ध इन अत्याचारों की सुनवाई के लिए केन्द्र सरकार को और अधिक विशेष अदालतें या फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने से कौन रोक रहा है? यह जानना दिलचस्प होगा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के बारे में पहली बार 11वें वित्त आयोग ने 2000-05 के लिए सोचा था, जो अत्याचारों के लंबित मामलों की तत्काल समस्या के समाधान के लिए एक *तदर्थ* संस्था के रूप में थी।

हम महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों के मुद्दे को वैश्विक घटना के रूप में नहीं ले सकते। महिलाओं और लड़कियों के समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान करने की तत्काल आवश्यकता है, जो शारीरिक और यौन शोषण, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक शोषण तथा सभी प्रकार के हमलों का शिकार होती हैं। समुदाय में बाल विवाह और जबरन विवाह, भ्रूण हत्या और महिलाओं की तस्करी सहित व्यापक और हानिकारक पारंपरिक प्रथाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहीं हूं क्योंकि इतनी कम उम्र में उनके जीवन में घटित

08.08.2014
ये अप्रिय घटनाएं उन पर अमिट प्रभाव छोड़ती हैं, तथा जब वे बड़े होते हैं तो जीवन के प्रति उनका नजरिया बदल जाता है।

किसी भी सही सोच वाले व्यक्ति के लिए यह जानना परेशान करने वाला है कि भारत में हर 26 मिनट में एक महिला के साथ छेड़छाड़ होती है; हर 34 मिनट में एक बलात्कार होता है; हर 42 मिनट में एक यौन उत्पीड़न की घटना होती है; हर 43 मिनट में एक महिला का अपहरण होता है; हर 93 मिनट में एक महिला को दहेज के लिए जलाकर मार दिया जाता है, और अंत में लेकिन दर्ज़ किए गए बलात्कारों में से कम से कम एक-चौथाई 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ होते हैं।

भारत में सबसे बड़ी युवा आबादी है - 42 प्रतिशत की आयु 18 वर्ष से कम है। हाल ही में स्कूली बच्चों के साथ हुई यौन उत्पीड़न की घटनाएं बड़ी दु:खद हैं। बैंगलोर के स्कूली बच्चों की दुर्दशा भयावह है। लेकिन यह कोई अकेली घटना नहीं है। हम अक्सर किशोर गृहों और अनाथालयों में बच्चों के शोषण के बारे में सुनते हैं। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन अनाथालयों और किशोर गृहों की निगरानी की जानी चाहिए। इन गृहों को बच्चों के यौन उत्पीड़न का अड्डा नहीं बनना चाहिए। कानूनों, अधिनियमों, प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों की कोई कमी नहीं है। लेकिन समस्या इसके कार्यान्वयन को लेकर है। यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित सभी कानूनों और अधिनियमों का अक्षरशः क्रियान्वयन हो तथा उन्हें समय पर न्याय मिले।

इस 16वीं लोकसभा में 62 सांसदों के साथ तथा भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद से महिलाओं को पंचायतों और नगर पालिकाओं में स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण प्राप्त है; और हम महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। भारत उस हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है जिस क्षेत्र में उसे बढ़ना चाहिए और हमें महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। यह वास्तव में सबसे बुरी त्रासदी है।

08.08.2014

महिलाओं और बच्चों के प्रति हिंसा के विरूद्ध सभी हितधारकों को व्यापक और व्यवस्थित रूप से प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से हिंसा को रोकने में पुरुषों की भूमिका होती है और इस भूमिका को और अधिक बढ़ाने तथा मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने के लिए न केवल स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रतिबद्धता दर्शाए जाने की आवश्यकता है, बल्कि मजबूत, समर्पित और स्थायी संस्थागत तंत्र द्वारा समर्थित व्यवस्थित और सतत कार्रवाई किए जाने की भी आवश्यकता है।

सरकार को आंकड़ों के व्यवस्थित संग्रह और प्रकाशन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथा गैर सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों या ऐसी गतिविधियों में लगे अन्य लोगों को सहयोग देना चाहिए। केवल कानून और कानून प्रवर्तन एजेंसियां महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को रोक नहीं सकतीं। महिलाओं को उचित सम्मान और समान दर्जा देने के लिए सामाजिक जागृति और समाज के रवैये में बदलाव की तत्काल आवश्यकता है। इस संबंध में, सभी हितधारकों को महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए गठबंधन बनाने हेतु आगे आना चाहिए।

अंततः, मैं एक ऐसे दिन और समय की उम्मीद में जी रही हूँ जब हमारे इस महान देश में महिलाएँ किसी भी प्रकार के अत्याचार का सामना किए बिना सम्मान और गरिमा का जीवन व्यतीत करेंगी तथा प्रत्येक बच्चा खेलकर, सीखकर और प्यार और स्नेह के साथ जीवन का भरपूर आनंद उठाएगा। यह कोई स्वप्न नहीं होगा। यह एक वास्तविकता बन जाएगी, बशर्ते हम सभी मिलकर प्रयास करें और समाज का हर व्यक्ति हमारी महिलाओं और बच्चों के प्रति इन पोषित लक्ष्यों में योगदान दे।

08.08.2014
[हिन्दी]

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुम्बई) : धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सबसे पहले यहाँ पर बैठी हुई सभी महिला सांसदों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने कल से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर दिल से अपनी बातें कही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद मैं श्री करूणाकरन जी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने महिलाओं के विषय में एक पुरुष ने नियम 193 के तहत चर्चा का मुद्दा उठाया, इसलिए उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, हम हर वक्त कहते हैं कि एक स्त्री के बहुत रूप होते हैं। नारी-शक्ति के रूप में हम बात करते हैं। हम यह भी कहते हैं कि नारी जननी है। हमारी संस्कृति भारत माता और गौ माता से शुरू होती है। इस भारतीय संस्कृति में कहीं न कहीं महिलाओं की जो अपेक्षा थी, उसकी उपेक्षा होती जा रही है। भारत में जिस अपेक्षा से महिलाएँ आगे बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसकी सुरक्षा और शिक्षा के लिए उपेक्षा होती जा रही है, उसको जो सम्मान मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है। जब हम स्त्री को नारी-शक्ति कहते हैं, स्त्री को देवी का रूप कहते हैं, जैसा कि मैं पिछली बार भी कही थी, अलग-अलग रूपों में स्त्री आपके सामने होती है। कभी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पोषक आहार देकर अन्नपूर्णा देवी का रूप बनती है, बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़ें इसलिए माँ सरस्वती का रूप लेकर नारी हर वक्त अपने बच्चों को पढ़ाती है जिससे समाज आगे बढ़ सके, इसलिए वह माँ सरस्वती का रूप धारण करती है। जब उस पर या उसके घर पर कोई आँख उठाकर देखे, तो नारी काली और चण्डी का रूप भी धारण करती है। ऐसी नारी की ताकत है।

सभापति महोदय, मैं इस विषय पर इतना ही कहना चाहती हूँ कि अभी बजट हुआ, इसमें महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गये, इसलिए भी मैंने धन्यवाद दिया। मैं मिनिस्टर श्रीमती मेनका गांधी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब से उन्होंने मंत्रालय संभाला है, रोज महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अत्याचार हों या उनके हक़ के लिए कोई कार्य हो, इन 60 दिनों में उन्होंने उसे किया है। मैं खुशनसीब हूं कि मैं उनके साथ वन्य प्राणियों के विषय पर काम करती आयी हूँ और इस विषय पर भी मुझे बोलने का मौका मिला। मैं इतना ही कहूंगी कि हम सब जानते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, हम सब जानते हैं। ये अत्याचार मानसिक रूप से तथा शारीरिक रूप से होते हैं। हमें हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए, यह भी अपेक्षा होती है, लेकिन कहीं न

कहीं इसकी उपेक्षा की जाती है। मैं एक शहर की महिला हूँ और खुद भी एक माता हूँ। शहरों में बहुत सारे मुद्दे आते हैं। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि आज मेरठ में कुछ हुआ, लखनऊ में कुछ हुआ, बदायूँ में कुछ हुआ और बंगलोर में कुछ हुआ, लेकिन हम ये कुछ शहरों के बारे में हम कहते हैं, जहाँ पर अखबार पहुंच पाते हैं और लोग पढ़ पाते हैं। आप यह सोचिए कि जब दलित महिला हो, पीड़ित महिला हो, छोटे समाज से आयी हुई महिला हो, उन पर अत्याचार बहुत होते हैं। जब माननीया मंत्री जी ने अपना मंत्रालय संभाला, तो उन्होंने कहा था कि उस मंत्रालय में मैं एक ग्रिवांस सेल बनाना चाहती हूँ, इसका मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जब महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, तो एक सामान्य महिला के लिए पुलिस चौकी तक पहुंचने में दिक्कत होती है। यदि पुलिस चौकी से ऊपर के स्तर पर जाना हो, तो वह एक पुरुष पुलिस से कैसे बात करें ? आप सोचिये कि जब एक महिला का बलात्कार होता है, तो मेडिकल जांच होने के लिए जो अपेक्षाएँ होती हैं, वह उस प्रकार नहीं हो पाती है। मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बजट में 33 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मी देश भर में हो, यह प्रावधान किया गया। इस प्रावधान में मैं गुजरात की मुख्यमंत्री श्रीमती आनन्दीबेन पटेल को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने 33 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियों का प्रावधान किया है। माननीय मंत्री जी ने सभी राज्य सरकारों को पत्र भेजा है कि हर पुलिस फोर्स में 33 प्रतिशत महिलाएँ आएँ।

हम सभी महिलाएं जानती हैं कि हमारे दिल में क्या होता है, हम क्या करना चाहती हैं, नारी रूप कैसे सशक्त होना चाहिए, बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ, गर्भ से लेकर बेटी आगे बढ़े, पढ़ाई में आगे बढ़े, शादी करने के बाद आगे बढ़े। हम सब यह चाहते हैं और उस पर हर वक्त बात करते आ रहे हैं, एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब किसी इंसान पर हमला होता है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उनके साथ खड़ा होता है, लेकिन जब किसी महिला पर कोई अत्याचार होता है, तो महिलाओं के लिए जिस प्रकार की अपेक्षा होती है कि राष्ट्रीय महिला आयोग उनके साथ सक्षम रूप से खड़ा रह सके, लेकिन वह खड़ा नहीं रह पा रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को स्वायत्तता एवं ताकत दी गयी है, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग के पास ऐसी ताकत नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में मैंने पढ़ा कि हर साल 15 करोड़ रुपये उस पर खर्च होते हैं। सोसाइटी की कुछ महिलाएं राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य होती हैं। साल में पांच

से छः बार बैठकें होती हैं, उसमें कुछ ज्यादा नहीं किया जाता है और साल में 15 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। आज अगर मुझ पर कुछ अत्याचार हुआ, तो मैं राष्ट्रीय महिला आयोग तक जा सकती हूं, उनसे बात कर सकती हूं, लेकिन जिसने मुझ पर अत्याचार किया, उस पर कोई पाबन्दी नहीं है कि वह महिला आयोग के प्रश्नों का उत्तर दे। यह बहुत अटपटी चीज है। जब महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़ा किया गया है, तो कहीं न कहीं उस महिला आयोग को ताकत, संरक्षण और स्वायत्तता देने की बहुत जरूरत है। जिस महिला आयोग में अब तक दो लाख केसेज पेंडिंग हैं, विक्टिम को हम मदद करना चाहते हैं लेकिन कल्प्रिट को पकड़ नहीं पाते हैं, 15 करोड़ रुपये महिला आयोग पर हर साल खर्च होते हैं और फिर उनकी बिल्डिंग्स बनाओ, सारे खर्चे करो, इन सब में 30-40 करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं, लेकिन महिला आयोग का एक भी मुद्दा सफल नहीं होता है। जब मीडिया में कोई दो-चार मुद्दे सामने आते हैं, तो उन पर चर्चा होती है। मैं इतनी ही अपेक्षा करती हूं कि सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरह सशक्त हो। मुझे लगता है कि लॉ मिनिस्टर ने इसकी शुरूआत भी की है, इसकी फाइल लॉ मिनिस्ट्री तक पहुंची है, इसलिए मैं माननीय विधि मंत्री जी से इस देश भर की महिलाओं की ओर से दरख्वास्त करना चाहती हूं कि इसका कानून जल्द पारित हो और राष्ट्रीय महिला आयोग को उसी प्रकार की स्वायत्तता दें, जिस प्रकार की स्वायत्ता नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को मिली है। जब वायएसआर की ओर से गीता जी बोल रही थी, तो वह कह रही थीं कि महिलाओं में जाति-पांति नहीं होती है। मैं यह मानती हूं और जब मैं खुद वोट मांगने जाती थी, तो मैं महिलाओं को नहीं कहती थी कि हिन्दू या मुस्लिम महिला हैं, दलित महिला या ब्राह्मण महिला है, मैं इतना ही कहती थी कि महिला की जाति, धर्म सिर्फ महिला है और उसका परिवार है। ऐसी महिला के साथ हम सशक्त रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रावधान करना बहुत जरूरी है। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरह सशक्त बनाया जाए और राष्ट्रीय रूप से एक ग्रीवांस सेल बनाएं जो तालुका तक, जिलों तक पहुंचाया जाए ताकि वहां पर महिलाओं की समस्याओं का निवारण हो।

बहुत सी महिलाओं ने यहां अनेक विषयों पर बातें कही हैं, किसी ने कहा झांसी की रानी मर्दानी खूब लड़ी, तो मैं इसको हर वक्त आक्षेप मानती हूं कि झांसी की रानी महिला था, उसको मर्दानी लड़ने की जरूरत

क्या था। [अनुवाद] उसके बारे में कहा जाता है - एक महिला के लिए एक पुरुष क्यों होना चाहिए? मैं सोचती हूं कि एक महिला के लिए पुरुष होना एक महिला की बर्बादी है। [हिन्दी] अपने संस्कार, अपनी सुरक्षा के लिए महिला खुद सक्षम है, उसको मर्दानी बनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ समानता की जरूरत है। जैसा मेरी दोस्त सुष्मिता जी ने कहा था कि हमें सिर्फ समानता चाहिए, जब समानता मिलेगी, तो हमें सब कुछ मिलेगा। जब राष्ट्रीय महिला आयोग को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरह ताकत मिलेगी क्योंकि मैंने सुना है कि फिर उसमें राजनीति हो जाएगी। जाति और धर्म के बहुत सारे कमीशन होते हैं, लेकिन महिला बिना जाति-पांत और धर्म की होती है, जब आप उसे ताकत देंगे, जब अपनी जननी को, अपनी बहन को ताकत देंगे, तो समाज सुधरेगा। जब समाज सुधरेगा, तो ही सबका विकास और सबका साथ लेकर जिस भारत का हमने सपना देखा है, वह भारत आगे बढ़ेगा। इतना ही कहना चाहती हूं। माननीय मंत्री महोदया से मैं अपेक्षा करती हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग को भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरह ही सशक्त बनाएं।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : सभापति महोदय, महिलाओं और बच्चों पर देश भर में जो अत्याचार हो रहे हैं, उसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाने के लिए इस सदन में चर्चा हो रही है। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस चर्चा में शामिल हो रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह देश वह देश है, जहां महिलाओं की पूजा होती है, बहन के रूप में , माता के रूप में। यह देश वह देश है जहां माता सीता जी की इज्जत बचाने के लिए खुद भगवान आए थे। यह देश वह देश है जिसके इतिहास में रानी झांसी जैसी वीरांगना हुई और माता साहिब कौर तथा माता भागो जैसी माताएं हुईं। इस देश में ऐसी दादी मां हुई माता गुजरी जी, जिन्होंने अपने छः और आठ साल के पौत्रों को दीवार में चिन जाने की प्रेरणा दी।

जिस देश में औरत की इतनी पूजा हो, जिसे समाज की जननी माना जाता हो, जिसके लिए हमारे गुरुओं और पीर-पैगम्बरों ने कहा हो, गुरु नानक देव जी ने कहा हो – "सो क्यू मंदा आखिए, जित जनिए राजान।" जो हमें जन्म देती है उसे बुरा कैसे कहा जा सकता है। मुझे इस बात का खेद है कि ऐसा मान-सम्मान पाने वाली औरत का आज देश में अपमान हो रहा है, उस पर अत्याचार हो रहे हैं। जिसे लेकर हम सदन में चर्चा कर रहे

हैं। हम रोज़ समाचार पत्र पढ़ते हैं कि कहीं रेप हुआ, कहीं किसी दफ्तर में किसी महिला के साथ उसके इम्प्लॉयर द्वारा सेक्सुअल हेरास्मेंट हुआ।

ऐसी जो अपमानजनक स्थिति है, उसे रोकने के लिए आज यहां चर्चा हो रही है। इस चर्चा में काफी सुझाव आए हैं, कानून बनाने की बात, उसे सख्ती से लागू करने की बात, महिला आयोग को और सशक्त बनाने की बात हुई है। मैं समझता हूं कि कानून तो पहले से ही बना हुआ है। लेकिन कानून उनके लिए है जो उसे मानते हैं। जो लोग अत्याचार करते हैं, अपराध करते हैं, उन्हें इस कानून का पता नहीं है, पता है। मैं समझता हूं कि कानून मनाने की जरूरत है, उसके लिए हमें अपने समाज का नजरिया या सोच बदलनी होगी।

इस देश में हमारी संस्कृति और सभ्यता ऐसी मानी जाती थी कि हम किसी की बहन को अपनी बहन और किसी की माता को अपनी माता के रूप में मानते थे। आज जो स्थिति है, वह हमारे सामने है। इसलिए सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि हम अपनी पुस्तकों में और पाठशालाओं में नैतिक शिक्षा को भी शामिल करके उसकी शिक्षा दें। आज हमारे समाज में पश्चिमी सभ्यता का जो प्रभाव पड़ रहा है, उसे रोकने की जरूरत है। जब तक हम अपने समाज का नजरिया और सोच नहीं बदलेंगे, हमारी जो नई जेनरेशन है, उन्हें अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ नहीं जोड़ेंगे , जो हमारे रिश्ते हैं, उनका अर्थ कोई माता-पिता अपने बच्चों को, कोई बहन अपने भाई को नहीं समझाएगा, मैं समझता हूं कि कोई कानून काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरत है भारत सरकार की ओर से मोरल वेल्यू का पाठ पाठ्य पुस्तकों में शामिल हो। इसके अलावा इस बारे में सेमिनार आयोजित किए जाएं। लोगों को इकट्ठा करके उनकी सोच बदली जाए, उन्हें समझाया जाए।

जहां तक बच्चों की बात है, हमें शर्म आती है इस बात पर कि हमारे देश में बाल श्रमिक बहुत ज्यादा हैं। बच्चों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, छोटी उम्र के बच्चों से काम लिया जाता है, कहीं आर्थिक स्थिति के चलते या सामाजिक सुरक्षा के कारण, तो उसके लिए मैं समझता हूं कि कानून बने हुए हैं इस बारे में, उनके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं न कहीं छूट दी जाती है, इससे अत्याचार को रोका नहीं जा सकता। मैं समझता हूं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, उन्हें हमें अगर आगे बढ़ाना है तो उनकी एजुकेशन के लिए, उनके रहन-सहन के लिए, उनकी दवा-दारु के लिए सरकार को प्रबंध करना चाहिए। उनके मां-बाप गरीबी के कारण बच्चों से नौकरी

करवाने के लिए मजबूर हैं, उससे भी उन्हें मुक्ति मिलेगी। मैं समझता हूं कि सरकार को ऐसे कानून की सख्त जरूरत है।

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस देश और समाज के महत्वपूर्ण विषय महिला और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की ओर दिलाना चाहती हूं। [हिन्दी] मैं जानती हूं कि मैं पहली सदस्य नहीं हूं जो इस विषय पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई है। मेरे से पहले काफी सदस्य इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। मुझे सबसे पहले यही कहना है कि अब बहुत हो चुका और इस विषय पर दो पक्तियां कहूंगी कि:-

"मार खाकर चुप रहूं मैं और हंसती भी रहूं
जुल्म की यह इंतहां है और तुमसे क्या कहूं
रूह तक घायल है मेरी जिस्म की तो छोड़िये
सोच कर तुम ही बताओ और मैं कितना सहूं
और मैं कितना सहूं, और मैं कितना सहूं।"

चाहे हम छोटी बच्चियों से शुरु करें या बड़ी बच्चियों से, बलात्कार आये दिन की घटना हो चुकी है। अभी 17 तारीख की घटना मेरे क्षेत्र बिलग्राम-मल्लावां की है। पांच साल की बच्चियों को और उनकी मां को अलग बांध दिया गया और उनके पिता के सिर पर बंदूक रख दी गयी, भाइयों को बांध दिया गया और उनके सामने उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया। यह वह शर्मनाक घटना है जिस पर अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गयी। जिसके लिए मैंने हरदोई के अंदर धरना दिया और जहां पर मुझे यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश शासन का आदेश है कि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस तरह की घटना के लिए हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? इस विषय पर मुझे आज बोलने का मौका दिया गया है। मैं अपनी पार्टी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। इस तरह की घटनाएं जब तक नहीं रुकेंगे, तब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी।

08.08.2014

सभापति जी, महिलाओं को मानसिक, शारीरिक और हर तरह से टॉर्चर किया जाता है। मैं जम्मू-कश्मीर की धरती पर पैदा हुई, वह मेरी जन्मभूमि है और उत्तर प्रदेश में मेरी शादी हुई। आज जब मेरी शादी हो गयी तो जम्मू-कश्मीर की धरती पर मेरा अधिकार खत्म हो गया। हम लोग पांच बहनें हैं। मुझे अपने पिता पर गर्व है जिन्होंने पढ़ा-लिखा कर मुझे यहां तक पहुंचाया। लोग अपने शो-रूम के बोर्ड पर आगे सन्स लिखते हैं, हमारे पापा ने जब शो-रूम खोला तो उन्होंने बोर्ड पर 'रवीन्द्र नाथ एण्ड डॉटर्स' लिखा। हम पांच बहनें हैं तो प्रॉपर्टी तो हमीं लोगों को देंगे। पापा ने कहा कि बेटा तेरे नाम पर मुझे कुछ करना है। लेकिन वहां पर यही हुआ कि इसकी शादी तो उत्तर प्रदेश में हो गयी है इसका अधिकार तो खत्म हो चुका है। यह महिला का अधिकार है। हमें कब अपना अधिकार मिलेगा? जब बेटा और बेटी बराबर हैं तो हमें कब अधिकार मिलेगा? मैं सदन के माध्यम से आज यही कहूंगी कि बेटी हो या बेटा अपने पिता के लिए दोनों बराबर हैं। नाम रोशन तो बेटी भी करती है, पहले कहते थे कि बेटा करता है लेकिन अब तो बेटी भी करती है। इसीलिए मैं जम्मू-कश्मीर की बात यहां पहुंचाना चाहती थी कि अगर हम वहां से बाहर आ जाती हैं तो क्या हमारा अधिकार अपनी जन्मभूमि से खत्म हो जाता है। हम महिलाओं को कब अधिकार और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा?

महोदय, मैं एक और बात सदन में बताना चाहती हूं। यह बहुत ही शर्मनाक है और केवल दो महीने पहले संडीला क्षेत्र की बात है। आज कल मोबाइल, कम्प्यूटर का चलन है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें नालेज मिलती है, लेकिन इसका जो गलत इस्तेमाल किया जाता है, वह ठीक नहीं है। एक शादीशुदा महिला अपने मायके जाती है। किसी तरह से उसे प्रेमजाल में फंसाया और उसके बाद उसका एमएमएस बना लिया। उसके बाद महिला को कहा कि अगर तुम मुझे फिरौती नहीं दोगी तो यह एमएमएस हर जगह मैं दिखाऊंगा। उसी एमएमएस का डर दिखाकर 32 लाख 50 हजार रुपया ऐंठ लिया। इस बारे में उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ नहीं कर रही है। एफआईआर लिखी गई और उसी व्यक्ति पर आठ केस चल रहे हैं लेकिन चूंकि वह इटावा के हैं इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके पति ने अपनी पत्नी को माफ किया और उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने स्वयं पैरवी की, लेकिन पुलिस ने उनका साथ नहीं दिया। जैसे आज कल " सावधान इंडिया " सीरियल टीवी पर दिखाया जाता है, लोग जागरूक हो रहे हैं। उन्होंने स्वयं तहकीकात की

और उसका पीछा करना शुरू कर दिया कि कैसे पुलिस उसे नहीं पकड़ती है। यह अचंम्भे की बात है कि पीछे पीड़ित महिला के पति की गाड़ी है और आगे विरोधी की गाड़ी है और पुलिस की गाड़ी सैंटर में है। उन्होंने पुलिस को कहा कि आप कहते हैं कि यह फरार है, लेकिन यह तो आपकी गाड़ी के आगे ही चल रहा है । क्या पुलिस इस अपराधी की हिफाजत कर रही है? पुलिस ने कहा कि यह अपराधी नहीं है, बल्कि कोई और है। महिला के पति ने अपनी गाड़ी उस विरोधी की गाड़ी के आगे लगाई और उस अपराधी को स्वयं पकड़वाया। यह उत्तर प्रदेश की पुलिस की कहानी है। इसके बाद भी उस अपराधी को जमानत पर छोड़ दिया और वह खुलेआम घूम रहा है। मैं चाहती हूं कि ऐसा कानून होना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा सख्त कानून हो कि जो बलात्कार करता है उसे छह महीने के अंदर फांसी की सजा देनी चाहिए क्योंकि जितना इनको छूट मिल रही है, उतना ही अपराध बढ़ता जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि इन्हें अधिक से अधिक सजा मिलनी चाहिए। हालांकि फांसी से अधिक सजा नहीं है। हम ऐसे लोगों को सजा तो दे रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को आज तक फांसी दी गई है? वे सरेआम बाहर घूम रहे हैं।

एक और घटना बताना चाहूंगी। एक बच्ची कम्प्यूटर सीखने के लिए जा रही थी। जैसे छेड़छाड़ की घटना आम हो गई है, बच्ची ने घर पर बताया कि उसे छेड़ा गया तथा बलात्कार करने की कोशिश की गई। पिता और भाई ने विरोध किया तो उन पर हमला किया गया। मैं शिवराजपुर की घटना बता रही हूं। तीन महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में ये सारी घटनाएं हुई हैं। इससे लगता है कि ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उस भाई और पिता दोनों पर चाकूओं से वार किए गए। दो महीने के बाद जैसे ही वे चलने लायक हुए वे मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं आपसे विनती करना चाहूंगी कि उन लोगों को इंसाफ मिले और ऐसा कानून बने कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे।

महोदय, मैं समझती हूं कि ऐसी घटनाओं के लिए हमारा समाज भी दोषी है। एक ऐसा वर्ग जिसमें रेप जैसे अपराधों को बहुत गंभीर अपराध नहीं माना जाता है और वे इसी जोश और गलतफहमी में ऐसे अपराध को अंजाम देते हैं। हमें इस सोच के लिए जागरूकता अभियान चलाने होंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इस क्षेत्र में मिल कर कार्य करने की जरूरत है। राज्य में जो लॉ इनफोर्समेंट मशीनरी है, जो अधिकारी इन

मामलों की तहकीकात करते हैं, उन अधिकारियों और विभागों को दुरुस्त करना होगा। मेरी यही विनती है और मैं कहना चाहूंगी कि " जिंदगी काटों भरा सफर है हौसले उसकी पहचान है, रास्ते पर तो सब चलते हैं जो अपना रास्ता बनाता है वही इंसान है। "

[अनुवाद]

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी): श्री सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे विद्वान मित्र श्री पी. करुणाकरन, नियम 193 के अंतर्गत इस चर्चा के माध्यम से वस्तुतः इस राष्ट्र की अंतरात्मा के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। मैं उन्हें इस नेक काम के लिए बधाई देता हूं। कल और आज हम इस सभा में महिलाओं और बच्चों के प्रति दयालुता की झलक देख रहे हैं। महिला सदस्य इस चर्चा में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। इसी तरह, पुरुष सदस्य भी भाग लेते हैं। चर्चा विभिन्न भाषाओं में हुई: हिंदी, अंग्रेजी और यहां तक कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी।

जहां तक दयालुता का संबंध है, यह एक अलग भाषा है। दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे पढ़ सकते हैं। सभा में इस चर्चा के दौरान हम यही देख रहे हैं।

तथ्यों और आंकड़ों की बात करें तो मैं यह कहना चाहूंगा कि अब तक जिन माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है, वे इसे व्यापक तौर पर बता रहे हैं। मैं इस पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। तो, हमें यह करना है। हम इन सभी चीजों को रोकने के बारे में सोच रहे हैं। जैसा कि नियम 193 के अंतर्गत चर्चा में कहा गया है, कठोर कानून की बहुत आवश्यकता है। मैं इस विचार से सहमत हूं। यह सब ठीक है। यह बहुत आवश्यक है। वर्तमान में भी हमारे पास प्रभावी कानून हैं। हम इस विषय पर और भी बात करेंगे।

दिसंबर, 2011 में भारत सरकार द्वारा न्यायमूर्ति वर्मा समिति नियुक्त की गई थी। इसने इस पर एक विस्तृत, व्यापक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसके आलोक में, इस संसद ने आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 और महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पारित किया। इसके अलावा भी कई अन्य कानून हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है?

08.08.2014

मैं भारत के लिए तैयार की गई ह्यूमन राइट्स इन इंडिया-स्टेटस रिपोर्ट, 2012 से एक विशेष प्रतिवेदन उद्धृत करना चाहूंगा। यह संयुक्त राष्ट्र में दूसरी सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा है। इस प्रतिवेदन में कहा गया है:

> "प्रतिवेदनों से पता चलता है कि हर 60 मिनट में दो महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, और हर छह घंटे में एक युवा विवाहित महिला को पीट-पीटकर मार दिया जाता है, जला दिया जाता है या आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है।" वर्ष 2010 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कम से कम 2,13,585 मामले दर्ज किए गये, जिनमें बलात्कार के 22,172 मामले, अपहरण के 29,795 मामले तथा दहेज हत्या के 8,391 मामले शामिल हैं। 359 महिलाओं को उनकी जाति, लैंगिकता, विकलांगता तथा अन्य स्थिति के कारण भी निशाना बनाया गया। दलित महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को लक्ष्य बनाया गया है, उनके विरुद्ध 360 प्रकार के अत्याचार किए गए हैं, जिनमें मौखिक दुर्व्यवहार और यौन अपशब्द, नग्न परेड, दांत, जीभ और नाखून उखाड़ना तथा हत्या सहित हिंसा शामिल है। ”

अत:, आंकड़े इस प्रकार हैं।

आइये अब हम देखें कि इस तरह की घटना का मूल कारण क्या है। कई कारण हो सकते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि शराब का प्रभाव मूल कारणों में से एक है। हर जगह ऐसा ही है। चाहे वह देशी शराब हो, विदेशी शराब हो या भारत में बनी विदेशी शराब हो, ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अलावा, स्कूलों के सामने भी विभिन्न प्रकार की नशीली दवाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। मैं कहूंगा कि शराब का प्रभाव घरेलू हिंसा का एक एकीकृत कारण है। जब हम शराबियों की बात करते हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि शराबी पति के लिए उसकी पत्नी की गरिमा क्या है? उसे अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है। हम देख सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक महिला जो अपने शराबी पति से पिटती है, वह कहां जाएगी? वह केवल रो सकती है। यही उसका भाग्य है।

08.08.2014

हम सभी संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के बारे में बात कर रहे हैं। हम निषेध के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? निःसंदेह, निषेध का प्रावधान संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। इसलिए मैं इस सभा से आग्रह करता हूं कि देश में शराबबंदी के बारे में गंभीरता से विचार किया जाए। जब तक हम इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रभावी उपाय नहीं करते, तब तक हम इस बुराई को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते।

मैं यहां एक और मुद्दा उठाना चाहता हूं। यह सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी का युग है। मेरे मित्र कह रहे थे कि आजकल हजारों चैनल प्रसारित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कई तरीकों से काम कर रहा है। सैटेलाइट कनेक्शन है। मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया और सब कुछ वहां मौजूद है। मैं पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि संचार प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग हमारे देश में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है।

मीडिया में महिलाओं की छवि एक सेक्स सिंबल के रूप में पेश की जाती है। उपभोक्तावाद महिलाओं को एक वस्तु और यौन वस्तु के रूप में उपयोग करता है। एक हद तक, यह उभरती पीढ़ी को अपराध के लिए उकसा रहा है। यदि कोई हमारे टीवी धारावाहिकों को देखेगा, तो हमें यह धारणा बनेगी कि हमारी महिलाएं केवल रोने के लिए ही पैदा हुई हैं - सभी टीवी धारावाहिकों में रोना-धोना चल रहा है। महिलाओं की सकारात्मक छवि बनाने के बजाय, टी.वी. धारावाहिकों ने यह धारणा बना दी है कि हमारी महिलाओं में कोई आत्मा ही नहीं है। उन्होंने हमारी महिलाओं के बारे में बहुत ही खराब धारणा और बहुत ही खराब छवि और नकारात्मक छवि बनाई है। मेरा मानना है कि मुक्ति आंदोलन में शामिल लोगों को - चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं - इस अवसर पर आगे आना चाहिए तथा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचारों के खिलाफ लड़ना चाहिए। भारत में महिलाओं की छवि क्यों कमतर आंकी जानी चाहिए? भारत ने रानी लक्ष्मी बाई, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और श्रीमती इंदिरा गांधी को जन्म दिया है। हमें ऐसे महान नेताओं पर गर्व है। हमें उन पर गर्व होना चाहिए। महिलाओं को इस बारे में सोचना चाहिए; महिला संगठनों को इस बारे में और अधिक सक्रिय ढंग से सोचना चाहिए।

अंत में मैं बाल मजदूरों के बारे में बोलना चाहूँगा। मेरे पास कल की *हिंदुस्तान टाइम्स* की न्यूज़ रिपोर्ट है, जिसमें लिखा है: दिल्ली में बाल श्रमिकों की स्थिति चौंकाने वाली है। हमारे पास बाल दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कई कानून हैं। रिपोर्ट कहती है, "हम नौकरियों में कम से कम एक दिन के आराम की अपेक्षा करते हैं, लेकिन पांच से 14 वर्ष की आयु के 65 प्रतिशत बाल श्रमिकों को काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती।" रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के 47 प्रतिशत बच्चे प्रतिदिन आठ से 10 घंटे काम करते हैं। यदि हम 15 से 18 वर्ष के बच्चों को शामिल करें तो यह आंकड़ा 70 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। यह बच्चों की दयनीय स्थिति है। यह चर्चा बहुत उपयोगी है एवं हमें इस पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। मुझे उम्मीद है कि सरकार बच्चों की इस दयनीय स्थिति को रोकने के लिए उपचारात्मक कदम उठाएगी।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय सभापति जी, आज हम सदन में देश में महिलाओं और बच्चों पर दिनों दिन बढ़ते अत्याचार जैसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सनातन समाज की धारणा रही है कि जन्म से ही परिवार और समाज में शिक्षा मिलती है कि कोई स्त्री मेरी माता, मां लक्ष्मी के रूप में होती है। हम उनका स्वतः सम्मान करते हैं। कुछ माननीय सदस्यों की राय से मैं सहमत हूं कि लड़की के जन्म लेने पर उत्सव नहीं होता है बल्कि शोक मनाया जाता है। मैं तो कहता हूं कि हमारे यहां लड़की के जन्म पर खुशी मनाते हैं, पूजा करते हैं। हां, कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जिनकी गंदी सोच और मानसिकता के कारण पूरा समाज बदनाम हो रहा है। हम सोचते हैं कि लड़की शिक्षित होकर परिवार का नाम रोशन करेगी, साथ ही साथ आगे चलकर अपने ससुराल में अच्छी परंपरा डालेगी। अतः लड़की तो दो-दो घर का नाम रोशन करती है। आज बिहार में हमारी पार्टी की सरकार है। 2005 में हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए पंचायतों में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। महिलाएं अगली पंक्ति में जाएं, इसके लिए उन्होंने हर तरह का उपाय किया। ...(व्यवधान) इस तरह से टोकाटाकी न करें। मेरे पास डाटा है। इस देश में जितनी भी जगह हैं, गुजरात को छोड़कर जिन प्रदेशों

में भाजपा की सरकार है उन्हीं प्रदेशों में सबसे ज्यादा बलात्कार और हत्याएं हुई हैं।...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं ...(व्यवधान) कृपया मुझे बोलने दीजिए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: श्री कौशलेन्द्र कुमार के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) ..[*]

श्री कौशलेन्द्र कुमार : मैं उन बिन्दुओं पर ध्यान नहीं देना चाहता हूं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस देश में बिहार पहला राज्य है, जहां महिलाओं को आरक्षण देकर इस देश के लोगों को सिखाने का भी काम किया और उसी के परिप्रेक्ष्य मे आज पूरे देश में महिलाओं को आरक्षण मिला। आरक्षण ही नहीं, बल्कि बिहार में अब बच्चियों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ...(व्यवधान) बिहार में साइकिल योजना चली, पोशाक योजना चली, छात्रवृत्ति योजना चली, उन योजनाओं को चलाकर हमारे पूर्व के मुख्य मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी ने आज पूरे देश में एक मैसेज दिया है कि महिला जब तक शिक्षित नहीं होगी, तब तक महिला आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती है और न बिहार की तरक्की हो सकती है।...(व्यवधान)

महोदय, मैं बीच में शायद थोड़ा भटक गया था। हर बच्ची के माता-पिता चाहते हैं कि हमारी बच्ची सुरक्षित हो, हमारी बच्ची...(व्यवधान) हम सब लोग साथ में थे, अब इस तरीके से कर रहे हैं। हर माता-पिता तब तक चिंतित रहते हैं, जब तक बच्ची घर वापस नहीं आ जाती है। हमारी बच्ची जब घर से निकलती है, स्कूल जाती है तो वहां छेड़छाड़ होती है, कालेज जाती है तो वहां छेड़छाड़ होती है। यदि हमारी बच्ची, बेटी, बहू आफिस जा रही है तो वहां भी वह सुरक्षित नहीं है। इस तरीके से आज जरूरत कानून को कड़ा करने की है। मैं तो कहता हूं कि माता-पिता की मर्जी से आज भी जो शादी होती है, उसमें चिंता का विषय यह हो गया कि जब माता-पिता बच्ची की शादी कर देते हैं तो शादी करने के बाद भी लड़की ससुराल में सुरक्षित नहीं रह

---

[*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पाती है। लड़की और उसके माता-पिता अपनी बेटी को वहां सुरक्षित महसूस नहीं करते है, क्योंकि ससुराल जाकर भी वहां के लोग कई प्रकार का लांछन लगाते हैं। कभी लड़का कहता है कि हमारी शादी माता-पिता ने की है, हम इस लड़की को नहीं रखेंगे। यह भी कहा जाता है कि हमने लड़की को देखा नहीं था, लड़की कम पढ़ी-लिखी है, इस तरह के लांछन लगाकर बच्चियों को छोड़ दिया जाता है और उन बच्चियों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। वैसे लोगों को भी चिह्नित करना चाहिए, ताकि बाद में जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उन्हें भी सुधारने की जरूरत है।

महोदय, अब मैं बच्चों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। हर साल बच्चे गायब हो रहे हैं और उन गायब बच्चों में लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है। 2013 में 7181 बच्चे गायब हुए, जिनमें से 45 परसैन्ट बच्चे मिले। आंकड़ों पर यदि गौर करें तो बच्चों के लापता होने का प्रतिशत बढ़ा ही है। [अनुवाद] 2011 में 20 प्रतिशत, 2012 में 48 प्रतिशत और 2013 में 45 प्रतिशत बच्चों का कुछ पता नहीं चल पाया। [हिन्दी] इन सब कारणों से आज बच्चे यौनाचार के शिकार हो रहे हैं। समय की कमी को देखते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): सभापति महोदय, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज आपने एट्रोसिटीज अगेन्स्ट वूमैन एंड चाइल्ड विषय पर मुझे मेरी पार्टी की ओर से बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और आपके संज्ञान में एक चीज लाना चाहता हूं कि जब हम एट्रोसिटीज एगेन्स्ट वूमैन की बात करें, चाइल्ड की बात करें, इस देश के जो हालात हैं, वे दिन-प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं।

अगर हम एनसीआरबी के सन् 2013 के डाटा की बात करें तो हमारे देश में 30 प्रतिशत क्राइम महिलाओं और बच्चों के लिए बढ़ा है। हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, मगर जब हम बिल्कुल नीचे ले कर जाएं, प्राइमरी शिक्षा की बात करें तो आज भी हमारे देश के अंदर छह प्रतिशत लड़कियां पांचवी कक्षा से पहले स्कूल छोड़ने का काम करती हैं। जहां हम सैकेंड्री एजुकेशन की बात करें तो 14 प्रतिशत लड़कियां शिक्षा छोड़ने का काम करती हैं और कॉलेज की बात करें तो सिक्योरिटी कंसर्न्स कह लीजिए, परिवार की चिंता कह लीजिए, लगभग

08.08.2014

40 प्रतिशत लड़कियां कॉलेज में जाना छोड़ देती हैं। [हिन्दी] आज हम इंवेस्ट कहां कर रहे हैं? जहां यूनेस्को कहता है कि हमें अपनी जीडीपी का 20 प्रतिशत हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए। आज हमारे देश की जीडीपी का केवल 3.3 प्रतिशत हिस्सा ही शिक्षा पर खर्च होता है। हमारे पड़ोस के राष्ट्र चाहे वह नेपाल हो, भूटान हो या फिर श्रीलंका हो, आज उनका डाटा उठा कर देखें तो वे देश लगभग 4-5 प्रतिशत शिक्षा पर इंवेस्ट करते हैं। अगर ब्रिक्स नेशंस की बात करें तो उसमें से ब्राज़ील अपनी जीडीपी का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है। रशिया की बात करें तो वह साढ़े छह प्रतिशत इंवेस्ट करता है। हमें इंवेस्ट करना होगा। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान में 200 करोड़ रूपये देने का प्रावधान किया गया है। हम महिलाओं को हमारी सोसाइटी का बैटर हाफ कहते हैं। जब बैटर हाफ की बात करते हैं तो वहां 200 करोड़ रूपये से काम नहीं चलेगा। हमें उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और ज्यादा इंवेस्ट करना पड़ेगा। हमारी पार्टी के मुखिया चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी का यह कहना है कि बेटी पढ़ेगी, जब बेटी बढ़ेगी। उस मुहिम के साथ उन्होंने हरियाणा प्रदेश में एक योजना शुरू की लाडली योजना। अगर किसी के घर के अंदर एक बेटी पैदा होती थी, तो उसको साढ़ सात सौ रूपये दिए जाते थे और दूसरी बेटी पैदा होती थी तो पांच सौ रूपये पेंशन के तौर पर दिए जाते थे। माता-पिता उस बेटी का कत्ल करने का काम न करें। आज अगर आंकड़ों की बात करें तो हमारे देश में फीमेल फीटिसाइड के केस दिन प्रति दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं। डाक्टरों के पीछे पुलिस लगा-लगा कर अल्ट्रासाउंड की मशीनें पकड़नी पड़ रही हैं। सरकार को इस चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा। सोसाइटी के इस तरह के जो इल्स हैं, उनको कहीं न कहीं रोकना पड़ेगा। मैं तो सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि जिस तरह की मुहिम चौधरी देवी लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में चलाई थी, बच्चे पढ़ा नहीं करते थे कि उनको एक रूपये का लालच दिया गया था कि आप एक रूपये लो और स्कूल में आओ। उस तरह का कहीं न कहीं हमें हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए एक योजना बनानी पड़ेगी, जिसके तहत 40 प्रतिशत हमारी बहनें हैं, जो कॉलेज जाने से पहले शिक्षा छोड़ देती हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं सोसाइटी के अंदर इंक्लूड कर उनको शिक्षित कर इस समाज में बराबरी पर लाने का काम करना होगा।

08.08.2014

अगर हम बच्चों के अगेंस्ट क्राइम्स की बात करें तो इस देश के अंदर सन् 2012-13 में 10 प्रतिशत हत्याओं में वृद्धि हुई है। इंफेंटिसाइड्स के केसेज़ 28 प्रतिशत इंक्रीज़ हुए हैं। बच्चों के रेप के केसेज़ 20 प्रतिशत इंक्रीज़ हुए, बच्चों की किडनैपिंग में 20 प्रतिशत इंक्रीज़ हुई है। आज अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां पर सीसीटीवी कैमरों में देखा जाता है कि सोते हुए बच्चों को उठा लिया जाता है। मॉलस के अंदर से बच्चे किडनैप कर लिए जाते हैं। सरकार को इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को और बच्चों को बैगर्स बना कर आज स्ट्रीट पर उतारा जाता है, उसके खिलाफ भी सख्त कानून बना कर उनकी सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाने होंगे। जहां हमारी माताओं-बहनों की बात आती है आज वॉयलेंट क्राइम्स के केसेज़ 11 प्रतिशत इंक्रीज़ हुए हैं। क्राइम अगेंस्ट विमन के 41 प्रतिशत केसेज़ इंक्रीज़ हुए हैं। ह्युमैन ट्रैफिकिंग के केसेज़, अगर पिछले साल की बात करें तो उससे पिछले साल सिर्फ 3450 केसेज़ इंक्रीज़ हुए। हमारे प्रदेश की बात करें तो सन् 2004 के अंदर साढ़ तीन सौ रेप के मामले दर्ज हुए थे और इस साल बात करें तो 971 रेप के मामले दर्ज हुए हैं। फिर भी हमारे मुख्य मंत्री यही कहते हैं कि हरियाणा नंबर वन है। हरियाणा के अंदर एक अपना घर जैसा कांड हुआ था, जो इस सदन के अंदर भी गूंजा था। जहां हरियाणा के तीन विधायकों का नाम आया था और वहां 12 साल की, 15 साल की और 17 साल बच्चियों के साथ यौन शोषण करने का काम उन लोगों ने किया था। आज उसको ढाई साल का समय हो चुका है। सरकार की आंखें बंद पड़ी हैं। सीबीआई इंक्वायरी तक मार्क हुई। मगर आज तक सरकार ने उस संज्ञान में एक कदम आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक वाकया आपके सामने लाना चाहूंगा। बी.आर. अम्बेडकर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, उसके अन्दर पिछले से पिछले साल एक शिक्षिका थी,... ** उनके ऊपर उनके प्रिंसिपल ने छेड़छाड़ की। प्रिंसिपल का नाम मैं आपके बीच में नहीं लेना चाहूंगा।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: किसी व्यक्ति का नाम कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

08.08.2014
[हिन्दी]

श्री दुष्यंत चौटाला: मगर उस शिक्षिका ने दिल्ली प्रदेश के कोने-कोने के अंदर जाकर अपनी लड़ाई को लड़ने का काम किया, मगर 29 सितंबर, 2013 को जब वह पूरी तरह हार मान चुकी थी, इस दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री ऑफिस के आगे उसने सुसाइड करने का काम किया। हड़बड़ाहट में कांग्रेस सरकार ने इंक्वायरी मार्क की, मगर आज तक पिछले एक साल से उस इंक्वायरी को यह सरकार खत्म नहीं कर पायी।

मैं इस सरकार से यही निवेदन करूंगा कि उस बहन को इंसाफ दिलाने का काम यह सरकार करे। मैं दोबारा इस सरकार से यही कहूंगा कि हमारी माताओं और बहनों के लिए और इस देश के आने वाले भविष्य यानी हमारे बच्चों के लिए सख्त कानून बनाकर उनकी सुरक्षा के कदम उठाने का काम करें।

साध्वी सावित्री बाई फूले (बहराइच) : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। सदन में सम्मानित हमारे सभी मंत्रीगण, सदन में उपस्थित हमारे सभी सदस्यगण का सम्मान करते हुए कहना चाहूंगी कि मैं बहराइच (उत्तर प्रदेश) से पहली बार चुनाव जीतकर आयी हूं। मैं उन महापुरूषों को प्रणाम करती हूं, जिन्होंने गुलाम भारत को आजाद भारत के रूप में लाकर खड़ा किया है। मैं उन महापुरूषों के कृत्यों को नमन करती हूं, जिन्होंने समता, स्वातंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान का निर्माण किया, जिसकी बदौलत कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के माध्यम से देश का संचालन हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जन-गण-मन अधिनायक जय हे, वन्दे मातरम के माध्यम से सदन की कार्यवाही की शुरूआत होती है।

महोदय, मुझे बहुत खुशी होती है कि देश की आजादी में पुरूषों के साथ-साथ महिलाओं ने भी अपना बलिदान देकर देश को आजाद कराया। महारानी लक्ष्मी बाई, झलकारीबाई, उदा देवी, विरंगना बाई, यही नहीं खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देश की आजादी में जिस तरह से महिलाओं ने अपने को बलिदान होकर देश को आजाद कराने का काम किया, आज उन महिलाओं को गिरी निगाहों से देखा जाता है। मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहती हूं कि जब-जब गुलशन में खूं की जरूरत पड़ी तो पुरूषों के साथ-साथ महिलाओं

की भी गर्दन कटी, बावजूद इसके कहते अहेले चमन, यह चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। जब देश में चुनाव की बात आती है तो चुनाव में ग्राम पंचायत से लेकर और भारत की सबसे बड़ी पंचायत में पुरूषों के साथ-साथ महिलाओं की बराबर की भागीदारी होती है। सरकार बनाने में भी महिलाओं की भागीदारी होती है, लेकिन जब उनके अधिकार की बात आती है तो लोगों की मानसिकता साफ नहीं होती है। [अनुवाद] ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहती हूं कि जिस तरीके से मातृशक्ति के साथ घटनाएं हो रही हैं, चार साल की, छह साल की, आठ साल की, दस साल की बच्चियों से लेकर चालीस साल, पैंतालिस साल, पचास साल तक महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जाती है और सरकार मूकदर्शक बनकर देखती रहती है।

मैं उत्तर प्रदेश में घटित मात्र एक माह की घटनाओं को बताना चाहती हूं, जो रिकार्ड में हैं, 2 जून को बरेली के बहेड़ी क्षेत्र में युवती की सामूहिक दुष्कर्म के बाद गला घोटकर हत्या। 3 जून - सीतापुर के मिश्रिख में 15 साल की बालिका के साथ दुराचार कर शव पेड़ से लटकाया गया। 5 जून - महाराजगंज के अड्डा बाजार में किशोरी से दुष्कर्म के बाद जिंदा जलाने की कोशिश की गयी। 5 जून - एटा के बागवाला थाना क्षेत्र में दो नाबालिग बहनों के साथ दुराचार किया गया। 6 जून - फिरोजाबाद के फरिहा थाना क्षेत्र में पांच साल की बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया। 8 जून - बागपत जिले के बड़ौत में विवाहिता को नशीला पदार्थ सुंघाकर दुराचार का मामला सामने आया। 8 जून - आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना, छोटे लाल यादव की पुत्री पप्पी यादव के साथ परवानी गौढी थाना मोतीपुर जनपद बहराइच की लड़की का अपहरण। 12 जून - मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में युवती की दुराचार के बाद हत्या कर शव पेड़ से लटकाया गया।

<u>अपराह्न 3.00 बजे</u>

12 जून को बहराइच के रानीपुर थाना क्षेत्र के गोरिया गांव में महिला को सामूहिक दुराचार के बाद पेड़ से लटकाया गया। 14 जून को बदायूँ के बसौली में विवाहित महिला के साथ सामूहिक दुराचार किया गया। 14 जून सम्भल में पिता द्वारा नाबालिग बेटी से दुष्कर्म की घटना। 14 जून को कुशीनगर के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के साथ दुराचार किया गया। 14 जून को वाराणसी में फ्रांस की पर्यटक के साथ दुष्कर्म किया गया। 15 जून को अलीगढ़ के ताजपुर रसूलपुर गांव में दुष्कर्म के बाद युवती को पेड़ से लटकाया गया।

यही नहीं अभी-अभी मेरठ की घटना है। मेरठ में लड़की का अपहरण करके, उसके साथ गैंगरेप किया गया और उसका धर्म परिवर्तन कराने का काम किया गया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार के रहते हुए हमारी बहनों के साथ, छः साल, आठ साल और दस साल की लड़कियों के साथ दुराचार करके उनकी हत्या कर दी जाती है और सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। उस पर लीपापोती करने का प्रयास करती है।

<u>अपराह्न 3.01 बजे</u> (श्री हुकुम सिंह *पीठासीन हुए*)

मैं कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में तन बिक रहा है, वतन बिक रहा है, उत्तर प्रदेश में, यहां के उपस्थित सदस्य बुरा न मानें तो खुल कर कहती हूं कि हमारी मां बहनों का कफ़न बिक रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, उसका जीता-जागता प्रमाण है। उसके पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में लगातार महिलाओं के साथ घटनाएं होती थीं। चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या और अत्याचार बड़े पैमाने पर होता था। जनता ने विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी की पार्टी की सरकार को चुना और जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आयी है, तब से लगातार घटनाएं निरन्तर होती रहती हैं और सरकार मूकदर्शक बनकर के देखती रहती है। यही नहीं ... *ने कहा है- यदि लड़कों से गलती हो गयी है तो उनको सज़ा नहीं देनी चाहिए, उनको फांसी नहीं देनी चाहिए। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिता का हाल है। जो व्यक्ति इस तरीके से मनोबल बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश में कर रहा है, उस सरकार को वहां रहने का अधिकार नहीं है।

महोदय, मैं मांग करती हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया जाए। गरीबों की महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, वह तब तक नहीं रुक सकता है, जब तक कि उत्तर प्रदेश

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की सरकार और ... * मुख्यमंत्री पद से जाएंगे नहीं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी नहीं, तब तक मां-बहनों की रक्षा और सुरक्षा नहीं हो सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप लोग बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : जितने भी नाम लिए गए हैं, वह नाम नहीं आने चाहिए थे। वह अभिलेख से निकाल दिए जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग बैठ जाएं। सदन में शांति बनाए रखिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर (कन्नूर): माननीय सभापति महोदय, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संविधान, कानून और नियमों के अनुसार पुरुष और महिला समान हैं। लेकिन महोदय, क्या भारत में महिलाओं को समान अधिकार या लोकतांत्रिक अधिकार सही तरीके से मिलते हैं? जवाब 'नहीं' है'।

महोदय, कल हम एक संसद सदस्य के महिला-विरोधी और असंवेदनशील बयान से बहुत स्तब्ध रह गए, जब उन्होंने इस सभा में अपने भाषण में महिलाओं के ड्रेस कोड का हवाला देते हुए उन पर आरोप लगाया। यह आश्चर्य की बात है कि एक सांसद ने इस सदन में ऐसा भाषण देने की हिम्मत कैसे की। क्या इसका मतलब यह है कि पीड़ित ही उस यौन अपराध के लिए जिम्मेदार है? क्या हम कह सकते हैं कि तीन साल की बच्ची

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपने ड्रेस कोड के कारण अपराध के लिए जिम्मेदार थी? यह शर्मनाक है। यह बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक है। उन्हें सभा में माफी मांगनी चाहिए और अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए। यही मेरा आपसे निवेदन है।

लेकिन यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। जी हां, अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन सांसदों और यहां तक कि मंत्रियों जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे कुछ पुरुष नेताओं की ओर से भी अत्यंत असंवेदनशील और आपत्तिजनक सार्वजनिक बयान आ रहे हैं। क्या हम इस पर चुप रह सकते हैं? यह मेरा विनम्र प्रश्न है।

23 जुलाई को हरियाणा में जब शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधान सचिव से मिला और शिक्षकों की अनिवार्य ग्रामीण क्षेत्र प्रतिनियुक्ति में छह महीने का मातृत्व अवकाश शामिल करने की मांग की तो उन्होंने क्या कहा? उसने कहा: "क्या वे मेरी अनुमति से गर्भधारण करती हैं?" क्या हमें इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी है यह। "बलात्कार एक सामाजिक अपराध है, जो पुरुष और महिला पर निर्भर करता है। यह कभी-कभी सही होता है और कभी-कभी ग़लत।" उन्होंने आगे कहा, "किसी भी सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि बलात्कार ना हो।" एक मंत्री इस तरह का वक्तव्य कैसे दे सकता है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। … (*व्यवधान*) वह मध्य प्रदेश के मंत्री हैं।

एक और बात, जो मैं यहां कहना चाहती हूं वह यह है। कभी-कभी माननीय न्यायाधीशों और अदालतों से भी इस प्रकार की टिप्पणियाँ आती हैं। यह बहुत शर्मनाक है। एक निर्वाचित प्रतिनिधि खुलेआम उन महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और हत्या की धमकियां दे रहा है, जो उसकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं। यह भी हो रहा है। हमें ऐसा सुन रहे हैं कि " आप जाएं और उस महिला के साथ व्याभिचार करें हमारे देश में क्या हो रहा है? हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम हैरान हैं कि आपके सदन के एक निर्वाचित सदस्य की ओर से ऐसे दुस्साहसिक और महिला विरोधी बयान आ रहे हैं। यदि किसी निर्वाचित प्रतिनिधि की ओर से ऐसे बयान और व्यवहार आते हैं, तो संसद से निष्कासन सहित उसकी सजा पर विचार किया जाना चाहिए, जिसके लिए हमें सांसदों के लिए एक आचार-संहिता अपनाने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं आपकी अनुमति से मलयालम में कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ।

08.08.2014

*आज भी भारत के कई हिस्सों में महिलाएं हर मामले में पुरुषों से पीछे हैं। सत्ता में कोई भी सरकार हो, वह महिलाओं के लिए क्या कर रही है? सत्ता में बैठे लोग बयान तो देते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता। महोदय, हमारे पास राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, अध्यक्ष के रूप में महिलाएं हैं, जिनमें वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन भी शामिल हैं। मेरे सामने बैठी दो महिला मंत्री, श्रीमती मेनकाजी और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वे योग्यता और कुशलता में अपने पुरुष समकक्षों को पीछे छोड़ देती हैं। ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्हें अपनी काबलियत साबित करने का कोई मौका नहीं मिलता। महोदय, हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। हमारे देश के कई हिस्सों में महिलाओं को घरेलू गुलाम के रूप में देखने की मानसिकता आज भी मौजूद है। चाहे प्रशासक हों, या समग्र रूप से समाज के पुरुष हों, यह मानसिकता बदलनी चाहिए। मैं दो या तीन मांगें रखना चाहती हूँ।

माननीय सभापति : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर : हर राज्य में फास्ट ट्रैक महिला कोर्ट शुरू की जाए। तमिलनाडु में अम्मा जयललिता ने वनिथा महिला न्यायालय की स्थापना करके इसे पहले ही लागू कर दिया है। मैं मांग करती हूं कि सरकार को संसद में कानून पारित करना चाहिए और मैं इस संबंध में माननीय मंत्री मेनका जी से भी अनुरोध करूंगी कि संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाए।

माननीय सभापति: अब श्री एम. बदरुद्दीन अजमल बोलेंगे।

श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर : दूसरी बात यह है कि ऑनर किलिंग के खिलाफ कानून पारित करना होगा। वर्मा कमीशन प्रतिवेदन को तत्काल लागू किया जाए।

माननीय सभापति: मैंने अगले वक्ता को बुलाया है। इसलिए, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

---

* मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर : निर्भया योजना को भी तुरंत लागू किया जाना चाहिए।

[हिन्दी**]**

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं सबसे पहले पूरे हाउस का ध्यान एक बात की तरफ दिलाते हुए एक शेर कहना चाहता हूं :-

"वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे, फरिश्ते भी आंसू बहाने लगेंगे,

अगर भीड़ में खो गई आदमियत, उसे ढूंढने में ज़माने लगेंगे।"

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं, चाहे इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के हों। यहां इस वक्त जो विषय लाया गया है, वह हमारी मां, बहनों और बेटियों से संबंधित है। बेटी हमारी शान है, मां हमारी जान है, उसकी इज्जत, एहतराम हर घर में जरूरी है, हर मज़हब उसको इज्जत देता है। हमारे मज़हब में कहा गया कि मां के पैर के नीचे जन्नत है और बेटी जब पैदा होती है तो अल्लाह की तरफ से उसको सलाम आता है। उसको यह पैगाम आता है कि तुझे जन्नत में जगह मिल गई।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि यहां पार्टियों का सवाल नहीं आना चाहिए। यहां हमारी महिला बहनें बैठी हैं, यह एक ऐसा विषय है, जिस पर बात करते हुए सही मायनों में हमें शर्म आनी चाहिए। पार्टियों का बैरियर नहीं आना चाहिए, नहीं तो यह होगा कि इस पार्टी को गिराना है तो इस इलाके में इतने ज्यादा रेप करा दो, तो यह पार्टी गिर जाएगी। यह पोलिटीकल इन्फ्लुएन्स वेपन भी नहीं बनना चाहिए। हमारी मां-बहनें आज घरों एवं ऑफिसों में सुरक्षित नहीं हैं। कल हमारी एक महिला एमपी ने बड़े दुख के साथ अपनी घटना सुनाई। ये घर-घर की कहानी हो गई है। बच्ची को जब मां स्कूल में भेजती है, वह बड़ी मेहनत से अपनी जिन्दगी का पसीना बहा कर, खर्च करके अपनी बेटी को जब अच्छी नौकरी दिलाती है, बच्ची को जब

उठा कर भेजती है तो उसको यकीन नहीं होता कि शाम को उसकी बच्ची घर आएगी और आएगी तो इज्जत के साथ आएगी, जिंदा आएगी या मुर्दा आएगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को, आज महिलाओं का यह बिल है, कल जब इस पर चर्चा हो रही थी तो मैं सुन रहा था। 21 महिलाओं ने इस पर बोला, जब कि पूरी की पूरा 62 महिलाओं को इसके खिलाफ आवाज उठाने की सख्त जरूरत है। 35 परसैंट की डिमांड हो रही है, सब लोग इलैक्शनों में बड़े-बड़े भाषण देते हैं, लेकिन हाउस में आकर कोई उसको ईमानदारी से पास नहीं करता। जब तक हमारी मां-बहनों को, महिलाओं को हर जगह संरक्षण नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, पुलिस फोर्स एवं आर्मी में उन्हें जगह नहीं मिलेगी, अगर हम उनको दिल से इज्जत देना नहीं चाहेंगे, तो कभी उनकी इज्जत, हिफाज़त नहीं हो सकती। इस मामले में हम सब को गंभीर होना पड़ेगा। हमें यह सोचना है कि यह बेटी किसी ओर की नहीं, मेरे अपने घर में भी बेटी, बहन, मां एवं महिला है। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही - "कि बद नज़र पड़ने ही वाली थी किसी पर, लेकिन अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया।" ये दिल कांपना पड़ेगा, हमको इस दिल को धड़काना पड़ेगा। हमको उन लॉयरों से, यहां हमारे बहुत से मित्र लॉयर बैठे होंगे, मैं उनसे भी माफी के साथ यह कहूंगा कि सर, ऐसा कुछ कानून लाइए कि रेप के केस का जल्दी निपटारा हो। पहले सिर्फ रेप की बात होती थी, अब गैंग रेप की बातें आ रही हैं, क्योंकि कहीं न कहीं लड़कों के अंदर एक डर पैदा हो गया है कि अकेले हम एक लड़की को काबू नहीं कर सकते, सब मिल कर गैंग रेप करो। अकेला रेप कर लो, उसकी इतनी पब्लिसिटी नहीं होती है, गैंग रेप होता है तो पूरी दुनिया में टेलीवीजनों के द्वारा खबर पहुंच जाती है। आज टाइम्स ऑफ़ इंडिया में रिपोर्ट आई, निर्भया का जो केस हुआ था, उसके बाद से दिल्ली के अंदर 30 परसैंट टूरिस्ट कम हो गए। इसलिए कि लोग डरते हैं, फॉरेनर्स डरते हैं कि वहां उनकी मां-बेटियां महफूज नहीं हैं, हम अपनी मां-बेटियों को कैसे महफूज रखेंगे, किस भरोसे पर उनको भेजें? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इन महिलाओं के केस के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक बनाया जाए। वहां सिर्फ महिला मजिस्ट्रेट रखे जाएं। हमारी पार्टी का कहना है कि उन केसेज को महिला वकील लड़ें और उसके

खिलाफ जो लड़ने वाले वकील हैं, अगर वह गिल्टी पाया जाता है तो उनका लाइसेंस कैंसल किया जाए। यह मां-बहन की इज्जत का मसला है। यह घर का ईश्यू है। यह प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन के बाद भी हम इन्सान हैं। हमारे अंदर एक धड़कता हुआ दिल है। [अनुवाद] हमारी बेटी के ऊपर या किसी और की बेटी के ऊपर अगर अत्याचार होता है, तब मेरी आंख से आंसू निकलते हैं तो मैं इंसान नहीं हूं।

महोदय, इस मुल्क के अंदर जो एजुकेशन का सिलेबस है, मेरी पार्टी की डिमांड है कि उसके अंदर मॉरल चीजों को लाइए। उसको शुरू से सिखाइये कि हमारे हिन्दुस्तान की तहजीब क्या है? हमारे पुरखों के समय से हमारे हिन्दू धर्म में देवी-देवताओं के नाम से उनकी पूजा होती है। उनकी इज्जत लूटी जाती है और हम पार्टी की बात करते हैं तो हमारी पार्टी की यह भी डिमांड है कि इस किस्म की चीजों को सीरियसली लिया जाये। उनके सिलेबस में इसको दाखिल किया जाये।

हिन्दू, मुस्लिम और जो भी धर्म पूरे इंडिया में पाये जाते हैं, उसमें मां-बहनों की जो इज्जत है, उसको उनको सिखाया जाये। ये चीजें जब तक नहीं आयेंगी, हम जब तक अमेरिका की तरफ भागेंगे, इस मुल्क में हमारी मां-बहनें कभी भी महफूज नहीं हैं। इसी के साथ बहुत-बहुत शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): महोदय, हम नियम 193 के तहत देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों को रोकने के लिए कड़े कानून की आवश्यकता पर चर्चा कर रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का वर्ष 2013 का डेटा कहता है कि हमारे देश में हर 22 मिनट में एक बलात्कार का मामला दर्ज होता है। वर्ष 2013 में 33,707 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए जबकि दोषसिद्धि की दर केवल 27.1 प्रतिशत थी। ये केवल दर्ज मामले हैं। मेरा मतलब है कि ऐसी कई महिलाएं हैं, जो मामला दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आती हैं। हमारे महान देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले 3,09,546 हैं जबकि दोषसिद्धि की दर केवल

22.4 प्रतिशत है। महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध वर्ष 2009 में 9.2 प्रतिशत से बढ़कर 11.20 प्रतिशत हो गये हैं।

महोदय, हमने निर्भया अधिनियम पारित किया है। इस संबंध में क्या करने की आवश्यकता है? मेरे पास कुछ सुझाव हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दंड प्रक्रिया संहिता की दो धाराओं अर्थात् दोष सिद्धि से अपील और दोष सिद्धि के निलंबन के संबंध में क्रमशः 374 और 389 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। होता यह है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी अपीलीय अदालत में अपील करता है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि धारा 374 और 389 में एक उपयुक्त संशोधन लाया जाए कि जब तक माननीय उच्च न्यायालय अपील पर फैसला नहीं करता - अपील का फैसला उचित समय में किया जाना चाहिए – तब तक आरोपी को न तो जमानत दी जानी चाहिए और न ही उसकी सजा को निलंबित किया जाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण कदम है ।

वर्तमान में क्या हो रहा है? मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि निर्भया कानून के बाद दिल्ली में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, उनसे यह पता लगाया जाए कि 90 प्रतिशत आरोपी बरी हो चुके हैं। शेष 10 प्रतिशत ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील की है और जमानत पर बाहर हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि धारा 374 और 389 में यह उपयुक्त संशोधन यथाशीघ्र लाया जाए। सी.आर.पी.सी. की धारा 309 में साफ कहा गया है कि दो महीने के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना होगा।

मैं सरकार के ध्यान में एक महिला का क्लासिक उदाहरण लाना चाहता हूं, जो पुलिस के पास गई थी, उसने कहा, मेरे साथ तीन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और जब मैं मर रही थी, तो वे अपराधी मुझ पर हंस रहे थे। एक और महिला है, जो 55 साल की है, उसने कहा कि उसके साथ बलात्कार किया गया था और बाद में बलात्कारी उससे कह रहे थे, वे उसके साथ बलात्कार कर सकते हैं क्योंकि वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकती।

08.08.2014

तीसरा मामला एक महिला का है, जिसने अपने गांव में एक दर्जी और किराने का सामान बेचने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जब उसने शिकायत की तो आरोपी के पिता ने उसे सड़क पर लाकर उसकी कनपटी पर बंदूक तान दी और चेतावनी दी। उन्होंने चेतावनी दी, अपनी शिकायत वापस ले लो नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा -तेरी यह हिमाकत, तेरी यह हिम्मत

ये सभी मामले सामने आए हैं और इन मामलों में आप भलीभांति जानते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन सातों महिलाओं को एक-एक सुरक्षा गार्ड दिया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री सात महिलाओं के इन मामलों का संज्ञान लें, जिन्हें *आउटलुक* पत्रिका में व्यापक रूप से प्रतिवेदन किया गया है। क्या माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इन सात महिलाओं के मामलों में दोषियों को सजा मिले, जो बहुत बहादुरी और निर्भीकता से आगे आई हैं?

हमने कल उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी के लोगों को बड़े जोर-शोर से बोलते हुए सुना था कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन दस महीने में मुजफ्फरनगर मामलों में न तो एक भी गिरफ्तारी हुई है और न ही एक भी आरोप पत्र दाखिल किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं। वे बहुत ऊंचे स्वर में बात करते हैं। मुझे उनके इरादों पर संदेह नहीं है। लेकिन उनके इरादों और बड़े-बड़े दावों के बाद व्यावहारिक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया उन सात मामलों का संज्ञान लें जिनपर *आउटलुक* पत्रिका में मुजफ्फरनगर दंगा मामलों पर रिपोर्ट छपी हैं।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व, मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि शिक्षा को व्यापक रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को बदलना चाहिए। हम खुद को एक सभ्य समाज कह नहीं सकते जब 50 प्रतिशत जनसंख्या के ये आंकड़े हों और ऐसी विषम परिस्थितियां हों। अगर हमारी 50 प्रतिशत आबादी असुरक्षित महसूस कर रही है और बलात्कार जैसे अपराधों का शिकार हो रही है तो हम खुद को एक महान राष्ट्र नहीं कह सकते, हम खुद को एक महान सभ्यता नहीं कह सकते।

अंत में, महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कृपया उन संगठनों पर नियंत्रण रखें जिनकी संबद्धता आपसे है और जो *राखी* जैसे त्यौहार का उपयोग धार्मिक शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। यह क्या है? आप सत्ताधारी दल में हैं। आप सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन किस कीमत पर? यही तो सरकार को करना है। उन्हें उन संगठनों पर नियंत्रण रखना होगा जो पवित्र त्योहारों के नाम पर विभाजन पैदा कर रहे हैं, गलत संदेश भेज रहे हैं।

महोदय, एन.सी.आर.बी. डेटा - मैंने यहां वक्ताओं को सुना है - स्पष्ट रूप से कहता है कि 51 मेगा शहरों में, 92 प्रतिशत बलात्कार पीड़ित अपराधियों को जानते थे। इसलिए, कृपया इसे आपराधिक उद्देश्यों से न जोड़ें। मेरा आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी इस पर संज्ञान लें। यहां तक कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी उन सात महिलाओं से मुलाकात नहीं की है, जिनके मामले *आउटलुक* पत्रिका में व्यापक रूप से प्रकाशित हुए हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन्हें सुरक्षा दी है। मुझे आशा है कि सरकार इस बात पर खरी उतरेगी।

[हिन्दी]

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति महोदय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं महिलाओं की सुरक्षा के विषय पर बोलना चाहता हूं। वैसे तो, देश में बहुत-सी घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। पंजाब में 500 से भी ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां शौचालय ही नहीं हैं। वहां कोई शौचालय नहीं है, जिनके कारण लड़कियों को बहुत दिक्कतें आती हैं। मैट्रिक और हायर सेकेण्डरी स्कूल्स 10-10 किलोमीटर्स की रेंज में हैं। वहां पर स्कूल जाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से शटल सेवा या बस सेवा जैसा कोई प्रबंध नहीं है। लड़कियां बसों के पीछे लटक कर स्कूल जाती हैं या वे स्कूल पैदल जाती हैं। वे अजनबियों से राइड लेती हैं जिससे उनके साथ छेड़-छाड़ की घटनाओं में वृद्धि होती है। इसके कारण, इंटैलिजेंट लड़कियों को उनके माता-पिता स्कूल से निकाल लेते हैं। वह कहते हैं कि हमें स्कूल में लड़कियों को नहीं पढ़ाना है। हमारे लिए इज्जत ज्यादा बड़ी है। इन्हें पढ़ कर क्या करना हैं? ये तो पराई हैं। दिक्कत यह है कि माता-पिता के घर पर भी कहा जाता है कि तू बेगानी है। जब ये ससुराल जाती हैं तो वे कहते हैं कि तू पराई है। महिलाओं का तो धरती में कोई हिस्सा ही

नहीं है। माननीय सांसद कह रहे थे कि क्या जम्मू-कश्मीर की धरती में आपका हिस्सा नहीं है? पंजाब में लड़कियों की लोहड़ी मनाने का एक पॉजिटिव साइन है। गुरुनानक देव ने अपनी वाणी में लिखा है - 'सो क्यों मंदा आखिए जीत जम्मे राजान'। जो राजाओं को पैदा करती हैं उनको आप कैसे मंदी भाषा में बोल सकते हैं? वाणी में यह भी लिखा है कि 'एति मार पई कुर्लाने तै कि दर्द न आया'। औरत कुरला रही है और राजाओं को दर्द नहीं हो रहा है, उनको दया नहीं आ रही है। ऐसे में एक तरफ तो हमारे देश के रॉकेट मंगल ग्रह पर गए हैं। दूसरी तरफ, हमारे यहां दहेज उत्पीड़न और कोख में कत्ल हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आती है कि हम कौन-सी सदी की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो पूरे देश में ऐसा होता है। जब भी नर्सेंज हड़ताल करती हैं, डॉक्टर्स या बेरोजगार लोग हड़ताल करते हैं तो मेल पुलिसमैन लड़कियों की पिटाई करते हैं। तीन-चार दिन पहले पंजाब में ऐसी घटना हुई जिससे एक लड़की की आंख चली गई, उसे 24 स्टिचेज लगे। अगर करना हो तो बहुत कुछ हो सकता है।

हमारे वहां एक डिस्ट्रिक्ट शहीद भगतसिंह नगर है। वहां एक डिप्टी कमिश्नर आए। उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला। वहां लड़कियों की गिनती लड़कों से कम थी। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के सभी डाक्टर्स को कहा कि आपके पास जो भी प्रैगनैंसी के केस आएंगे, वे हमें थाने में एड्रैस के साथ देकर जाइए। जब केस थाने में जाने लगे तो पुलिस उनके घर में जाने लगी कि आपका केस हमारे पास आया है। अगर कोई दिक्कत आए तो बताइए। नौ महीने बाद उन्होंने चैक किया कि कितने बच्चे पैदा हुए हैं। जो बच्चे पैदा नहीं हुए थे, उनसे पता किया गया कि आपने कहां से एबॉर्शन करवाया है। अमृतसर, गुरदासपुर से दो-तीन डाक्टर पकड़कर लाए गए। उसके बाद वहां इतना डर पैदा हो गया कि अब शहीद भगतसिंह नगर में लड़कियों की गिनती लड़कों से ज्यादा है। अगर कुछ करना चाहें तो एक डिप्टी कमिश्नर भी कर सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति चाहिए। मैं इन बातों के जरिए आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मेरी पंजाबी में एक छोटी सी कविता है। लड़की अपनी मां के साथ बात कर रही है जो अभी पैदा भी नहीं हुई है। वह कह रही है –

आजा बैठ के माए गल्लां करिए काम दियां

आजा बैठ के माए गल्लां करिए काम दियां

राजगुरु, सुखदेव, भगतसिंह मांवां ही ने जमदियां

की पता मैं जम देवां कोई अगम्बड़ा मर्द नी माए

पेट विच न कत्ल कराई एही मेरी अर्ज नी माए।

यानी लड़की कह रही है कि शहीद भगतसिंह, राजगुरू जैसे योद्धा भी मां के पेट से पैदा हुए थे। क्या पता मैं भी कोई ऐसा योद्धा पैदा कर दूं। इसलिए मुझे पेट में कत्ल न करवाओ। मुझे भी दुनिया में आने का हक है। दुनिया में आकर भी हम कोई एहसान नहीं करते। लड़की पैदा कर दी तो कोई एहसान नहीं किया कि हमने लड़की मारी नहीं है, पैदा कर दी। उसे जीने का माहौल भी मिलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लड़की जब 20-21 साल की हो जाती है तो हम उसे दहेज के लालचियों को पकड़ा देते हैं। भाई साहब हमसे तो मरी नहीं तुम मार दो। ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए उन्हें जीने का माहौल भी मिलना चाहिए।

जब हम मैट्रिक, हायर सैकंडरी, बीए, एमए के रिजल्ट देखते हैं तो अखबार में आता है कि लड़कियों ने इस बार फिर बाजी मारी। इसमें एक बहुत बड़ा प्वाइंट है कि जो लड़कियां प्लस टू, बीए, एमए में फर्स्ट आती हैं, वे बाद में कहां जाती हैं। उनकी किसी अनपढ़ या जमीन वाले के साथ शादी हो जाती है। उनकी पढ़ाई बेकार हो जाती है। फर्स्ट आकर भी वे वही जीवन व्यतीत करती हैं। इसलिए महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए। अब महिलाओं को कुड़ियां, चिड़ियां या ये बेचारी गऊ जैसी है कहना, यह चिड़ियां, गऊ का जमाना नहीं है, अब शेरनियां बनने का टाइम आ गया है।

श्रीमती पूनमबेन माडम (जामनगर): सभापति महोदय, मैं आपके साथ-साथ सरकार का भी आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने इस विषय की गंभीरता समझकर इस सदन में इसकी चर्चा की अनुमति दी। पिछले दो दिनों से हम इस विषय पर चर्चा सुन रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर विषय की गंभीरता

को समझकर बहुत अच्छे सुझाव और चिन्ता इस सदन में व्यक्त की गई है। इस विषय पर महिला सदस्य तो बोली हैं लेकिन पुरुष सदस्यों ने भी बहुत अच्छा बोला है। पुरुष सदस्यों की महिला सदस्यों के विचारों से सहमति बन रही है। जब हम उन सदस्यों से बाहर मिलते हैं तो उनका यही कहना है कि बहुत अच्छा विषय है। हम चाहते हैं कि आप महिलाएं बोलें। ऐसा नहीं है कि हम इस विषय पर बोलना नहीं चाहते या इस विषय की गंभीरता से परिचित नहीं हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यह महिलाओं का विषय है, इसलिए इस पर बहनें, महिलाएं ज्यादा बोलें। इस सदन में यह बहुत अच्छी बात हुई है जहां महिलाओं के साथ-साथ पुरुष भी इस विषय को उतनी ही गंभीरता से लेकर भाग ले रहे हैं। महोदय, इस विषय पर बहुत चर्चा हुई। पिछले दो दिनों से सदन में अनुभवी और नए सदस्यों ने इस विषय पर बहुत अच्छी बातें रखीं।...(व्यवधान)

[अनुवाद**]**

माननीय सभापति: श्रीमती पूनमबेन माडम, कृपया अपना भाषण अगली बार जारी रखें क्योंकि अब साढ़े तीन बज चुके हैं, और हमें गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को लेना है।

श्रीमती पूनमबेन माडम : महोदय, धन्यवाद। मैं सोमवार को अपना भाषण जारी रखूंगी।

08.08.2014

अपराह्न 3.30 बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक – पुरः स्थापित

(एक) कृषक (कृषि उपज के लिए न्यूनतम सुनिश्चित मूल्य का अधिकार) विधेयक, 2014*

[हिन्दी]

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कृषक आयोगों की स्थापना करके कृषकों को कृषि उपज का न्यूनतम सुनिश्चित मूल्य उपलब्ध कराने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कृषक आयोगों की स्थापना करके कृषकों को कृषि उपज का न्यूनतम सुनिश्चित मूल्य उपलब्ध कराने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री देवजी एम. पटेल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित**[4] करता हूं।

----

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 08.08.2014 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित ।

08.08.2014

अपराह्न 03.30 ½ बजे

(दो) नारियल उत्पादक (कल्याण) विधेयक, 2014*

[अनुवाद]

श्री एम.के.राघवन (कोझिकोड): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नारियल उत्पादकों के लिए कुछ कल्याणकारी उपाय और अन्य सुविधाएं प्रदान करने और उससे संबद्ध मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि नारियल उत्पादकों के लिए कुछ कल्याणकारी उपाय और अन्य सुविधाएं प्रदान करने और उससे संबद्ध मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम.के. राघवन: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित[5]**करता हूं।

----

[5] * भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 08.08.2014 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से पुर:स्थापित ।

08.08.2014

<u>अपराह्न 03.31 बजे</u>

(तीन) वन्य जीव जन्तुओं के आक्रमण के शिकार व्यक्तियों को प्रतिकर का सन्दाय विधेयक, 2014**

[अनुवाद]

श्री एम.के.राघवन (कोझिकोड): महोदय, मैं वन्य जीव जंतुओं के आक्रमण के शिकार व्यक्तियों को प्रतिकर का संदाय और उससे संबद्ध मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति देने का अनुरोध करता हूं।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि वन्य जीव जंतुओं के आक्रमण के शिकार व्यक्तियों को प्रतिकर का संदाय और उससे संबद्ध मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम. के. राघवन : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 08.08.2014 में प्रकाशित।

अपराह्न 03.31 ½ बजे

(चार) केरल उच्च न्यायालय (कोझिकोड में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2014*[6]

[अनुवाद]

श्री एम.के.राघवन (कोझिकोड): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोझिकोड में केरल उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि कोझिकोड में केरल उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम. के. राघवन : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

[6]* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 08.08.2014 में प्रकाशित।

08.08.2014

<u>अपराह्न 03.32 बजे</u>

(पांच) प्राकृतिक आपदाओं और सर्प दंश पीड़ितों को प्रतिकर का सन्दाय विधेयक 2014*[**]

श्री एम.के.राघवन (कोझिकोड): महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं और सर्प दंश के पीड़ितों को प्रतिकर का संदाय और उससे संसक्त मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि प्राकृतिक आपदाओं और सर्प दंश के पीड़ितों को प्रतिकर का संदाय और उससे संसक्त मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम. के.राघवन : महोदय, मैं ***[**] विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खंड 2 दिनांक 08.08.2014 में प्रकाशित

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित।

<u>अपराह्न 03.33 बजे</u>

(छह) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2014*

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

08.08.2014

अपराह्न 03.34 बजे

(सात) सरोगेसी (विनियमन), 2014 *****

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सरोगेसी (विनियमन) और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि सरोगेसी (विनियमन) और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

----

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 08.08.2014 में प्रकाशित।

08.08.2014

<u>अपराह्न 03.35 बजे</u>

(आठ) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014

(नए अनुच्छेद 16क आदि का अंतःस्थापन)

[हिन्दी**]**

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

08.08.2014

अपराह्न 03.36 बजे

(नौ) एसिड (नियंत्रण) विधेयक , 2014[*]

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मानव, विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं पर एसिड हमले को रोकने तथा एसिड के विक्रय और वितरण पर नियंत्रण रखने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि मानव, विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओ पर एसिड हमले को रोकने तथा एसिड के विक्रय और वितरण पर नियंत्रण रखने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

----

[*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 08.08.2014 में प्रकाशित।

08.08.2014

<u>अपराह्न 3.37 बजे</u>

(दस) सरकारी सेवाएं (अनुकंपा नियुक्तियों का विनियमन) विधेयक, 2014

[हिन्दी]

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों का विनियमन और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों का विनियमन और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री ए.टी. नाना पाटील : मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूँ।

----

* राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से पुर:स्थापित।

08.08.2014
अपराह्न 03.38 बजे

(ग्यारह) राष्ट्रीय आस्तियां (संरक्षण) विधेयक, 2014*

[हिन्दी]

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगाँव) : : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्रीय आस्तियों की घोषणा करने और मान्यता देने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि राष्ट्रीय आस्तियों की घोषणा और मान्यता देने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री ए.टी. नाना पाटील : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

----

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 08.08.2014 में प्रकाशित।

08.08.2014

<u>अपराह्न 03.38 ½ बजे</u>

(बारह) कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2014*

[हिन्दी]

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगाँव) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कृषि कर्मकारों के कल्याण तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि कृषि कर्मकारों के कल्याण तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री ए.टी. नाना पाटील : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

----

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 08.08.2014 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.39 बजे

(तेरह) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2014*

(धारा 20क का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगाँव) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री ए.टी. नाना पाटील : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

----

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 08.08.2014 में प्रकाशित।

<u>अपराह्न 03.40 बजे</u>

(चौदह) राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता (जल निकायों का संरक्षण) विधेयक, 2014*[7]

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन (वडकरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जलाशयों के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि जल निकायों के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---

[7] * भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 08.08.2014 में प्रकाशित।

08.08.2014
अपराह्न 3.41 बजे

(पंद्रह) श्रम बल (मांग और आपूर्ति सर्वेक्षण) विधेयक , 2014*

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अर्थव्यवस्था के प्रभावी कार्य-निष्पादन के लिए नियोजन की मांग और आपूर्ति प्राक्कलन प्रदान करने तथा श्रम बल की मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में श्रम बल की मांग और आपूर्ति का वार्षिक सर्वेक्षण करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि अर्थव्यवस्था के प्रभावी कार्य-निष्पादन के लिए नियोजन की मांग और आपूर्ति प्राक्कलन प्रदान करने तथा श्रम बल की मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में श्रम बल की मांग और आपूर्ति का वार्षिक सर्वेक्षण करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं विधेयक पुरःस्थापित[8] करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 08.08.2014 में प्रकाशित।
[8] राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से पुर:स्थापित ।

08.08.2014

<u>अपराह्न 3.41 ½ बजे</u>

(सोलह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014[9]

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

[9] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 08.08.2014 में प्रकाशित।

08.08.2014

<u>अपराह्न 03.42 बजे</u>

(सत्रह) विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014*

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्युत अधिनियम, 2003 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "विद्युत अधिनियम, 2003 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

----

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 08.08.2014 में प्रकाशित।

<u>अपराह्न 3.42 ½ बजे</u>

(अठारह) गायों के प्रति क्रूरता का निवारण विधेयक, 2014[10]

[हिन्दी]

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गायों के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए प्रभावी उपाय करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद**]**

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि गायों के प्रति क्रूरता के निवारण और उससे ससक्त विषयों को उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सुनील कुमार सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

----

[10] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 08.08.2014 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.43 बजे

(उन्नीस) राष्ट्रीय युवा आयोग विधेयक, 2014*

[हिन्दी]

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि युवाओं के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय युवा आयोग की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि युवाओं के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय युवा आयोग की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सुनील कुमार सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 08.08.2014 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.44 बजे

(बीस) केंद्रीय विश्वविद्यालय (अध्यापनेत्तर स्टाफ की सेवा की शर्तें) विधेयक, 2014*[11]

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं प्रस्ताव वरता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापनेत्तर स्टाफ की सेवा की समान शर्तें और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापनेत्तर स्टाफ की सेवा की समान शर्तें और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

11 * भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 08.08.2014 में प्रकाशित।

08.08.2014

<u>अपराह्न 3.45 बजे</u>

(इक्कीस) पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक, 2014*

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु एक स्वायत्तशासी बोर्ड की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु एक स्वायत्तशासी बोर्ड की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित**[12] करता हूं।

----

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 08.08.2014 में प्रकाशित।

[12] **राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित ।

08.08.2014

<u>अपराह्न 03.46 बजे</u>

(बाईस) परीक्षा-पूर्व कोचिंग सेंटर विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2014*

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि परीक्षा-पूर्व कोचिंग सेंटरों के विनियमन हेतु एक विनियामक प्राधिकरण का गठन करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि परीक्षा-पूर्व कोचिंग सेंटरों के विनियमन हेतु एक विनियामक प्राधिकरण का गठन करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

----

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 08.08.2014 में प्रकाशित।

08.08.2014

अपराह्न 3.47 बजे

(तेईस) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014*

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 08.08.2014 में प्रकाशित।

08.08.2014

<u>अपराह्न 3.47 ½ बजे</u>

(चौबीस) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 [13]

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित् जातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

----

[13] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 08.08.2014 में प्रकाशित।

08.08.2014

<u>अपराह्न 03.48 बजे</u>

(पच्चीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014*

(अनुच्छेद 243क का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री शैलेश कुमार (भागलुपर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद**]**

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री शैलेश कुमार : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 08.08.2014 में प्रकाशित।

08.08.2014

<u>अपराह्न 3.49 बजे</u>

(छब्बीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 *[14]

(अनुच्छेद 171 का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री शैलेश कुमार : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

----

[14] * भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 08.08.2014 में प्रकाशित।

08.08.2014

अपराह्न 3.50 बजे

(सत्ताईस) संविधान (संशोधन) विधेयक *

(अनुच्छेद 39 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. पी. चौधरी: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : अगली मद सं. 39 ली जाएगी ।श्री फिरोज वरुण गाँधी – उपस्थित नहीं। मद सं 41, श्री बैजयंत पांडा - उपस्थित नहीं। मद सं 42 और 43, श्री बैजयंत पांडा - उपस्थित नहीं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 08.08.2014 में प्रकाशित।

अपराह्न 03.52 बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक ...विचाराधीन

(एक) राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन (गारंटी) विधेयक, 2014

[अनुवाद]

माननीय सभापति: अब, सभा मद सं. 44 लेगी - राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन (गारंटी) विधेयक पर आगे विचार करेगी। श्री अर्जुन राम मेघवाल – उपस्थित नहीं। श्री जगदम्बिका पाल बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आदरणीय निशिकांत दुबे जी द्वारा 25 जुलाई को जो एक प्राइवेट मैम्बर बिल प्रस्तुत किया गया, उसके समर्थन मैं आपने मुझे बोलने का समय दिया है। [हिन्दी] किसी भी वैलफेयर स्टेट की अवधारणा एक सामान्य सिद्धांत के तहत यह होती है कि जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में किसी भी स्वरूप में, किसी भी परिस्थिति में समाज में योगदान दिया है, चाहे वह संगठित क्षेत्र हो, असंगठित क्षेत्र हो, प्राइवेट क्षेत्र हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, उस व्यक्ति ने समाज के लिए, देश के लिए अपना पूरा योगदान जीवन-पर्यन्त दिया है। लेकिन रिटायर होने के बाद जब आदमी पेंशन पर जाता है तो आप सामान्य परिस्थिति में देखें कि प्रायः आज पेंशन पाने वाले लोगों की स्थिति एक विपन्नता की स्थिति है। जिस चुनौतीपूर्ण और कठिनाई की जिंदगी समाज में ये लोग जीते हैं, मैं समझता हूं कि उसको एड्रेस करने वाली दिशा में निशिकांत जी ने एक बहुत अच्छा विधेयक पेश किया है, जिसका पूरा सदन समर्थन करेगा। जिसने अपने जीवन में समाज के लिए योगदान दिया है वह आज रिटायर हो गया तो हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि उन्हें हम सम्मानपूर्ण जीने के लिए, या समाज के लिए उनके योगदान के परिप्रेक्ष्य में उन्हें भी सम्मानपूर्ण जीने के लिए, स्वास्थ्य के लिए और उनकी रिटायरमेंट के

बाद की जो जिंदगी है उसमें वह सम्मान महसूस कर सकें कि जिस समाज में हमने योगदान दिया था उस समाज में उनका स्थान है।

आज जिस तरीके से इसे लेकर आये हैं, मैं समझता हूं कि आज उन परिस्थितियों में एकरूपता नहीं है। आप देखते हैं कि जो ओल्ड-ऐज पेंशन है, विडो-पेंशन है, विकलांग के लिए पेंशन है, इसमें भी राज्यों में भिन्नता है। किसी राज्य में 200 रुपये, किसी राज्य में 500 रुपये, दिल्ली में 1500 रुपये पेंशन है। मैं समझता हूं कि सदन में इस प्राइवेट मैम्बर बिल पर हम विचार करें कि पूरे देश में रिटायरमेंट के बाद कम से कम जो पेंशन है उसमें एक रूपता हो और उसी दिशा का उन्होंने उल्लेख भी किया है और आज की परिस्थिति में 5000 रुपये उन्होंने रिटायर पेंशन भोगियों के लिए रखा है। मैं समझता हूं कि आज भी पेंशन भोगियों के ऊपर भी आश्रित लोग हैं। उनका बच्चा अपंग हो गया या ऐसी पारिवारिक परिस्थितियां हो गयी कि घर में किसी के पास नौकरी नहीं हैं तो ऐसे परिवार उसी पेंशन पर आश्रित रहते हैं।

सभापति जी, आज जो प्राइस इंडेक्सिंग है उसके हिसाब से पांच हजार रुपए रखा है, लेकिन मैं निशिकान्त जी को सुझाव दूंगा कि भविष्य में इस राशि को प्राइस इंडेक्सिंग के साथ जोड़ें। समय-समय पर महंगाई बढ़ती जाए, ऐसी परिस्थिति में आज नहीं तो दस साल बाद यह राशि बहुत कम लगने लग जाएगी। जब हमने पेंशन की योजना शुरू की थी, उस समय दो सौ रुपया वृद्धावस्था पेंशन देते थे, उसके बाद यह राशि पांच सौ रुपए हुई लेकिन आज लगता है कि यह राशि बहुत कम है। यह बहुत अच्छा क़दम है और इसमें बार-बार संशोधन की बात करें या कोई नया प्राइवेट मेम्बर बिल आए इससे अच्छा है कि अभी से इसमें एकरूपता हो और समय-समय पर प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ दिया जाए तो यह समाज के पेंशन भोगियों के लिए कारगर क़दम सिद्ध होगा।

महोदय, 1 मई, 2009 को स्वाबलंबन का आधार बना कर नेशनल पेंशन स्कीम बनाई गई। आज जो नेशनल पेंशन स्कीम लागू हुई, उसमें जो पेंशन फंड रेग्यूलेटरी डेवलपमेंट अथोरिटी है, वह आज भी पेंशन सेक्टर को रेग्यूलेट करने की बात है। उसमें यह भी जोड़ना है कि चाहे प्राइवेट सेक्टर के लोग हों, चाहे अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग हों, जैसे कोई व्यक्ति रिटायर हो गया तो वह चाहे किसी भी सेक्टर से रिटायर

हुआ हो, सभी अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं। प्राइवेट और असंगठित सेक्टर में उन्हें पेंशन नहीं मिलती है। यह एक बड़ा क़दम है कि कम से कम सभी को इसके अंतर्गत लाने की बात करें कि प्राइवेट सेक्टर में और असंगठित क्षेत्र के लोगों की सेवानिवृति के बाद कैसे उनके भविष्य की चिंता कर सकते हैं, कैसे वे अपने दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं और परिवार के उत्तरदायित्व को कैसे उठा सकते हैं। अगर हम उनके लिए कोई सुरक्षा या अधिकार नहीं देंगे या इसके अंतर्गत लाने का प्रयास नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। यह किसी भी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विपरीत होगा। हमारा दायित्व केवल तभी तक के लिए नहीं है जब तक कि वह नौकरी कर रहा है। एक सभ्य समाज में जिस व्यक्ति ने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और अपनी उपयोगिता समाज में दी, जिसने अपनी सार्थकता समाज के लिए दी और समाज के लोगों के प्रति योगदान दिया और वह योगदान केवल उसकी सर्विस के लिए नहीं है बल्कि वह देश की जीडीपी को बढ़ाने का योगदान है, देश के विकास में योगदान है। उसे रिटायरमेंट के बाद लगता है कि उसे पेंशन नहीं मिल रही है तो वह समझता है कि वह देश पर या समाज पर लायबिलिटी हो गए हैं, अपने ही समाज में जिसमें उसकी कल तक यह उपयोगिता थी, आज रिटायरमेंट के बाद वे समाज पर बोझ हैं, ऐसी परिस्थितियों में यह जो बिल लाया गया है, बहुत सुधारवादी कदम है और इस दिशा में पूरा सदन विचार करेगा। जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर इसके साथ जोड़ा जाए, जैसा निशिकांत जी ने कहा है कि नेशनल फंड कारपस बनाया जाए। यह जो अवधारणा है कि जो असंगठित या प्राइवेट सेक्टर है या दूसरे सेक्टर्स हैं, उनमें हमें एकरूपता लानी होगी।

<u>अपराह्न</u> <u>4.00 बजे</u>

निश्चित तौर से एक कॉरपस पंड नेशनल पेंशन फंड के लिए लोगों को सुरक्षा दे और लोगों के भविष्य के लिए कम से कम मिनिमम पेंशन की जो गारंटी है, वह हम दे सकें। इस बिल का उद्देश्य यही है कि समाज के हर व्यक्ति को जो समाज में अपना योगदान दे चुका है, उसे एक एज के बाद जब वह रिटायरमेंट की श्रेणी में आता है तो समाज उसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे, समाज उसकी देखभाल करे। समाज उसके प्रति अपनी

संवेदनशीलता को प्रदर्शित करे। इसलिए स्वाभाविक है कि वह संवेदनशीलता केवल हम शब्दों से या केवल अपनी भावनाओं से व्यक्त नहीं कर सकते हैं बल्कि उसको हम एक पेंशन देकर उसको हम सहारा दे सकते हैं जिससे उसकी अपनी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हो सके।

इसलिए जो विधेयक है, इस पर कोई मतभेद नहीं हो सकता और इस पर आज जो उन्होंने बात कही कि आज इस विधेयक के दायरे में हम सरकारी सैक्टर हो या और सैक्टर हों, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी भी है कि रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन मिलेगी लेकिन बहुत से ऐसे सैक्टर्स हैं जो कोई गारंटी नहीं देते। आज जो सोशल सेक्टर में है, आखिर इस बिल का जो उद्देश्य है, वह लोगों को एक सोशल सिक्योरिटी देने का है। उस सोशल सिक्योरिटी को प्रदान करने के लिए ऐसे लोग जिनको हम वैल्फेयर स्टेट में समाज कल्याण से और तमाम भारत सरकार की हमारी योजनाओं के आधार पर हम लोगों को पेंशन दे रहे हैं। पेंशन चाहे वह एक 60 साल की उम्र के बाद ओल्ड एज पेंशन हो या चाहे जो विधवाएं हैं, जिनको हम विडोज पेंशन देते हैं या हम डिसएबिल लोगों को पेंशन देते हैं लेकिन इसमें भी जो भारत सरकार देती है, उसमें राज्य सरकार का अपने राज्यों में अलग अलग योगदान होता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि केन्द्र सरकार के उस पैसे में पूरे देश में, पूरे केन्द्र में एक गाइड लाइन हो कि असम के ओल्ड एज में जो पैसा मिलता हो, वही अमाउंट चाहे नॉर्थ-ईस्ट हो या साउथ वैस्ट हो, यानी देश के किसी भी हिस्से में, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर में रहने वाले किसी भी समाज के उस पेंशन भोगी को चाहे वह प्राइवेट सैक्टर का हो या चाहे भारत सरकार की उन योजनाओं में वह आच्छादित हो, जिनमें हम सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत पेंशन देने की योजना बना रहे हों या चाहे वह दूसरे सैक्टर का हो। इस सैक्टर में सबसे बड़ा उद्देश्य है कि उस नेशनल पेंशन सिस्टम में जो हमने वर्ष 2003 में इंट्रोड्यूंस किया है, उसके बावजूद भी अगर आज यह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तो मैं समझता हूं कि शायद इस विधेयक के आने के बाद इस पर चर्चा करें, अगर इस पर सरकार विचार करेगी तो निश्चत तौर से पेंशन भोगियों के लिए एक भविष्य में नया अध्याय जुड़ेगा और हम फख्र से कह सकते हैं कि इस सदन से हमने देश के उन तमाम बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके सामाजिक सम्मान के लिए हमने उनको एक हक देने का काम किया है।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र) : माननीय सभापति जी, आपने एक अहम बिल जो माननीय निशिकांत दुबे जी द्वारा प्रस्तावित विधेयक है, उस पर बोलने की मुझे अनुमति प्रदान की है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

<u>अपराह्न 4.04 बजे</u> (श्री हुक्मदेव नारायण यादव *पीठासीन हुए*)

देश में संगठित और असंगठित मजदूर हैं। संगठित मजदूरों को तो कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। सरकारी स्तर पर मैं समझता हूं कि जब वे काम करके सेवानिवृत्त होते हैं तो इनके जीवन-यापन के लिए पेंशन की उपलब्धता होती है। लेकिन हमारा देश जो किसानों और मजदूरों का देश है, आम तौर पर उनको सुरक्षा का गारंटी नहीं मिल पाती।

इस देश में गरीबों की संख्या बहुत है जो खेत खलिहान में काम करते हैं। करोड़ों की संख्या में मजदूर हैं, मकान बनाते हैं, जूता-चप्पल सीते हैं, घरों में काम करते हैं, रिक्शा-ठेला चलाते हैं, जिनके श्रम पर हमें गौरव भी होता है और देश का विकास भी होता है। मैं समझता हूं कि कुछ ही संख्या में सरकारी तौर पर संगठित मजदूर हैं, उनको लाभ मिल जाता है। लेकिन इतने सारे लोगों के लिए अभी तक कोई व्यवस्था या प्रावधान नहीं किया गया है। इनके लिए कोई ऐसा बिल नहीं है, कानून नहीं है जिससे वे सेवानिवृत्त होने के बाद जीवन यापन कर सकें। यह बिल बहुत अहम है। मैं चौथी बार लोकसभा में आया हूं, एक बार राज्य सभा में रह चुका हूं, इस तरह से पांचवीं बार आया हूं। मैं समझता हूं कि ऐसे विषयों पर चर्चा होती रही है। 2004 से 2009 तक मैं लोकसभा का मैम्बर था, उस समय भी इसी तरह से सदन में चर्चा हुई थी। उस समय यूपीए सरकार ने कुछ आश्वासन जरूर दिया था, कुछ बिल लाने की बात कही गई थी और मजदूरों के लिए योजना भी लाई थी। लेकिन अभी भी मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है।

08.08.2014

महोदय, आप किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं। सबने देखा है कि खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर अपनी पूरी मेहनत से हमें खिलाते हैं। हमारे देश में 80 से 85 परसेंट लोग किसान हैं। किसान और मजदूरों के बल पर देश जीवित है लेकिन इनके लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। आप उनके घरों में जाकर देखिए, एक समय तक वे काम कर लेते हैं, रोजी रोटी परिवार में चल जाती है लेकिन एक समय के बाद जब उनकी जवानी गिरती है, बुढ़ापा आता है उनकी स्थिति देखी नहीं जाती है। मैं यह बात बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं क्योंकि उनकी स्थिति बहुत दर्दनाक हो जाती है। वे गरीब परिवार से होते हैं, उनके बेटे भी उनका बोझ लेने को तैयार नहीं होते हैं और वे दर-दर की ठोकरें खाते हैं। अब ज्वाइंट फैमिली का कन्सेप्ट धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। जिन्होंने इस देश को इतना बड़ा श्रम दिया, अपनी मेहनत की कमाई से देश की व्यवस्था बनाई, आजकल बेटा मां-बाप को निकाल बाहर कर देता है और वे भिखारी की तरह जिंदगी व्यतीत करते हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी है यह उस देश के किसानों पर निर्भर करती है। अगर एक दिन मजदूर काम न करे तो पूरा देश ठप्प हो जाएगा। इनका ख्याल कीजिए। माननीय मंत्री जी इस पीड़ा का अहसास करते होंगे, वे इसी पीड़ा को देखकर यहां तक पहुंचे हैं। बेचारा मजदूर जो ठेला, रिक्शा, टैम्पो चलाता है, दिन, दोपहर, रात, सुबह मेहनत करता है और थक कर कहीं सड़क के किनारे, झोंपड़ी या खुले आकाश के नीचे सो जाता है। जब तक उसकी जवानी रहती है ठेला, रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है। मजदूर बड़े आलीशान मकान बनाता है। इस देश की व्यवस्था यही है कि जो मकान बनाता है उसके अपने रहने के लिए घर नहीं है। जब वह बूढ़ा हो जाता है, जवानी चली जाती है, उसकी क्या दुर्दशा क्या होती है आपने देखा होगा। माननीय सदस्य जो सदन में आए हैं, बहुत संघर्ष के बाद सदन में आए हैं, उन्होंने गरीबी और फटेहाली को देखा होगा। मजदूर ठेला खींचता है, पसीना बहाता है लेकिन जब वह बुढ़ापे में आता है तब उसकी कोई पूछ नहीं होती है। इनके लिए न तो अस्पताल में कोई उपयुक्त व्यवस्था है, न रहने की उपयुक्त व्यवस्था है और न ही पहनने की उपयुक्त व्यवस्था है। वह दर-दर की ठोकरें खाता है।

क्या वैसे लोग जिनके मेहनत और पसीने पर हमारा देश विकास कर रहा है, उन फैक्टरियों में काम करने वाले लोग के श्रम पर हमारा देश विकास कर रहा है। आज कांट्रैक्ट बेसिस पर मजदूरों की बहाली हो रही

है। आजकल आउटसोर्सिंग हो रही है, यह एक नया फैशन हो रहा है। आउटसोर्स ठेकेदारों के माध्यम से आज मजदूर सरकारी महकमों और सरकारी उपक्रमों में लिये जा रहे हैं। हम लोग विभिन्न कमेटियों के माध्यम से जाते हैं, पूछते हैं कि क्या आपके यहां वेकेन्सी हैं, वे कहते हैं, हां हमारे यहां वेकेन्सी है, फिर आप कैसे काम चलाते हैं, वे कहते हैं कि आउटसोर्स से काम चलाते हैं। आज इसी दिल्ली शहर में मजदूरों का शोषण ठेकेदारों के द्वारा होता है। यूपी और बिहार के मजदूर यहां काम करते हैं। यह जो दिल्ली की रोशनी है, जो चमक है, बड़े-बड़े शहरों की जो चमक है, आप बिहार से आते हैं, अधिकांशतः यहां बिहारी मजदूरों का खून-पसीना लगा हुआ है। उनके दर्द को आपने देखा होगा, आप लम्बे अरसे से मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, आपको लम्बा अनुभव है। क्या उनकी जिंदगी है, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले वे कौन लोग हैं। हिंदुस्तान के इतिहास के 67 सालों के बाद अगर को ई व्यक्ति जो भारतीय है, उसको रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, उसके इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं, पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है। क्या इसी दिन के लिए हमने आजादी ली थी। हम सब लोगों को शर्म आती है। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका, मजदूर तबका, किसान तबका, असंगठित तबके में काम करने वाले लोग, जिनका केवल शोषण और दोहन हो रहा है, उन्हें उचित मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। क्या हमारी सरकार उनकी जिंदगी का कोई ख्याल नहीं रखेगी, जिनकी ताकत के बल पर हम सब लोग यहां हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है, सदन की जिम्मेदारी नहीं बनती है। क्या हमने उनके लिए कुछ सोचा, क्या कोई ऐसा कोई कानून बनाया, हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। जो घरेलू नौकर या दाई होती है, उनका शोषण हो रहा है, जो घरों में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या है। चाइल्ड लेबर को देख लीजिए, गरीबों के बच्चे काम करते हैं। पेट की मार बर्दाश्त नहीं होती, पीठ की मार बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन पेट की मार बर्दाश्त नहीं हो सकती है। इस पेट के लिए गरीब मां-बाप अपने बच्चों को भेजते हैं, ताकि दो वक्त की रोटी मिल सके।

आप उत्तर प्रदेश में चले जाइये, जहां से जगदम्बिका पाल जी आते हैं। हमारे बिहार में चले जाइये, वहां इन बच्चों की भरमार लगी होगी। छोटे कारखानों में काम करने वाले बच्चे, कालीन बनाने वाले मजदूर बच्चे, क्या उनकी कोई गारंटी नहीं है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। क्या उनके पढ़ने की व्यवस्था नहीं होनी

चाहिए। जो देश का भविष्य हैं। देश के भविष्य के निर्माण में लगे गरीब बच्चों के लिए कानून तो बहुत हैं, लेकिन उन कानूनों का अनुपालन जमीन पर कहां हो रहा है। क्या हो रहा है, गरीबों के बच्चे आज भी काम पर जा रहे हैं। अगर किसी की नजर में आता है तो सरकार उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करती है और बच्चों को पुनः अपने घरों में वापस भेजती है। मगर वही बच्चे बेसहारा होकर फिर मजबूरी में इस कारखाने में नहीं तो दूसरे कारखाने में चले जाते हैं। हमने उनकी पीड़ा को नहीं देखा, नहीं समझा। अगर उनके पास दो वक्त की रोटी होती, पढ़ने का साधन होता, वे मजदूर के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं। अगर उनके पास रहने को घर होता तो शायद कोई मां-बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा मजदूरी करे, दर-दर की ठोकरें खाये। जो उसके खेलने-खाने का समय था, उस समय वह मजदूरी कर रहा है, ईटें ढो रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बिहार में ऐसा हो रहा है और देश में भी ऐसा हो रहा होगा। सरकारी महकमों में चाइल्ड लेबर मंत्री के सामने, मुख्य मंत्री के घर में काम कर रहा है। आंखें बंद हैं, क्या कानून है। हमारी क्या जिम्मेदारी है। अगर हम जन प्रतिनिधि हैं, हमें जनता ने चुनकर भेजा है तो निश्चित तौर पर करोड़ों लोग जो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ठेले वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, टैम्पो वाले हैं। उनके लिए पीने का पानी नहीं है। महोदय, उत्तर भारत के लोग बड़े पैमाने पर संगठन को चलाते हैं। यही गरीब मज़दूर लोग, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, समय-समय पर प्रदर्शन करते रहते हैं। उनकी दुर्दशा, यह दो तरह की व्यवस्था है, फाइव स्टार होटलों में चले जाइए। पाव भर पेशाब बहाने के लिए तीन किलो पानी बहाया जाता है। उन बच्चों को, गरीब मज़दूरों को पीने के लिए पानी नहीं हैं। वाह रे!

आज़ाद हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान के हम लोग नागरिक हैं, सांसद हैं। क्या हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या हम उसके भविष्य की गारंटी नहीं दे सकते हैं? उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं? उनके जीने के लिए हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? इसलिए भी इस तरह के कानून जरूरी हैं। मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार के माननीय प्रधान मंत्री जी ने गरीबी और फटे हाली को देखा है। हम गर्व के साथ कहना चाहते हैं कि गरीब का बेटा हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री बना है। एक पिछड़े परिवार का बेटा प्रधान मंत्री बना है। 66 साल के इतिहास में शायद पहली दफा एक गरीब चाय वाले का बेटा, जिसने दर्द को देखा है, जिसने परेशानी को देखा

है, मुझे भरोसा है इस प्रधान मंत्री से और देश के उन गरीबों को जो फटे हाली में हैं, गरीबी में हैं, ठेले वाला है, रिक्शे वाला है, टैंपो वाला है, उन सब लोगों ने मैंडेट दिया है कि इस देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनें। मुझे गौरव है कि देश के करोड़ों लोगों के अरमानों को पूरा करने के लिए ही एनडीए की सरकार कमिटिड है। माननीय मंत्री जी, मुझे भरोसा है कि जब आपका उत्तर आएगा तो निश्चित तौर पर सकारात्मक उत्तर आएगा। इस कानून को बनाने के लिए आप सोचेंगे और करेंगे। वे लोग, जिन्हाने 66 साल की आजादी के बाद सही आजादी नहीं देखी, वह वृद्धा, वे असहाय लोग, जिनको दर -दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, वे मज़दूर किसान, जिनको यह लगे कि रिटायरमेंट के बाद भी मुझे भी सहारा मिल सकता है। सरकार फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों को तो राशि देती है, पैसा देती है, पेंशन दे रही है। उसी तरह का कोई हैंडसम अमाउंट दे दे तो उसके बाल-बच्चे उसको अगर नहीं भी देखेंगे तो बाप अपने सहारे अपनी पत्नी और अपना गुजारा कर लेगा। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

... <u>(व्यवधान)</u>

श्री राम कृपाल यादव : सर, मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं उस गरीब की पीड़ा बता रहा हूँ, जिससे आप खुद ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : समय की सीमा भी है।

... <u>(व्यवधान)</u>

श्री राम कृपाल यादव : सर, समय की सीमा तो है लेकिन यह निजी विधेयक है और करोड़ों लोगों की पीड़ा है। उनकी आवाज मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहा हूँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ। अगर आप उन लोगों को संरक्षण नहीं देंगे तो कौन देगा?

महोदय, मैं जल्द ही अपनी बात समाप्त करूंगा। मैंने उस गरीब की आवाज आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाई है। सरकार के माननीय मंत्री भी उसी गरीबी और फटे हाली से निकल कर यहां आए हैं। संघर्ष कर के आए हैं। वर्तमान सरकार पर मुझे भरोसा है। पूर्व वर्ती सरकार ने तो केवल भाषण दिया। काम कुछ नहीं किया।

08.08.2014

66 साल की आजादी के बाद अधिंकाश तौर पर कांग्रेस पार्टी का शासन था, अगर थोड़ा भी ध्यान देने का काम किया होता तो हिंदुस्तान के मज़दूर की स्थिति दयनीय नहीं होती। [अनुवाद] परंतु मुझे भरोसा नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो वर्तमान सरकार चल रही है, वह कुछ ठोस करेगी, ताकि किसान, मज़दूर, ठेले वाला, रिक्शा वाला, टैंपो वाला, घर में काम करने वाली दाई, छोटे-छोटे बच्चे, उनको जाना नहीं पड़ेगा। [हिन्दी] शोषण नहीं होगा। बहादुरी के साथ, सम्मान के साथ उनका इलाज होगा। उनके लिए घर होगा, उनके लिए कपड़ा होगा, उनके लिए राशि होगी, यह मुझे विश्वास है। इसी भरोसे के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और पुनः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि आप निश्चित रूप से कोई कार्रवाई कीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन गारंटी विधेयक, 2014 जो, हमारे बहुत ही सक्रिय सांसद श्री निशिकान्त दुबे जी द्वारा पेश किया गया है, पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अहम विधेयक श्री निशिकान्त दुबे जी के द्वारा पेश किया गया है। मैं समझता हूं कि हम सब लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आज सारे देश में जो हमारे बुजुर्ग हैं या जिन लोगों ने इस देश में काम किया और उसके बाद अपने बुढ़ापे में उनके पास सहायता के लिए कोई पैसा नहीं रहता है, उनके लिए पेंशन एक गारंटी के रूप में, उनकी सोशल सिक्योरिटी के रूप में सरकार इस विधेयक के माध्यम से उनकी सिक्योरिटी तय करे , मैं समझता हूं कि ऐसी इस विधेयक की मंशा है।

देश में सभी पेंशन भोगियों, जिनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं, जिन्होंने असंगठित और निजी क्षेत्र में कार्य किया है, को प्रत्याभूत न्यूनतम पेंशन का संदाय करने और उसमें उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए यह विधेयक है। मैं यह मानता हूँ और हम सब लोग, जो यहाँ जनता के प्रतिनिधि के तौर पर चुनकर आए हैं कि आज इस बात की बहुत जरूरत है कि जो लोग 60 वर्ष की आयु से ऊपर हो जाते हैं, जिनके शरीर में शिथिलता आ जाती है और जिन्होंने लगातार इतने वर्षों तक समाज की सेवा की है, उनको अवश्य ही सोशल सिक्योरिटी उनके बुढ़ापे में मिलनी चाहिए। परन्तु आज हो उलटा रहा है, आज समस्या इस बात की है कि

जिन लोगों पर बुढ़ापा आ जाता है, खासकर जो आजकल का नौजवान है, मां-बाप को जब बुढ़ापे में उनकी जरूरत होती है, तो वो उनसे दूर हट जाते हैं। माँ-बाप किस तरह से अपने बच्चों को पालते हैं, गरीब माँ-बाप अपने बच्चों को किस तरह से पालते हैं, लेकिन बुढ़ापे में उनको उनकी सहायता नहीं मिल पाती है। पहले संयुक्त परिवार का प्रचलन था और संयुक्त परिवार में सुख-दुख में सब एक साथ रहते थे। आज समाज में उसकी कमी आ गयी है। इसलिए भी मैं समझता हूं कि अगर सरकार इस प्रकार की कोशिश करे कि 60 वर्ष की आयु के सभी लोगों को ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप एक मिनट रुक जाइये और उसके बाद बोलिएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि इस विधेयक पर पहले ही तीन घंटे का समय ले लिया गया है। इस प्रकार इस विधेयक पर चर्चा के लिए आबंटित समय लगभग समाप्त हो गया है। चूंकि विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के लिए अभी पांच और सदस्य हैं। सभा को विधेयक पर आगे भी चर्चा के लिए समय बढ़ाना होगा। यदि सभा सहमत हो तो विधेयक पर चर्चा के लिए एक घंटा बढ़ाया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : महोदय, ठीक है।

माननीय सभापति : धन्यवाद, एक घंटा बढ़ाया जाता है।

श्री वीरेन्द्र कश्यप : महोदय, मैं यह कह रहा था कि पहले हमारे संयुक्त परिवार में जो सोशल सिक्योरिटी होती थी और खासकर बुढ़ापे में या दुःख-सुख में परिवार के हर सदस्य का दुःख-सुख देखा जाता था, वह आज समाप्त हो गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे ताकि वे बुढ़ापे में या खासकर मैं कहना चाहता हूँ कि 60 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों को, सारे देश में जो भी हमारे 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, उनके लिए अगर पेंशन का प्रावधान होगा तो वह ज्यादा बेहतर होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि निशिकान्त जी के द्वारा यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय पेंशन बोर्ड के गठन के बारे में कहा है, यह बात बिल्कुल सही है। अगर ऐसा कोई बोर्ड गठित हो जाता है तो उसमें ये सारे प्रावधान उस बोर्ड के माध्यम से किए जा सकते हैं। इसमें सभी लोगों को, जो पात्र हैं, जिनको इस तरह की सोशल सिक्योरिटी की

ज़रूरत है। इस बोर्ड के माध्यम से सरोकार किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जो असंगठित क्षेत्र या निजी क्षेत्र के नियोजन से सेवानिवृत्त हुए हैं और 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, इस अधिनियम के अधीन न्यूनतम पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी इसके तहत लाया जाना चाहिए। ऐसे पेंशन भोगी जिनको पांच हजार रुपये से कम मासिक प्राप्त हो रहे हैं, उनको इस बोर्ड के माध्यम से उस अंतर की राशि का संदाय किया जाना उचित होगा। हमारे देश में जिस व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से ज्यादा है, वह भी चाहता है कि मेरे जो नाती-पोते हैं, उनके साथ प्यार-मोहब्बत बनी रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि बुढ़ापे में जिस व्यक्ति के पास जेब में चार पैसे नहीं हैं, उसके बच्चे, जिनको मां-बाप ने पाला है, उनको बुढ़ापे में छोड़ देते हैं और अलग रहना पसंद करते हैं। अपने मां-बाप को बुढ़ापे में सहायता नहीं देते हैं। आज उनकी जो दयनीय और निराशाजनक स्थिति है, उनको इससे लाभ मिल सकता है। हमारे मंत्री जी यहां बैठे हैं, जो कि इस बारे में बहुत ही संवेदनशील हैं, मैं यही कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को, जिसको निशिकांत दूबे जी लाए हैं, उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी नई सरकार ग़रीब और दलितों के लिए और खास कर के मज़दूरों और वंचितों के लिए काम करेगी। निशिकांत दूबे जी द्वारा लाए गए इस विधेयक को यह सदन पारित करेगा और आने वाले दिन में हमारे बुजुर्ग और बूढ़े लोग हैं, जिनको पेंशन की ज़रूरत है, वह आने वाले दिनों में इसका लाभ उठाएंगे। इसी के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

08.08.2014
[अनुवाद]

श्री पी.पी.चौधरी (पाली): सभापति महोदय, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन (गारंटी) विधेयक, 2014 पर विचार में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस महती सदन के समक्ष इस महत्वपूर्ण विधेयक को लाने के लिए श्री निशिकांत दुबे की दूरदर्शिता के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

हम जानते हैं कि हमारे देश में 90 प्रतिशत क्षेत्र असंगठित है और केवल 10 प्रतिशत क्षेत्र ही संगठित क्षेत्र है जहां पेंशन योजना उपलब्ध है। अधिकांश विकासशील देशों ने "पे-एज़-यू-गो" पेंशन योजनाओं के माध्यम से पेंशन प्रणाली शुरू की है जो आमतौर पर वित्त पोषित नहीं होती हैं। लेकिन समय बीतने के साथ, दुनिया भर में पेंशन प्रणाली के कामकाज में कई प्रतिकूल रुझान देखे गए हैं। भारत में भी, घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि रोजगार प्रणालियाँ अनौपचारिक होती जा रही हैं और संगठित क्षेत्र सिकुड़ रहा है। कर्मचारियों की संख्या धीरे-धीरे कम की जा रही है। छोटे प्रतिष्ठान वाले असंगठित क्षेत्र और उपेक्षित पेंशन योग्य आबादी पेंशन सुरक्षा से वंचित है। इसलिए, भारत में पेंशन सुधार शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है। हमारे देश में संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, केवल 11 प्रतिशत कामकाजी आबादी को किसी न किसी पेंशन योजना के तहत कवर किया गया है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, भारतीय श्रम बल में 314 मिलियन श्रमिक शामिल थे, जिनमें 15.2 प्रतिशत नियमित वेतन भोगी कर्मचारी थे, 53 प्रतिशत स्व-रोज़गार प्राप्त थे और 31.8 प्रतिशत अस्थायी/अनुबंधित श्रमिक थे। महोदय, 53 प्रतिशत स्व-रोज़गार प्राप्त थे; और 31.8 प्रतिशत अस्थायी/अनुबंधित श्रमिक थे। पूर्णांक रूप में, उसी जनगणना के अनुसार, 11.13 मिलियन कुल वेतन भोगी कर्मचारियों का 23 प्रतिशत थे और वे सरकारी नौकरियों में कार्यरत थे। इस समूह के अलावा, संगठित, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों का एक वर्ग है, जो कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत आता है। इससे असंगठित क्षेत्र में एक बड़ी श्रम शक्ति और संगठित, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों का एक हिस्सा किसी भी वैधानिक/अनिवार्य पेंशन योजना के दायरे से बाहर हो जाता है।

08.08.2014

मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक हमारे देश में 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई औद्योगीकरण नहीं है और पूरी आबादी असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है और उन्हें किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता है।

जहां तक शहरी आबादी का सवाल है, हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में गरीब हैं जो विभिन्न काम तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता है। अब, जहां तक बीमा योजना का सवाल है तो पेंशन की तुलना की जाती है लेकिन इससे बहुत मदद नहीं मिल रही है। इसलिए, इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। हमारे देश में, जो लोग निवेश के लिए पर्याप्त धनराशि के साथ सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी पेंशन की तुलना बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के अल्पकालिक निवेश से की जाती है। अब तक, हमारे देश में पिछले कई दशकों से ब्याज दरें बढ़ गई हैं। इसलिए लोगों को लगातार बढ़ती ब्याज दरों और अल्पावधि निवेश को प्राथमिकता देने वाले समय की उम्मीद थी। हाल ही में, ब्याज दरों में गिरावट को देखा गया है।

जनवरी, 1994 में भारत सरकार को बीमा क्षेत्र में सुधारों पर प्रस्तुत मल्होत्रा समिति की प्रतिवेदन में हमारे देश में पेंशन प्रावधान के अपर्याप्त विकास के कारण भी बताए गए हैं। मेरा निवेदन है कि मल्होत्रा समिति की प्रतिवेदन पर विचार किया जाना चाहिए और इस महत्वपूर्ण विधेयक पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

जहां तक भारत में प्रस्तावित पेंशन मॉडल का सवाल है, भारत सरकार की हालिया पहल से संकेत मिलता है कि हम भारत में पेंशन सुधारों के लिए विश्व बैंक मॉडल का अनुसरण कर सकते हैं।

जैसा कि सर्वविदित है, भारत में अधिकांश व्यक्ति पेंशन के दायरे से बाहर हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पास कोई संरचित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने 31 अक्टूबर, 2001 को भारत सरकार को असंगठित क्षेत्र में पेंशन सुधारों के लिए कुछ समयबद्ध सिफारिशें करते हुए एक प्रतिवेदन सौंपा है। ऊपर लिखित ओएसिस प्रतिवेदन पर लंबी बहस के बाद, पेंशन सुधार पर बहुत सारे विचार सामने आए हैं।

इस तथ्य के बावजूद कि भुगतान किए गए प्रीमियम/योगदान पर कर लाभ उपलब्ध हैं, भारत में सेवानिवृत्ति योजनाओं के मामले में वांछित प्रगति हासिल नहीं की जा सकी है। इसलिए पेंशन क्षेत्र में सुधार समय की मांग है। उस देश में जहां अब तक लगभग 11 प्रतिशत कामकाजी आबादी को विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत कवर किया गया है और जहां 1991 से 2016 तक जनसंख्या वृद्धि 49 प्रतिशत होने का अनुमान है, वहां सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है। यह भी उम्मीद है कि इस अवधि के दौरान वयोवृद्ध लोगों में 107 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। वर्तमान प्रणाली में नितांत रूप से सुधार किए जाने की आवश्यकता है। मौजूदा औपचारिक योजनाओं की बढ़ती लागत, उनके खराब निष्पादन आदि के कारण भी उनमें सुधार नितांत आवश्यक और अपरिहार्य हैं।

वर्तमान समय में भारत में अधिकांश आबादी को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सवाल है, उनकी पेंशन भारत की संचित निधि से ली जाती है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं वर्तमान विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को इस महती सभा द्वारा पारित किया जाए। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौला) : महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। श्री निशिकान्त दुबे जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। मैं तो इसे मात्र एक विधेयक ही नहीं, इसे एक पवित्र विधेयक की संज्ञा दूंगा, क्योंकि यह ऐसे लोगों की कठिनाइयों के लिए है, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है।

महोदय, हम जब इन्टरमीडिएट में पढ़ते थे तो नागरिक शास्त्र में बताया जाता था कि सरकार क्या है, सरकार की अवधारणा क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मतलब ही सरकार होता है। वास्तव में कल्याणकारी राज्य का सही प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करने वाला यह विधेयक है। मैं इस नाते इस विधेयक का पूर्ण

समर्थन करता हूं। मैं आपको एक दृश्य बताना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश में जब पंचायत मंत्री था, मैंने अनेक जगह देखा कि पेंशन होल्डर्स की क्या कठिनाइयां हैं तो मैंने उनका एक सम्मेलन बुलाया। उसमें ऐसे परेशान तरीके के लोग आये कि उनके दृश्य को देखकर हम सब की आंखों में आंसू आ गये। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज जो समाज की स्थिति है, मैं किसी की निन्दा या आलोचना के भाव से नहीं कह रहा हूं। समाज में बहुत से ऐसे तबके हैं, जिनके घरों में अगर पेंशन मिलती है, कोई विधवा, विकलांग या वृद्धा पेंशन हो, इन पेंशनों का भी तो आज ऐसा दुर्भाग्य है कि पूरी की पूरी राशि समय से पहुंचती ही नहीं है। उसमें भी नीचे इतने प्रकार का रैकेट है कि कभी-कभी यह दुखद बात है कि 6 महीने व्यक्ति मृतक हो जाता है, फिर 6 महीने जिन्दा हो जाता है। आपको लगेगा कि यह मैं क्या बोल रहा हूं? 6 महीने मृतक का मतलब है कि 6 महीने पेंशन रोककर के दूसरे को जिन्दा करके पेंशन जारी की जाती है और फिर 6 महीने उसको जारी की जाती है। यह एक खराब परिदृश्य है।

दूसरा जो परिदृश्य आता है, मैंने ऐसा सामाजिक जीवन में अनेक बार देखा कि अगर किसी के घर में थोड़ी सी कोई पेंशन आती है, शाम को उसकी बहू उसे रोटी जरूर दे देती है क्योंकि उसके मन पर यह असर रहता है कि इस रोटी में उसकी पेंशन का योगदान है। मैंने कई जगह देखा है कि जिसकी साठ-सत्तर की उम्र हो गयी, जिसकी आय का कोई स्रोत नहीं है, तो अनेक दिन-रात उसकी भूखे पेट रहने और सोने की जिंदगी हो जाती है। इस नाते यह असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। [अनुवाद] इसको इस सदन से पारित करने की अपील करते हुए एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा।

मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं। मैं नया सदस्य हूं, हो सकता है मेरी बात किसी को अन्यथा लगे तो उसे क्षमा करेंगे। हमारे यहां पुनरूक्त दोष साहित्य में कहा जाता है। एक ही बात को बार-बार दोहराना पुनरूक्त दोष काव्य शास्त्र में कहा जाता है। मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा हूं। आज क्या हो रहा है? तमाम कंपनियों को कहीं न कहीं यह व्यवस्था दी गयी कि वे अपनी आय का दो-तीन परसेंट विकास मद में लगायें। इसी तरह से ये तमाम फाइव स्टार होटल्स में जितने की झूठन फेंक दी जाती है, जितने का अवशिष्ट खाना फेंक दिया जाता है, उस अपव्यय को रोक दिया जाए।

मेरा दूसरा सुझाव है कि उन पर भी यह दो परसेंट लगा दिया जाए कि इस तरह के असंगठित लोगों के लिए भी आपको सोचना है। इसके साथ ही केंद्र से प्रायोजित बहुत सी ऐसी योजनाएं विभिन्न स्तरों की हैं, जिनमें बहुत फिजूलखर्ची होती है, उसको रोक दिया जाए, तो इसके लिए फंड कहीं न कही सृजित किया जा सकता है। इस नाते इस विधेयक का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं।

हम सब का सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने वह गरीबी, वह परेशानी खुद देखी है और जीवन भर उन क्षेत्रों में काम किया है, जहां इस तरह के परिदृश्य होते हैं। हम सब का दूसरा सौभाग्य है कि माननीय श्रम मंत्री जी जो इन चीजों का संज्ञान ले रहे हैं, वह स्वयं एक जमीनी नेता हैं और इन सारी कठिनाइयों को उन्होंने जीवन भर झेला है। इस नाते जो यह विधेयक श्री निशीकांत दुबे जी लाए हैं, इस पर गंभीरता से मनन हो। इसे औपचारिक रूप से लेकर कि यह प्राइवेट मेंबर बिल है, इसे बहस कर दिया और इस विषय को दूसरी दिशा में ले जाने की जगह इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसे कानून की शक्ल देने की जरूरत है। मैं कहूंगा कि इस देश में आधुनिक भारत के सबसे बड़े विचारकों में से एक पंडित दीन दयाल उपाध्याय रहे हैं, जिनका मूल दर्शन ही यही है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मेरी बातों पर ध्यान दें। जिनका मूल दर्शन ही रहा है - दरिद्र नारायण की सेवा। आज असंगठित लोगों को पेंशन के माध्यम से रोटी का सहारा देना दरिद्र नारायण की सच्ची सेवा है और दीन दयाल उपाध्याय जी को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। इस नाते मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सदन यह पेंशन योजना 'पंडित दीन दयाल उपाध्याय दरिद्र नारायण सेवा पेंशन योजना' के नाम से पास करें ताकि इसके माध्यम से समाज के असंगठित लोगों की बेहतर सेवा हो और सही कल्याणकारी राज्य की स्थापना माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के राज्य में स्थापित हो। मैं यह बात कहते हुए, पुनः दुबे जी के इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय सभापति महोदय, आज हमारे माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी ने राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन, विधेयक लाया है, समझिए कि पारदर्शिता समझ में आ रही है। [हिन्दी] जिस तरह की

स्थिति समाज में पनप रही है, जिस तरह से गरीब जीने पर बाध्य हैं, अगर उनको पेंशन के माध्यम से कोई स्थान मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग गांवों में जाते हैं। वृद्धों की परिस्थिति यह है कि उनके बाल-बच्चे बड़े हो गए हैं। वे बाहर कमाने लगे हैं तो उनको कोई पूछता नहीं है। बुढ़ापे में उन्हें खाना देने के लिए उनके घर के लोग तैयार नहीं होते हैं। वे जब अपनी स्थिति बताते हैं तो लगता है कि उनमें बहुत दर्द भरा हुआ है। इस चीज को हम लोग समझते हैं। पेंशन में समरूपता न रहने के कारण, आज बिहार में उनको 200 रुपए पेंशन मिलती है। कहीं उनको 500 रुपए मिलती है और मध्य प्रदेश में शायद उनको 1000 रुपए मिलती है। हम लोग आशा किए हुए थे कि हमारी सरकार बनेगी, हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, वह गरीबों का दुःख दूर करेंगे। उन्होंने गरीबों को बहुत नजदीक से देखा है तो उनकी पेंशन बढ़ायी जाएगी। हम उन्हें तसल्ली भी देते थे। आज जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से गरीब जी रहे हैं, आजादी के बाद इन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अनाज का जो वितरण होता है, वह गरीबों को नहीं मिल पाता है। उसे अच्छे-अच्छे लोग ले लेते हैं। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने गरीबों की परिस्थिति को देखा है कि वे समाज में कैसे जी रहे हैं? उनका जीवन-यापन कैसा है? वे दवा के लिए तरस रहे हैं। उनकी सेवा के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी तो उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कमजोर लोग, किसान जो खेती करते हैं, मजदूर जो मजदूरी करते हैं या मकान और बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत-सारे काम उन लोगों के माध्यम से हुए हैं लेकिन बुढ़ापे में उनको देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए सरकार को उनकी चिंता करनी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि बूढ़ों की जो स्थिति है, इन्हें देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि कैसे इनके लिए कुछ व्यवस्था करा दें। ये पेंशन के लिए फार्म्स भरते हैं तो ये अधिकारी फॉर्म्स कहीं गायब कर देते हैं। हम लोग कई बार साइन कर के उनके फार्म्स को देते हैं। लेकिन वे उनको सुचारू रूप से नहीं चलाते हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की जो स्थिति है, उसे देख कर हम लोगों को बहुत पीड़ा होती है। ऐसा लगता है कि उन्हें जीलाने के लिए हम लोगों को कैसे और क्या-क्या करने होंगे? कभी-कभी तो ऐसा महसूस होता है कि सरकार द्वारा इन्हें पौधा लगाने का जो काम दिया गया है, उसका भी इन्हें पेमेंट नहीं किया है। इन गरीब लोगों का पैसा मारने वाले भी बहुत लोग हैं। मैं बिहार से चुन कर आई हूं। बिहार की

स्थिति को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हर जगह ऐसी स्थिति है। आजादी के बाद भी इन पर ध्यान नहीं दिया गया है। वोट के समय लल्लू-पच्चू करके इनसे वोट ले लेते हैं। उसके बाद कोई उन्हें पूछने के लिए तैयार नहीं होता। पैंशन के समय अधिकारी उनका हक, हिस्सा काट लेते हैं। उनकी पैंशन में समरूपता होनी चाहिए, गरीब लोगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर उन्हें पैसा मिलता है तो उनके परिवार के लोग भी आदर से दो रोटी खिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस परिस्थिति को हम अपनी आंखों से देखकर आए हैं, उसे बदलने के लिए हमारे माननीय सदस्य बिल लाए हैं। यह बहुत अच्छी चीज है। हम इसके लिए बहुत सोचते हैं, हमारी रातों की नींद उजड़ जाती है। ऐसा कहा गया है - जिसके पैर न फटी बिवाई वह क्या जाने पीड़ पराई। मैं गरीब लोगों की जो स्थिति देखती हूं, ऐसा महसूस होता है कि उन्हें कैसे खिलाया जाए, कैसे उन्हें दवा मिले, अस्पताल में सेवा कैसे मिले। अस्पतालों में भी बैड नहीं मिलता। हम उनके इलाज के लिए चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन उन्हें डेट पर डेट मिलती रहती है। यहां हैल्थ मिनिस्टर बैठे हुए हैं। हम कहना चाहेंगे कि अस्पतालों में बैड्स में वृद्धि करना सबसे ज्यादा जरूरी है। गरीब व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर आता है, लेकिन उसे अस्पताल में जगह नहीं मिलती। बूढ़ा व्यक्ति सबसे ज्यादा कमजोर और बीमार हो जाता है। इस परिस्थिति को सुधारने के लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे। हमारी जो सरकार बनी है, वह गरीब लोगों के लिए ज्यादा चिंतित है। इस आशा और उम्मीद से हम चाहते हैं कि उन लोगों को कम से कम एक हजार रुपये महीना पैंशन मिले जिससे वे अपना जीवन अच्छी तरह चला सकें। उन्हें यह नहीं लगेगा कि हम बूढ़े हो गए हैं। उनके बाल-बच्चे भी उनकी सेवा करेंगे। आजकल जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो वे केवल अपने बच्चों के भरण-पोषण में लग जाते हैं, बूढ़े व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। जब हम गांव जाते हैं तो देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने इतनी मेहनत करके बच्चों को बढ़ा किया है, आज उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। उन्हें इस परिस्थिति से उबारने के लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे।

माननीय सदस्य जो बिल लाए हैं, ऐसा लगता है कि यह बहुत जरूरी था। उसे पूरा करने के लिए हम खड़े होकर आज आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन्हें इस परिस्थिति से उबारना हमारा धर्म है। हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं तो आवाज उठाना भी हमारा कर्म बनता है।

08.08.2014

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): सभापति महोदय, मेरे सहयोगी और मित्र निशिकांत दूबे जी नेशनल मिनिमम पैंशन गारंटी बिल लेकर आए हैं। पिछले सप्ताह भी इस सदन में उस पर चर्चा हुई और बड़ी गंभीरता के साथ माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार दिए। हर वक्ता ने उसकी सराहना भी की। उसके पीछे छिपी भावना ऐसी है जिससे देश के करोड़ों लोगों को लाभ मिल सकता है। जो पिछले 67 वर्षों में नहीं हो पाया, आने वाले समय में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों के लिए एक अच्छी सोच, भावना के साथ वे इसे लाए हैं। सबसे पहले मैं अपनी ओर से उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि कम से कम इस देश के बुजुर्ग और गरीब लोगों के बारे में किसी ने सोचा। प्रसन्नता इस बात की है कि जिस डिपार्टमैंट के माध्यम से यह होना है, उस डिपार्टमैंट के आदरणीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी यहां मौजूद हैं। वे स्वयं जमीनी स्तर से आते हैं। एक बड़े नेता हैं और गरीब लोगों की समस्याओं को जानते हैं। उन्हीं के माध्यम से हम अपनी आवाज देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जिन्हें करोड़ों लोगों ने चुनकर एक मजबूत सरकार देकर 16वीं लोक सभा में दुनिया भर में संदेश देने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि यहां जितने भी विचार दिए जाएंगे, माननीय मंत्री जी के माध्यम से प्रधान मंत्री जी तक पहुंचेंगे और इस विषय पर कोई न कोई निर्णय जरूर लिया जाएगा। आखिर नेशनल मिनिमम पैंशन गारंटी बिल क्यों लाया गया। पिछले 67 वर्षों में देश में जितनी भी नीतियां बनती रहीं, वे कभी धर्म, कभी जाति, गरीब, पिछड़े के नाम पर बनती रहीं।

लेकिन इस पैंशन बिल में जो एक महत्वपूर्ण बात कही गयी, वह यह है कि आप किसी जाति, धर्म से हो, अमीर हों या गरीब हो, अगर आप 60 वर्ष से ज्यादा होंगे, तो 5 हजार रुपए प्रति महीने आपको पैंशन मिलेगी। यह इस बिल की सबसे बड़ी खासियत है। इसलिए मैंने कहा कि धर्म, जाति आदि सबसे ऊपर उठकर सोचा गया है। यहां पर यूनीवर्सल पैंशन स्कीम की बात की गयी। आखिर भारत में यह लागू क्यों हो? पिछले 67 वर्षों में कांग्रेस के कारण हिन्दुस्तान में जो कुछ घटा है, उससे आज समाज में बहुत बड़ा गैप आ गया है। अमीर अमीर होता चला गया और गरीब गरीब होता चला गया। एक बड़ी खाई पैदा हो गयी। आज अगर आप दिल्ली के किसी पॉश इलाके में जाकर देखिये तो एक-एक घर के बाहर चार-चार सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हैं। अमीर व्यक्ति की रक्षा करने के लिए चार सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए पैंशन सिक्योरटी बिल

लाने के बारे में किसी ने नहीं सोचा। इसे हमारे सहयोगी निशिकांत दूबे जी ने सोचा, इसलिए मैं उनका भी बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने गरीब की सिक्योरिटी के बारे में सोचा, उनकी पैंशन के बारे में सोचा। यह एक अच्छी शुरुआत है। उन्होंने कम से कम अपने आपको एक हजार रुपये तक न रोक कर पांच हजार रुपये तक सोचा, ताकि गरीब आदमी खुद भी दो वक्त की रोटी खा सके और अपने परिवार को भी दो वक्त की रोटी खिला सके।

सभापति जी, पिछले कई वर्षों से रोटी, कपड़ा और मकान का डायलॉग फिल्मों में तो आता था, लेकिन पार्लियामैंट में भी यही चल रहा है। मैं खुद लोक सभा का तीसरी बार सदस्य बना हूं। अब इस पर कितनी बार चर्चा होगी? कभी रोटी, कपड़ा और मकान की बात खत्म होगी? क्या हम आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने तक ही सीमित रहेंगे? अगर गांव में जायें, तो आज भी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात की जाती है।

सभापति जी, आप तो कई वर्षों से यहां संसद में हैं। इन विषयों को लेकर, आज भी आपने जिस तरह से किसानों की बात कही, उस समय एक दर्द आपकी बात में नजर आ रहा था। क्या हम इन बातों पर केवल यहां चर्चा ही करेंगे या कोई निर्णय भी लेंगे? आज गरीब बीमार होता है, तो उसका घर, जमीन आदि सब कुछ बिक जाता है। गरीब आदमी कहता है कि मुझे मौत मिल जाये, लेकिन वह बीमार न हो। अब दिक्कत क्या है? वह किसी अस्पताल में जायेगा तो उस बेचारे के इलाज का खर्चा ही लाखों रुपये आता है, तो उसका सब कुछ गिरवी हो जाता है। अगर वह अच्छे परिवार से भी होगा, तो बीपीएल फैमिली में उसका नाम आ जाता है। वह गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाता है। इस देश में 80 प्रतिशत बीमारियां पानी से हैं। देश में पानी की समस्या है और हम आज तक पानी की व्यवस्था नहीं कर पाये। हम देश में पानी की व्यवस्था नहीं कर पाये तो और क्या कर पायेंगे? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में हैं। हम उनके लिए दो वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाये। लेकिन प्लानिंग कमीशन बैठकर यह कर देता है कि 27 रुपये होगा या 32 रुपये होगा। हम कहां पर जी रहे हैं? आखिर हम इतनी बार चुनकर आते हैं, तो क्या हम इसका कोई रास्ता नहीं निकाल सकते? अगर जर्मनी वर्ष 1889 में सोशल सिक्योरिटी ला सकता है, यूएसए वर्ष 1776 में ला सकता है, तो भारत आज वर्ष 2014 में क्यों नहीं कर सकता? क्या सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हमें नहीं देनी चाहिए? क्या हिन्दुस्तान की

युवा पीढ़ी आज विदेशों में इसलिए नहीं जाती, क्योंकि उनको अपना भविष्य वहां पर सुरक्षित लगता है? वहां पर उनको अपार संभावनाएं लगती हैं, जहां पर उनका भविष्य सुरक्षित भी होगा और उनको एक अच्छा भविष्य भी मिल पायेगा। क्या कहीं न कहीं हम में कमी नहीं रह गयी, हमारे कानून बनाने वालों में वह कमी नहीं रह गयी? आज अगर हम यह सोचें और संविधान का अनुच्छेद 14 यह कहता है कि इक्वैलिटी टू ऑल, यानी सबके लिए एक तरह का दिया जाये, लेकिन सबके लिए एक तरह का कहां से सब कुछ मिल पा रहा है? गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, अच्छे कपड़े नहीं मिल पा रहे, अच्छे खाने की व्यवस्था नहीं मिल पा रही, अच्छा भविष्य नहीं मिल पा रहा, तो हम सब यहां 545 लोग इकट्ठे होकर उसे क्या दे पा रहे हैं, यह प्रश्न चिह्न तो हम सबके ऊपर भी उठता है। आखिर 16 बार लोक सभा में जब-जब यह चर्चा हुई होगी, तो नैशनल मिनिमम पैंशन बिल पहले क्यों नहीं लाया गया, इस तरह का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? आखिर इसके लिए कितना पैसा चाहिए--मात्र 50 हजार करोड़ रुपये। इसके लिए मात्र 50 हजार करोड़ रुपया चाहिए। वर्ष 2030 तक लगभग 20 करोड़ से लोग 60 वर्ष से अधिक की उम्र के होंगे। उनको सिर्फ पाँच हजार रुपए महीना देना है। मनरेगा के लिए 30 हजार करोड़ रुपए दे सकते हैं, नेशनल हाइवे के लिए पैसा दे सकते हैं, 18 लाख करोड़ रुपए का बजट पास कर सकते हैं, तो 50 हजार करोड़ रुपये हम नेशनल मिनिमम पेंशन स्कीम के लिए भी दे सकते हैं। इसके लिए सिर्फ इच्छाशक्ति चाहिए। उस गरीब का दर्द देखने वाला चाहिए, उसके दर्द को महसूस करने वाला चाहिए। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी जब कैबिनेट मीटिंग में इसकी चर्चा करेंगे, तो हमारे सहयोगियों की बात रखकर कह पाएंगे कि हाँ, इस देश के लोगों को सिक्योरिटी हम देंगे, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का हर गरीब आदमी, आम आदमी यह सोचता है कि अब उसका भविष्य सुरक्षित है, लेकिन यह सुरक्षित तब है, जब नेशनल मिनिमम पेंशन स्कीम आएगी। हर वर्ष 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को पाँच हजार रुपए मिलेगा, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ भी मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। यदि इन गरीबों को बीपीएल फैमिली में जाने से पहले बचाना है, तो पाँच हजार रुपए महीना देंगे, तो दो-ढाई सौ रुपए कट जाएगा और उसकी एक इंश्योरेंस हो जाएगी, तो इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि हर व्यक्ति की इस देश में इंश्योरेंस हुई होगी। वह बीमार पड़ेगा,

तो उसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। लाखों लोग सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं, लाखों लोग बगैर इलाज के मर जाते हैं, लाखों लोग अस्पताल पहुंचने से पहले खत्म हो जाते हैं, लाखों लोगों को बेड नहीं मिल पाता है। पीजीआई एम्स में लाखों लोग कॉरिडोर में स्ट्रेचर पर पड़े-पड़े खत्म हो जाते हैं। जब यह योजना शुरू हो जाएगी, तो वह खुशी-खुशी ढाई सौ रुपए कटवाएगा, अपना इंश्योरेंस करवाएगा, तो उसका जीवन भी सुरक्षित होगा। यह बात आज एक नौजवान कह रहा है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी हूँ। मैं आज युवाओं की बजाय इस सदन से अपने बुजुर्गों के लिए कुछ मांगने आया हूँ। इस नेशनल मिनिमम पेंशन स्कीम को लागू करना चाहिए। इस बिल को केवल यहाँ पर चर्चा करके खत्म न किया जाए। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी से कहना चाहता हूँ कि इस दर्द को जानिए। आप भी मध्य प्रदेश के हैं। आपकी वहाँ की सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। श्री शिवराज जी ने वहाँ के किसानों के लिए कमाल का काम किया है। आज चाहें तो आप भी एक छाप यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। देश के 20 करोड़ लोगों को एक सुरक्षित भविष्य आप दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप और सरकार इस कार्य को निश्चित तौर पर करें ताकि देश के लोगों को इसका लाभ मिले। आपका बहुत-बहुत आभार। अपनी बात समाप्त करने से श्री निशिकांत दुबे जी को भी एक बार बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि वे इस बिल को लेकर आए।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : माननीय सभापति महोदय, माननीय श्री निशिकांत दुबे ने असंगठित मजदूरों से संबंधित विधेयक पर जो चर्चा आरंभ करायी है उस पर पूरे सदन में चर्चा हो रही है। श्रम की प्रतिष्ठा करना ही देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। हम मजदूरी करते हैं, तो हमारी भी प्रतिष्ठा है, हमारी इज्जत है। हम रोजगार करते हैं, तो हमारी इज्जत है। श्रम की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। हम खेत में काम करते हैं, हम खलिहान में काम करते हैं, हम रिक्शा चलाते हैं, हम ईंट-भट्ठा पर काम करते हैं, हम पसीना बहाने का काम करते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, मशीन से ज्यादा काम इंसान करता है। मशीन तो दबता है, लेकिन इंसान हमेशा काम करता रहता है, इंसान श्रम और पसीना बहाने का काम करता रहता है। बीड़ी मजदूर का पसीना बहता है। आज चाहे खान मजदूर हों, खनिज निकालने वाले मजदूर हों, पहाड़ों और पत्थरों को हाथ से तोड़ने का काम मजदूर करते हैं। उनके हाथों में घाव हो जाता है, उनके हाथों से लहू बहते हैं और हम बैठकर उसे देखते रहते

हैं। आज फावड़ा चलाने वाले, कुदाल चलाने वाले मजदूर हैं तथा इस देश में करोड़ों असंगठित मजदूर हैं। ये हमारे बिहार राज्य में भी हैं और दूसरे राज्यों में भी हैं। गरीब-गुरबा लोग हर जगह हैं। हमारी एक मानसिकता बन गयी है, उस मानसिकता से हमें ऊपर उठना पड़ेगा।

<u>अपराह्न</u> <u>5.00 बजे</u>

श्रम की प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। इसके साथ ही उनकी भूख को कैसे दूर करेंगे? जब उनकी उम्र बीत जाती है, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था नहीं रहती है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। जब उनके बच्चे जवान हो जाते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, तो वे हाथ पसारे चलते हैं।

<u>अपराह्न 5.01 बजे</u> (श्री अर्जुन चरण सेठी *पीठासीन हुए*)

वे जब बीमार पड़ते हैं, उन्हें दवा नहीं मिलती है। जब उनकी असमय मौत होती है, तो उनके बच्चों की शिक्षा-दीक्षा नहीं हो पाती है, उन्हें पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते हैं। असंगठित मजदूर की आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं। हजारों सालों से आंसू बह रहे हैं, आजादी के इतने वर्षों बाद भी आंसू बह रहे हैं। जो इंसान बैसाखी के भरोसे चल रहा हे, गरीब-गुरबा है, असंगठित मजदूर है, उनके आंसुओं को पोंछना और उन्हें मुख्यधारा में जोड़ना हमारा फर्ज है, इसीलिए पेंशन योजना के तहत हमें उनको पेंशन देनी है। गरीब-गुरबा आज भी तालाब और नदी का पानी पीते हैं। इसलिए हाथ के काम की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यहां पेट से इंसान भूखा रहता है, दिमाग से उसे गुलाम बनाया जाता है। इस दिमाग की गुलामी को हमें देखना पड़ेगा और जो इंसान पेट से भूखा है, उसे हमें विशेष अवसर देना पड़ेगा, यह बात डा. राम मनोहर लोहिया कहा करते थे। बहते हुए आंसुओं को रोकना होगा, दिमाग की गुलामी को खत्म करना होगा और हाथ एवं श्रम की प्रतिष्ठा हमें करनी होगी। इसलिए असंगठित मजदूर के पेट की भूख को खत्म करने के लिए यह कदम जरूरी है। जब असंगठित मजदूर अपनी उम्र में जाते हैं, कभी-कभी यह भी होता है कि उनके पास कफन के पैसे भी नहीं होते हैं। यही मेरे भारत का चित्र है, यही गरीबी है, यही दरिद्रता है, यही असंगठित मजदूरों की परेशानी है, इसलिए आज सभी को सोचना होगा कि भारत में जो भी इंसान हैं, जिनकी उम्र हो जाती है, उस उम्र के बाद उन्हें पेंशन मिलनी

चाहिए, उनकी जीविका चलनी चाहिए। उनको मकान नहीं मिल पाता है, वे आसमान देखते रहते हैं, उनके सामने हजारों परेशानियां रहती हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम हाउस में रहते हैं और हमारा नौकर कहां रहता है, वह आउट-हाउस में रहता है, सर्वेंट क्वार्टर में रहता है। सर्वेंट क्वार्टर की परम्परा को तोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। उसको सर्वेंट क्वार्टर मत कहिए, क्वार्टर कह लीजिए। असंगठित मजदूरों पर जब चर्चा हो रही है, तो असंगठित मजदूर को सम्मानित करना, प्रतिष्ठित करना हमारी जिम्मेदारी है।

"जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा।"

यह इन्कलाब चलता रहेगा। यह इन्कलाब तभी बंद होगा, जब असंगठित मजदूरों को सम्मान मिलेगा, उनको दो रोटी मिलेगी, इज्जत के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। यह हम सभी का दायित्व है। यह किसी पार्टी या व्यक्ति का सवाल नहीं है कि कौन कितना क्रांतिकारी है, असंगठित मजदूरों के लिए संवेदनशील होना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आज हमें इस पर सोचना होगा। आज दो भारत बने हुए हैं - एक भारत वह है जो खाते-खाते मरता है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। उनके पास अपार दौलत है, खाते-खाते मरते हैं। दूसरा भारत वह है जो हाथ पसार कर मरते हैं, खाना उनको नहीं मिलता है। सब कुछ इसी धरती पर रह जाएगा। इसीलिए कहा गया है :

"दौलत दुनिया माल खजाना दुनिया में रह जाएगा।

हाथ पसारे आए बंदा, हाथ पसारे जाएगा। [अनुवाद] "

असंगठित मजदूरों को सम्मान दीजिए, यह हम सभी की जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी से हम मुकर नहीं सकते हैं। इसीलिए मेरे मित्र माननीय सदस्य श्री निशिकांत दूबे जी ने जो बिल का प्रारूप यहां प्रस्तुत किया है, उस पर हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। माननीय सदस्य उस इलाके से आते हैं, मेरा और उनका इलाका एक ही है। वहां जंगल में लकड़ी चुनने वाले आदिवासी हैं, दलित हैं, गरीब-गुरबा है, जो हजारों से प्रताड़ित और व्यथित रहे हैं, इसलिए जो सामाजिक मानसिकता है, उसमें भी लोगों का शोषण होता है - ईंट

भट्ठों पर मजदूरों के साथ, लकड़ी चुनने वालों के साथ, खेतिहर मजदूरों के साथ, रिक्शा ठेले वालों के साथ अन्याय होता है।

इसलिए आज इस पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं और न्याय होना चाहिए, देश में न्याय की धारा चलनी चाहिए, जिससे गरीबों को सम्मान मिल सके। जब तक उनका अपमान होगा, देश बेहतर नहीं होगा। इसलिए हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो पिछड़े हैं उन्हें आगे बढ़ाएं और जो आगे बढ़े हुए हैं उन्हें थोड़ा कम दें। इसी चीज को ध्यान में रखकर कहा गया था - विशेष सुविधा, विशेष अवसर। मजदूरों को ताकत दें, उन्हें प्रतिष्ठित करें और उनकी जब उम्र बढ़ जाती है तो उनके लिए पेंशन का प्रावधान करें। यह हमारा फर्ज है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

यह सरकार कहती है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें इस पर चर्चा नहीं, बल्कि इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि जो मजदूर हैं उन्हें सम्मान मिले, समान मजदूरी मिले, जिससे वे सम्मान के साथ जी सकें। हमारे संविधान में भी सब को सम्मान से जीने का हक दिया गया है।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. ममताज संघमिता (बर्धमान दुर्गापुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले, मुझे अपने मित्र श्री दुबे जी को सलाम करना चाहिए, क्योंकि वह इतना प्रासंगिक विधेयक लेकर आए हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में 90 प्रतिशत से अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं। जब वे काम करने योग्य स्थिति में नहीं रहेंगे तब न तो निश्चित मजदूरी वाले श्रमिकों की स्थिति में और न ही पेंशन की स्थिति में होंगे।

हमने सुबह महिलाओं के बारे में चर्चा की, जो हमारी आबादी का लगभग 50 प्रतिशत हैं, जो दयनीय स्थिति में हैं। यही हाल मजदूरों की बड़ी आबादी का है, जिनकी हालत इतनी खराब है कि हम शब्दों में बयां

नहीं कर सकते। इसलिए मेरा मानना है कि इस विधेयक पर मंत्रिमंडल में उचित चर्चा होनी चाहिए और इसे इसी सत्र में पारित किया जाना चाहिए।

सबसे पहले मैं कहूंगी कि हमें इन श्रमिकों को दर्जा देना होगा। हम जानते हैं कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां असंगठित मजदूर कार्यरत हैं। मेरे विद्वान मित्र ने इस संबंध में सब कुछ बता दिया है। हमारे पश्चिम बंगाल राज्य में बड़ी संख्या में असंगठित मजदूर हैं जैसे हथकरघा मजदूर, *जरी* मजदूर, रिक्शा चालक, खेत मजदूर, खदान मजदूर, कोयला क्षेत्र मजदूर, *बीड़ी* मजदूर और कई अन्य।

जो महिलाएं *बीड़ी* मजदूर के रूप में काम कर रही हैं, उनके मामले में मैं कहना चाहती हूं कि उनकी स्थिति अभी भी बहुत खराब है। पुरुष *बीड़ी* श्रमिकों को उनकी महिला समकक्षों की तुलना में अधिक मजदूरी मिल रही है। मुझे इसका कारण नहीं पता। लेकिन, यह एक सच्चाई है। मैं लिफाफा बनाने वाले मजदूरों के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूं। बंगाली में हम उन्हें *थोंगा* कहते हैं। उनमें से अधिकांश महिला श्रमिक हैं। उनकी हालत महिला *बीड़ी* मजदूरों जैसी ही है।

लोग अक्सर पूछते हैं कि यह पेंशन कहाँ से आएगी? इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं। जिन नियोक्ताओं के अधीन ये श्रमिक कार्यरत हैं, उन्हें एक रजिस्टर रखना चाहिए और उनका उचित रिकॉर्ड रखना चाहिए। उन्हें सरकारी अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर इस रजिस्टर को भी प्रस्तुत करना चाहिए। नियोक्ताओं पर भी किसी न किसी प्रकार का कर लगाया जाना चाहिए। इस तरह, सरकार इन श्रमिकों की पेंशन के लिए कुछ पैसे एकत्र कर सकती है।

श्री अनुराग ठाकुर सहित मेरे कुछ मित्रों ने बीमा के बारे में बताया। उसे भी इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए ताकि वहां से वो पैसा आ सके। लेकिन मैं अन्य सभी वक्ताओं से भी सहमत हूं कि यह विधेयक, राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन (गारंटी) विधेयक पारित किया जाना चाहिए और 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को कुछ पेंशन मिलनी चाहिए। इससे गांवों और शहर की गलियों में वृद्ध भिखारियों को कम करने में भी मदद मिलेगी।

08.08.2014
[हिन्दी]

हंसराज गंगाराम अहीर (चन्द्रपुर): सभापति जी, माननीय निशिकांत दुबे जी ने जो बिल पेश किया है जिसमें देश में पेंशन-भोगियों के लिए जो पेंशन् योजना होनी चाहिए, उसका जिक्र किया है। यह एक अच्छा बिल है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

महोदय, देश में बहुत बड़ी संख्या में निजी और असंगठित क्षेत्र में मजदूर काम करते हैं, तथा कुछ सरकारी कंपनियों में भी काम करते हैं, जिन्हें पेंशन बहुत कम मिलती है। यहां पर कोल माइन्स में काम करने वाले और बीड़ी मजदूरों का भी उल्लेख हुआ है। सेल में भी काम करने वाले कंट्रेक्ट लेबर हैं जिनकी पीएफ कटने के बाद भी उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। हमारे पास असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की शिकायतें आती हैं जो पेंशन नहीं पा रहे हैं।

मैं कोल माइन्स के मजदूरों के बारे में आपसे कहूंगा कि देश में जब कोल इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसके पहले यह काम निजी क्षेत्र में था और वर्ष 1973 के बाद इस क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर हैं उन्हें बहुत कम पेंशन मिलती है। मेरे क्षेत्र में ऐसे कई मजदूर हैं जिन्हें 100,150 या फिर 200 रुपये पेंशन मिलती है। राष्ट्रीयकरण के बाद उनका कार्यकाल बहुत कम रहा और इस वजह से उन्हें पेंशन बहुत कम मिलती है। जब 1998 में कोल माइन्स पेंशन स्कीम बनी, तो उनका कार्यकाल कम होने की वजह से तथा उनका पीएफ कम कटने की वजह से पेंशन कम मिलती है। यही बात ईपीएफ पर लागू होती है, जैसे सेल में काम करने वाले मजदूर हैं उनके हाथ में भी 300-400 रुपये पेंशन के आते हैं। जो कंट्रेक्टर लेबर्स हैं उनका पीएफ तो कंपनियां काटती हैं लेकिन उनका अकाउंट नम्बर उन्हें नहीं देती हैं और 3 साल या 4 साल का जब कंट्रेक्ट पूरा हो जाता है तो ये असंगठित रूप में काम करने वाले जो लेबरर्स हैं इन्हें पेंशन के बारे में पता ही नहीं होता है। इस तरह से इसमें भ्रष्टाचार होता है, अतः यह जो बिल आया है इसमें इस बात पर भी विचार होना चाहिए कि जो कंट्रेक्ट पर मजदूर हैं इनका पीएफ कटने के बाद इन्हें कुछ पेंशन मिले। प्रोविडेंट कमीश्नर के पास करीब-करीब 11 हजार करोड़ रुपये ऐसा है जिसका कोई मालिक नहीं है। मेरी जानकारी है कि सीएमपीएस में 11 हजार

करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और ऐसे ही कंट्रेक्ट लेबर जो काम बंद होने के बाद से पेंशन से वंचित हैं, उन्हें भी इस बिल के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस बिल की बहुत जरूरत है।

अति महत्वपूर्ण विषय को लेकर जो बिल पेश किया गया है, इस पर सरकार विचार करे। कोल माइंस में कांट्रेक्ट लेबर की संख्या तीन लाख से अधिक है। ये काम करते हैं, इनका पीएफ कटता है, लेकिन इन्हें पेंशन नहीं मिलती है। सेल में हजारों मजदूर हैं, मैं सरकारी क्षेत्र की बात कह रहा हूं तो निजी कम्पनियों में तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इस वजह से करोड़ों की संख्या में असंगठित स्वरूप में काम करने वाले जितने मजदूर भाई हैं, इन्हें पेंशन देने के लिए सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। सौभाग्य से यह जो संकल्प पेश किया गया है इसमें ईपीएप-1995 है, उसका ही उल्लेख आ रहा है। मैं कहूंगा कि एक हजार से बढ़ाकर कम से कम पांच हजार किया जाना चाहिए और केवल ईपीएफ से ही नहीं बल्कि सीएमपीएफ से भी जोड़ना चाहिए। जितने भी देश में कांट्रेक्ट लेबर हैं, उनका पीएफ कटता है इनकी संख्या क्या है, इनकी गिनती होनी चाहिए और सभी को कवर किया जाना चाहिए। देश में जो मेहनत करने वाला वर्ग है, जिसके बारे में चिंता प्रकट की है कि 60 वर्ष के बाद उनके जीने के साधन समाप्त हो जाते हैं, उन्हें अगर पेंशन मिल जाती है तो वे बुढ़ापे में अच्छा जीवन जी सकेंगे। मैं सरकार से विनती करता हूं कि इस बिल को महत्व देते हुए विचार करें। मैं निशिकान्त जी को कहना चाहूंगा कि इस बारे में बहुत गहराई से सोचा है और मंत्री जी भी इस विषय पर गंभीरता से सोचें और इस संबंध में सरकारी बिल लाएं।

श्री शंकर प्रसाद दत्ता (त्रिपुरा पश्चिम): सभापति जी, त्रिपुरा में जो मजदूर वर्ग है, वह पूरा का पूरा असंगठित सेक्टर का है। वहां कोई बड़ा कारखाना नहीं है। मीडियम साइज फैक्टरी है जहां कुल मिलाकर एक हजार मजदूर काम करते हैं और इसे छोड़कर हमारे राज्य में जो मजदूर वर्ग है लगभग छह लाख मजदूर हैं, जिनमें सारे के सारे अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं। हम लोगों को यही जानकारी है कि हिंदुस्तान में अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर 40 करोड़ वर्कर हैं। पूरे वर्कर्स में 93 परसेंट वर्कर्स अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं।[अनुवाद] केवल सात प्रतिशत संगठित क्षेत्र में हैं।[हिन्दी] आज हमारे मित्रों ने जो बिल लाए हैं और हमारे साथी ने जो बिल लाए हैं, मैं सभी को विनती करूंगा कि यह प्राइवेट मेम्बर बिल आया है, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह

बिल लाए हैं, मेरा विनती होगा कि अगर सरकार गंभीर होती, तो आज यह बिल प्राइवेट मेम्बर बिल नहीं होता बल्कि सरकारी बिल होता। [अनुवाद] अगर हम ईमानदारी से असंगठित मजदूरों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस सभा में एक सरकारी विधेयक लाना होगा और इसके लिए इस सभा के सभी सदस्यों को इसका समर्थन करना चाहिए।

[हिन्दी] हमारे असंगठित श्रमिक, महोदय, आपको जानकारी है कि हमारे मित्रों ने बताया कि असंगठित क्षेत्र में वर्कर बहुत दुख में काम करते हैं। हमारी मेड सर्वेंट जो घर में काम करती हैं, महीने में उन्हें चार सौ, पांच सौ रुपए से ज्यादा नहीं मिलते हैं। दो-तीन घर में काम करके हजार-डेढ़ हजार रुपया पूरे महीने में कमाते हैं और इतने पैसों में उन्हें पूरा परिवार चलाना पड़ता है। यही बात हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, हमारा जो बीड़ी वर्कर्स हैं, हमारे रिक्शा चलाने वाले हैं, सभी को इसी दिक्कत में काम करना पड़ता है। महीने में 2-3 हजार से ज्यादा उनको तनख्वाह नहीं मिलती। इसलिए 4-5 आदमी का अगर परिवार है तो वह कैसे चलेगा? जब 60-65 साल का होने के बाद जब उनमें काम करने की ताकत नहीं रहती तो उनका परिवार कैसे चलता है? उनके घर में खाना-पीना, लाने के लिए कोई नहीं होता है तो 60 साल तक जिस आदमी ने काम किया, उनके प्रति देश को भी कुछ करने की जरूरत है। इसके लिए आज जो बिल यहां लाया गया है, उसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं और हमारी पार्टी भी उसका पूरा समर्थन करती है। हमारी पार्टी पूरे देश भर में इसी कॉज के लिए काम करती है। सेन्टर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन्स में मैं काम करता था और इस संगठन में जब यूपीए सरकार थी, सिर्फ एक हजार करोड़ रुपया पूरे 40 करोड़ आदमी के लिए रखा गया था तो हमने बताया कि एक आदमी को इस एक हजार करोड़ रुपये में से साल में केवल 25 रुपया मिलेगा। इसके लिए एनडीए सरकार से हमारी विनती है कि आज जो बिल दुबे जी यहां लाए हैं, उस बिल का रूपान्तर करके इसको गवर्नमेंट बिल के रूप में इधर लाया जाए और उसके बाद पास कराने पर हमारे साथी मित्रों ने जो 5000 रुपये की मांग जिससे सभी को पेंशन मिले और हमारे 40 करोड़ असंगठित वर्कर्स के लिए जो 5000 रुपये की मांग हमारे मित्र श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रखी थी, मैं भी कहना चाहूंगा कि ऐसा एक एक्ट बनाया जाना चाहिए जिसमें पूरे असंगठित वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए, पेंशन के लिए पूरा इंतजाम हो सके। इसी के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

खान मंत्री, इस्पात मंत्री तथा श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय सभापति जी, आज अशासकीय बिल निशिकांत दुबे जी ने प्रस्तुत किया है, राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन बिल 2014 पर चर्चा हो रही है। निशिकांत जी के अतिरिक्त इस विधेयक पर श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री प्रहलाद पटेल जी, श्री सौगत राय जी, श्री भर्तृहरि महताब जी, श्रीमती कविता कलवकुंतला जी, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन जी, श्री हुकुम सिंह जी, श्री वाराप्रसाद राव जी, श्री अर्जुन मेघवाल जी, श्री जगदम्बिका पाल जी, श्री रामकृपाल यादव जी, वीरेन्द्र कश्यप जी, श्री पी.पी. चौधरी जी, श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय जी, श्रीमती रमा देवी जी, श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी, श्री हंसराज जी और सभी माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। निशिकांत दुबे जी ने जब यह बिल प्रस्तुत किया था तो मैंने उनके भाषण को भी सुना था और उनके भाव को भी समझने का प्रयत्न किया था। निश्चित रूप से निशिकांत जी ने बिल प्रस्तुत करने से पहले मजदूर क्षेत्र का व्यापक दृष्टि से अध्ययन किया और बहुत तैयारी के साथ बिल बनाया और बिल संसद के समक्ष लाए। बिल में मजदूरों एवं गरीबों की समस्याएं भी हैं, उनकी पीड़ा भी है, संवेदना भी है, निराकरण के प्रति उनका भाव भी दिखाई देता है जो उन्होंने अपने भाव के माध्यम से यहां व्यक्त किया है।

इस बिल पर सभी वरिष्ठ सदस्यों ने अपने अनुभव के आधार पर विचार व्यक्त किए हैं। श्रमिक क्षेत्र देश का महत्वपूर्ण और व्यापक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी हैं। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बहुत से नियम और कानून हैं, पेंशन योजना है और अनेक सुविधाएं भिन्न कानूनों के माध्यम से प्रदत्त की जाती हैं। जहां तक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का प्रश्न है यह बहुत व्यापक है और बड़ी संख्या से जुड़ा हुआ है। संख्या बड़ी है इसलिए चिंता भी बड़ी है। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे घरेलू कामगारों का क्षेत्र हो, चाहे निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे हाथ ठेला रिक्शा चलाने वालों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में असंगठित कामगार काम कर रहा है। प्रवासी मजदूरों का भी विषय आज देश के सामने है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग मजदूरी के लिए प्रवास करते हैं। उनको भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माननीय सदस्यों ने बहुत ही जवाबदारी के साथ कहा कि आजादी को 66 वर्ष व्यतीत हो गए और 66 वर्ष में एक गरीब आदमी को

जो न्याय मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि आजादी को लंबा काल खंड बीता है और उसके बावजूद भी बहुत समस्याएं सुरसा की तरह खड़ी हैं जो आज भी निराकरण की बाट जोह रही हैं, इसमें एक श्रमिक, गरीब और किसानी करने वाला वर्ग भी है।

महोदय, मैं सामान्यत: कभी इस दृष्टि से विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि आजादी के बाद देश की समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से, कानून बनाने की दृष्टि से, निर्देश की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, खेती को प्रोत्साहित और संरक्षित करने की दृष्टि से, बड़े कारखाने लगाने की दृष्टि से, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से जितना संतुलित विचार और समग्र विचार होना चाहिए था, उसका अभाव रहा है। इसके कारण आज देश में बड़ा असंतुलन खड़ा हो गया है। देश में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो 50 लाख रुपए प्रति मास तनख्वाह लेता है और एक व्यक्ति ऐसा भी है जो 500 रुपए तनख्वाह में गुजर करता है। यह असंतुलन बड़ा है और निश्चित रूप से इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। इस वर्ग के लोगों की सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना समाज और सरकार का दायित्व है। इस दृष्टि से मैं यह नहीं कहता कि काम नहीं हुआ है, हुआ है, सरकारों ने समय-समय पर कानून भी बनाए हैं और इस दिशा में आगे हाथ बढ़ाने की कोशिश भी की है। लेकिन जब हम अ्संगठित श्रमिकों के बारे में विचार करते हैं तो निश्चित रूप से हम सबके ध्यान में आता है, चाहे आज एनएसएसओ के आंकड़े ले लो या किसी ट्रेड यूनियन से आंकड़े ले लो, बहुत सी संस्थाएं सर्वे इत्यादि में संलग्न रहती हैं, असंगठित कामगारों की दृष्टि से कोई 43 करोड़ का आंकड़ा बताता है, कोई 47 करोड़ का आंकड़ा बताता है, कोई 37 करोड़ का आंकड़ा बताता है। मैं मंत्री होने के नाते यह बात जवाबदारी के साथ कह सकता हूं कि देश में आज की दिनांक तक असंगठित कामगारों की संख्या का वास्तविक आंकड़ा नहीं है। इसके लिए सीधे-सीधे जो प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए थी, वह नहीं बनाई गई। प्रक्रिया नहीं बनी तो आंकड़ा सामने नहीं है, आंकड़ा नहीं है तो हमें अपना कमांड एरिया नहीं मालूम, कमांड एरिया नहीं मालूम तो हमारी उस पर व्यापक दृष्टि नहीं पड़ती। जब व्यापक दृष्टि नहीं पड़ती है तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई योजना कैसे बनेगी। योजना बनती है, योजना में कुछ फंडिंग्स भी होती है। हम सोचते हैं कि वह 47 करोड़ लोगों पर लागू हो जाए। लेकिन अगर योजना का दायरा 47 करोड़ का नहीं है,

योजना के लिए बजट 47 करोड़ के लिए नहीं है तो 47 करोड़ लोगों को उसका फायदा कैसे मिलेगा। [अनुवाद] यह निश्चित रूप से अपूर्णता मुझे दिखाई देती है और इसलिए मुझे लगता है कि आज तो इस विस्तृत क्षेत्र में एक प्रक्रिया बनाना है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम यह जान सकें कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला वह गरीब मजदूर कौन है, जिस मजदूर की चिंता और जिस मजदूर की सुरक्षा और जिस मजदूर का आर्थिक संरक्षण करने के लिए हम सब लोग विचार कर रहे हैं। [हिन्दी] मैं विभाग में जब इस दृष्टि से निशिकांत जी के बिल पर चर्चा कर रहा था तो मैंने बहुत सारे पक्षों से पूछने की कोशिश की तो सामान्य तौर पर कुछ सर्वे के आंकड़े रहते हैं और उन सर्वे के आंकड़ों के आधार पर यह बात आती है कि इतने मजदूर हमारे यहां हैं। लेकिन वह सर्वे सैम्पल सर्वे ही होता है। सैम्पल सर्वे के कारण एक अंदाज लगाया जा सकता है, कोई वित्तीय साधन की व्यवस्था करनी हो तो की जा सकती है, लेकिन आम व्यक्ति का चिह्नांकन और पहचान नहीं हो सकती। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार की पहली चिंता असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनकी पहचान करने की होनी चाहिए और उस दृष्टि से सरकार प्रयत्न करेगी, ऐसा मैं आप सब को इस अवसर भरोसा दिलाना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार जब एनडीए की सरकार यहां थी तो निर्माण के क्षेत्र में भी असंगठित कामगार काम करते थे और उस समय माननीय वाजपेयी जी ने इस बात की चिंता की थी कि निर्माण मजदूरों के लिए कानून बने, उनके लिए फंड की व्यवस्था हो और उनके लिए योजना बने। उस समय वह बनी थी और उसका लाभ आज मिल रहा है। इसी प्रकार की योजनाओं के माध्यम से भिन्न-भिन्न राज्य सरकारें भी अपने यहां भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बोर्डों का गठन करती है, उस क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की पहचान करती हैं, उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाती हैं और उन योजनाओं के माध्यम से उनके सरोकारों को चिह्नित करके उनका निराकरण करने का प्रयत्न करती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि अभी 2014 तक तो निशिकान्त जी ने बिल के माध्यम से कहा कि पांच हजार रुपये पेंशन होनी चाहिए। सभी सदस्यों ने निशिकांत जी के बिल का समर्थन भी किया। अब जब सभी सदस्य समर्थन कर रहे हैं और मैं ही अकेला विरोध करूं, यह मुझे भी उचित नहीं लगता। लेकिन मैं इसके साथ ही यह कहना चाहता हूं कि हम 2014 में

बैठे हैं, 1947 में देश आजाद हुआ। 2014 में यह सुनिश्चित हो पाया, जिस दिन इस संसद में बजट प्रस्तुत हुआ कि न्यूनतम पेंशन इस देश में एक हजार रुपये होगी, यह वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा। जब 2014 में हम संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए न्यूनतम एक हजार रुपये माहवार पेंशन करने की स्थिति में आ पाये हैं तो हमें अंदाज लगाना चाहिए कि पांच हजार रुपये तक पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा। आज यह परिस्थिति है, उसके लिए प्राथमिक रूप से उन्होंने ढाई सौ करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है। इसलिए मैं माननीय मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय जेटली जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने श्रम मंत्रालय के उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, उसका नोटिफिकेशन हमारे विभाग से चला गया है, कुछ दिन में नोटिफिकेशन हो जायेगा और मजदूरों के हित में जो वेज बढ़ाने का निर्णय है, 15 हजार रुपये तक की तनख्वाह वाले मजदूर उस दायरे में आयेंगे। निश्चित रूप से यह निर्णय भी उसी समय उनके अभिभाषण के दौरान हुआ है। यह मजदूरों को और गरीबों को सम्मान देने वाली बात है। मैं इस अवसर पर एक बात आप सब लोगों के समक्ष कहना चाहता हूं। मैं भी सामान्य तौर पर गरीब और मजदूर क्षेत्र में काम करने वाला कार्यकर्ता रहा हूं। सामान्य तौर पर इस हिंदुस्तान में एक गलती और हुई है, जब भी किसी को सम्मान देने की बात आई है, तो उस सम्मान को हमेशा सरकारों ने भी और राजनेताओं ने भी पैसे से तौलने की कोशिश की है।

अगर किसी गरीब को सम्मान देना है तो पैसा दे कर सम्मान नहीं हो सकता है। अगर किसी मज़दूर को सम्मान देना है तो उसको पेंशन दे कर सम्मान नहीं हो सकता है। पेंशन दे कर उसका इलाज कराया जा सकता है। पेंशन दे कर उसको रोटी दी जा सकती है। लेकिन पेंशन के कारण उसको सम्मान नहीं मिल सकता है। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन्होंने वतन पर अपनी कुर्बानी दी, वतन के लिए मरे, वतन के लिए लड़े और उन्होंने ऐसे तमाम सारे काम किए, जिसके कारण उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए। सम्मान के रूप में उनको पेंशन दी जाती है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, हम सब आपने-अपने जिलों में काम करते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन अगर हम सम्मान की औपचारिकता एक नारियल दे कर पूरी करते हैं और उसी को सम्मान माना जाता है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सम्मान को पैसे से नहीं तोला जा सकता है। हमारे प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह बात अपने पहले भाषण में कही थी कि

सत्यमेव जयते हम बहुत दिनों से कहते रहे हैं, अब श्रममेव जयते का नारा हमें लगाना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी जी ने श्रममेव जयते की बात कही तो निश्चित रूप से सरकार का मंतव्य उस बात से प्रकट भी होता है और सरकार की दिशा आगे चलने की दिखाई भी देती है। अगर किसी श्रमिक को सम्मान देना है, तो सम्मान पेंशन से नहीं होगा, सम्मान सिर्फ उसकी तनख्वाह बढ़ाने से नहीं होगा। उसे पेंशन भी मिलनी चाहिए। उसको तनख्वाह भी मिलनी चाहिए। उसको भत्ते भी मिलने चाहिए। उसके हित लाभ सुरक्षित भी रहने चाहिए। लेकिन जब तक गरीब कामगार का अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में अगर बड़े लोग सम्मान देना नहीं सीखेंगे, तब तक उसे सम्मान नहीं मिलेगा। अगर हम किसी गरीब मज़दूर को सम्मान देना चाहते हैं, हम किसी श्रमिक को सम्मान देना चाहते हैं और निश्चित रूप से जब श्रममेव जयते का नारा पूरा करना चाहते हैं तो जरूरत होगी कि घर में काम करने वाली बाई को भी हम जी कह कर पुकारें, हमारा जो ड्राइवर है, दिन-भर अपनी जान जोखिम में डाल कर लंबा रास्ता तय कर के हमारे यातायात को सुगम बनाता है, हम उसको जी कह कर पुकारें, जब हम भोजन करें तो हम उसे अपने साथ बिठा कर भोजन कराएं। जब हम अपने नौकर को, अपने घर में काम करने वाले मज़दूर को बराबरी का सम्मान देंगे, उस दिन इस हिंदुस्तान में इस मज़दूर को कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हर प्रकार का सम्मान उसे मिल जाएगा।

जहां तक पेंशन योजनाओं का सवाल है, निश्चित रूप से एक नहीं बहुत सारी पेंशन योजनाएं इस देश में श्रमिकों के लिए भी हैं, जिनके माध्यम से पेंशन दी जाती है। सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन मिलती है। विकलांगों को पेंशन मिलती है। विधवा बहनों को पेंशन मिलती है। बच्चों को पेंशन मिलती है। अनाथों को पेंशन मिलती है। नि:शक्त लोगों को पेंशन मिलती है। नॉमिनी को पेंशन मिलती है। अभी एक स्वावलंबन योजना आई है, उसमें भी पेंशन की बात शुरू हुई है। अगर लोग बचत करना चाहते हैं तो वित्त मंत्री जी ने उस दिन कहा था कि वह एक हज़ार रुपये व्यक्ति के अकाउंट में डालेंगे और व्यक्ति एक हज़ार रुपये अथवा उससे ज्यादा उस अकाउंट में बचत करें । जब उसके काम करने की आयु पूरी होगी, उस समय जो फण्ड क्रिएट होगा, उससे उसकी पेंशन की सुनिश्चितता की जाएगी। इसी प्रकार से असंगठित क्षेत्रों में भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों के कल्याण की दृष्टि से बहुत सारे काम किए जाते हैं। चाहे वह आम आदमी बीमा योजना हो, जननी

सुरक्षा योजना हो, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हो और श्रम विभाग की आरएसवीवाई (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना) है, यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत 30 हज़ार रुपये तक का हर श्रमिक का इलाज सुनिश्चित करने का काम सरकार करती है। हमारी कोशिश है कि इस योजना के दायरे को हम और बढ़ाएं और व्यापक करें, जिससे कि इस योजना में ज्यादा से ज्यादा लोग कवर हों और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। इस दृष्टि से भी हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। बीड़ी वर्कर्स हों या माइंस में काम करने वाले वर्कर्स हों, उनके लिए भी अलग-अलग प्रकार के कानून बनाए गए हैं। उनके माध्यम् से उनकी सामाजिक, आर्थिक और चिकित्सीय सुरक्षा देने का प्रयत्न भारत सरकार कर रही है।

साथ ही साथ मैं यह भी इस अवसर पर आप सब लोगों के मध्य कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो हमारा असंगठित क्षेत्र का कामगार है, यह क्षेत्र बड़ा व्यापक है। मैं समझता हूं कि जब सरकार वर्ष 2008 में कानून लायी थी, तो सरकार ने इसके लिए प्रयास भी किए होंगे और सरकार ने प्रयत्न किए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के माध्यम से वे प्रयत्न होने चाहिए थे, हुए भी होंगे, लेकिन आज तक जितने भी प्रयत्न हुए हैं, मैं उन प्रयत्नों को अपर्याप्त मानता हूं और उन प्रयत्नों को बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है।

कृषि के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ऐसे असंगठित कामगार काम करते हैं, निर्माण के क्षेत्र में भी बड़ी संख्या है, जो आज चिन्हित नहीं हैं। ठेले, रिक्शे चलाने वाले बड़ी संख्या में हैं और छोटे-छोटे घरेलू कामगारों की बड़ी संख्या है, जिनका चिन्हांकन नहीं हो पाता है। हमारे भर्तृहरि मेहताब जी केरल की एक पेंशन योजना का जिक्र कर रहे थे। मैंने देखा कि वह वर्ष 2009 में शुरू हुई । 15 हजार लोगों को उसका लाभ मिला। वह एक अच्छी योजना है। निश्चित रूप से अन्य राज्यों में इस प्रकार की योजनाएं हैं, छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी हम लोग पेंशन देते हैं। ऐसी योजनाएं अन्य प्रांतों में भी होंगी, जिनकी मुझे जानकारी नहीं है। प्रांत इसके लिए स्वतंत्र हैं, अपनी-अपनी आर्थिक अवस्था को देखते हुए वे इस दिशा में योजना बना सकते हैं। लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि गरीब मजदूर की सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, उसकी चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए और उसको सामाजिक सम्मान मिलना चाहिए। इस दृष्टि से हम सब को सामूहिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सभी संसद सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ, हम सभी लोग जीवंत रूप से अपने-अपने क्षेत्र में काम करते हैं। हमारे क्षेत्र में लगभग 16 से लेकर 22-25 लाख तक मतदाता होते हैं और उसमें एक बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की भी होती है। हम सब लोग भी इसमें अपना योगदान करें और असंगठित क्षेत्र के लोग चिन्हांकित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम हो जाएगा। [अनुवाद] जब एक बड़ा दर्पण दिखने लगेगा और उसमें सरकार जब अपना शीशे में मुँह देखेगी और जब उसे लगेगा कि मुझे इतने बड़े क्षेत्र के लिए कुछ करना है तो सरकार उस दिशा में प्रवृत्त होगी। यह जो अशासकीय बिल निशिकान्त दुबे जी लाए हैं, मैं उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करता हूं, लेकिन आज मैं उनको यह अनुरोध इसलिए करना चाहता हूँ कि कोई भी पेंशन योजना जब सरकार बनाती है, तो सरकार लोकतंत्र में संघीय सरकार होने के कारण राज्य सरकारों के प्रति प्रतिबद्ध है, ट्रेड यूनियंस के प्रति प्रतिबद्ध है, औद्योगिक क्षेत्र में जो लोग उद्योग के क्षेत्र में काम करते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन इस पेंशन योजना में होता है। सभी स्तरों पर इसकी वार्ता करने की आवश्यकता है, सभी स्तरों पर इसकी सहमति होने की आवश्यकता है। खाली अगर हम कोई बिल पारित कर देंगे और उसके कारण कंट्रीब्यूशन आने लगेगा, पैसा आने लगेगा और पेंशन योजना शुरू हो जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लोकतंत्र में जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को हम सब लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए आज उनका यह जो बिल है, उसके भाव का मैं निश्चित रूप सम्मान करता हूं और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निशिकान्त जी को प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह अपना बिल वापस ले लें।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदय, धन्यवाद। मैं सारे राजनीतिक दल और 19 लोग, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, अधीर रंजन चौधरी साहब, प्रहलाद सिंह पटेल साहब, सौगत राय साहब, भर्तृहरि महताब साहब, के.कविता जी, मुल्लापल्ली रामचन्द्रन साहब, हुक्मदेव नारायण यादव जी, श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली, जगदम्बिका पाल जी, राम कृपाल यादव जी, वीरेन्द्र कश्यप जी, पी.पी. चौधरी जी, महेन्द्र नाथ पाण्डेय जी, रमा देवी जी, हमारे भाई अनुराग सिंह ठाकुर साहब, जय प्रकाश नारायण यादव जी, डॉ संघमिता जी, हंसराज गंगाराम अहीर साहब और शंकर प्रसाद जी, इस सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष तौर पर

माननीय मंत्री जी के बारे में मैं यह कहूँ कि वे इस चिन्ता को देश के सामने लाये और जो बात आज ही अनुराग सिंह जी ने कही कि जाति-पाति, वर्ग , धर्म, सम्प्रदाय, आरक्षण, साम्प्रदायिकता इन सबसे ऊपर यह बिल था। इसके लिए मेरा आग्रह था कि सरकार इस चीज को मान ले। सरकार ने कहा है कि इस पर विचार करेंगे।

महोदय, जब इस बिल पर चर्चा शुरू हुई तो मुझे कई पत्र आए, जिससे लगा कि आज भी देश में यह चीजें हैं। मैं उनमें से कुछ पत्रों को यहां पढ़ना चाहूंगा। एक पत्र सिने स्टार एसोसिएशन की तरफ से आया। हम लोग उनकी चकाचौंध को देखते हैं, यह बड़ी दुनिया होती है, लोग उनके ऑटोग्राफ़ लेने के लिए परेशान होते हैं। उनका पत्र है- "दादा साहेब फाल्के का नाम कौन नहीं जानता है। उनकी जद्दोहद, फिल्मों के लिए दीवानगी ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को जन्म दिया। उनके नाम पर हर साल हम अवार्ड भी देते हैं। उन्हीं की इस कला की दीवानगी की वजह से हम आज सिनेमा के सौ वर्ष के इतिहास को सेलीब्रेट कर पा रहे हैं। मगर एक सच्चाई यह है कि इंडस्ट्री के लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार ने उनके परिवार को एक घर भी मुहैया नहीं कराया। ऐसा ही एक और उदाहरण है, ए.के. हंगल साहब न जाने कितनी फिल्मों में अपने हुनर का लोहा मनवाने वाले, वह चमकदार कलाकार जिंदगी के आखिरी मोड़ पर भयंकर अंधेरों में उठते हुए मर गए।" यह एक लम्बी कहानी है, मैं केवल इसकी दो-चार लाइनें पढ़ना चाहता था। माननीय मंत्री जी संयोग से माइन्स के भी मंत्री हैं, सेल के भी मंत्री हैं, स्टील एथॉरिटी के बारे में हंसराज अहीर साहब ने माइनर्स की और स्टील इंडस्ट्री की बात कही। स्टील एथॉरिटी की एम्पलायी यूनियन के चेयरमैन रहे हैं श्री वी.एन. शर्मा साहब उनका एक लेटर है- । [अनुवाद] "संसद के चालू सत्र में असंगठित और निजी क्षेत्रों के सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए दूरदर्शी राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन गारंटी विधेयक, 2014 पेश करने के लिए हम आपको बधाई देते हैं।

हम **सेल** के एक लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवन साथियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में दयनीय परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत सरकार केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों और **सेल** के सेवानिवृत्त लोगों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद की लाभ नीति में बुनियादी बदलावों के कारण उनके लिए कोई नीति नहीं बना सकी है, जिन्हें 2007 से पहले और 2007 के बाद की श्रेणी के सेवानिवृत्त लोगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। " वह यह कहते हैं कि हम लोगों की

08.08.2014

स्थिति ऐसी है- "वे 2007 से पहले, 1950 और 1960 के दशक की शुरुआत में सेवा में शामिल हुए थे, और अब वे 70 और 80 के वर्ष के हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि 1950 और 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में इन अगुआवों द्वारा रखी गई मजबूत नींव और इन सेवानिवृत्त लोगों द्वारा अत्यधिक कठिन समय में की गई प्रतिबद्धता, कड़ी मेहनत और योगदान ने **सेल** को राष्ट्र का गौरव बनाने में योगदान दिया। " [हिन्दी] लेकिन आज वे अपनी पेंशन के लिए जूझ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, उनके लिए हम फार्मूलेट नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण था कि हमने 90-93 परसेंट जो लोग थे, जिनकी स्थिति मैं प्रेमचंद जी की ईदगाह की कुछ लाइनें पढ़ना चाहूंगा जिनकी स्थिति आज भी वैसी ही है कि हामिद पोता है, उसके माँ-बाप की मृत्यु हो चुकी है और वह अपने दादी के पास रहता है। उसकी दादी का नाम अमीना है। उसकी कुछ लाइनें मैं यहां पढ़ना चाहूंगा- "अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने-अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है? क्योंकि कोई नहीं है और दादी बूढ़ी है। उसे कैसे मेले में अकेले जाने दे? उस भीड़-भाड़ में अगर बच्चा खो जाए तो क्या हो? नहीं अमीना, उसे क्यों जाने दे। वह थोड़ी-थोड़ी दूर पर उसे गोद लेगी, लेकिन सेवइयां कौन पकाएगा? वह चाहती है कि वह उसके साथ जाए, लेकिन उसके साथ कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उसे साथ ले जाए। पैसा होते तो लौटते-लौटते सब सामग्री जमा कर झटपट बना लेते। यहां तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे, मांग का तो भरोसा ठहरा, उस दिन फहिमन के कपड़े सीये थे, आठ आने पैसे मिले थे, उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं, दो पैसे का दूध ही चाहिए तो अब तो कुल दो आने पैसे बच रहे हैं, तीन पैसे हामिद की जेब में, पांच अमीना के बटुए में, यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। धौबन, नाइन, मेहतरनी और चूड़िहारिन सभी तो आएंगी, सभी को सेवइयां चाहिए। थोड़ा किसी को आंखो नहीं दिखता, किस मुंह से चुराएंगी और मुंह क्यों चुराएं, साल भर का त्यौहार है।'

आज भी गांव की स्थिति इस ईदगाह की स्टोरी से अलग नहीं है। यही कारण था कि मैंने कृषक, कृषि, कृषक मजदूरों के लिए, गाय-भैंस चराने वालों के लिए, हस्तशिल्प कारीगर, कालीन मजदूर, लोहार, कुम्हार, सोनार, मछुवारे, चमड़ा उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए, तेन्दुपत्ता चुनने वाले लोगों के लिए, बीड़ी और

ईंट मजदूरों के लिए, पत्थर मजदूरों के लिए, मकान बनाने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, माइग्रेंट्स लेबर्स के लिए और खांडसारी उद्योग में काम करने वाले तथा प्राइवेट लोगों के लिए मैं यह बिल लेकर आया था। मुझे लगता था कि आजादी के 67 साल बाद जिस तरह से सारी पोलिटिकल पार्टियों के सदस्य, चाहे भर्तृहरि महताब साहब हों या कोई अन्य हो, उन्होंने कहा कि विलेज की इकोनोमी अपने आप में डपेंडेंट हुआ करती थी, काशपीठ से ऊपर, जब वे तकरीर दे रहे थे। जिस तरह से हंसराज अहीर साहब और हमारे मित्र अनुराग सिंह ठाकुर साहब ने कहा, वे युवाओं की बात करते-करते आज बूढ़ों की बात करने के लिए तैयार हुए हैं, क्योंकि इस देश में 18 करोड़, 20 करोड़ लोग 2030 तक बूढ़े हो जाने वाले हैं, उसके लिए सरकार को कुछ न कुछ सोचने की आवश्यकता है। इस तरह से जो हम लगातार आते हैं, जिस तरह से भाषण दे देते हैं - "पल दो पल का साथ है हमारा तुम्हारा, आज यहां हैं कल चले जाएंगे, कल हम रहे या न रहें।" इस तरह की जो केजुअल बातें होती रहती हैं, भाषण होते रहते हैं, चीजें होती रहती हैं। हम आश्वासन देते रहते हैं, उसकी पूर्ति का कोई साधन नहीं हो पाता है। मुझे लगता है कि आज वह समय आ गया है, नरेन्द्र सिंह तोमर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आप भी गांव गरीब किसान मजदूर की बात कर रहे हैं। मैं उन 90 परसैंट लोगों की बात कर रहा हूं। चूंकि नरेन्द्र मोदी साहब भी गांव से आए हैं, चाय बेचते हुए इस देश के प्रधान मंत्री हो गए हैं। पहली बार लोगों को लगा है कि एक गरीब आदमी इस देश का प्रधान मंत्री बना है। एक गरीब आदमी गरीबों की बात सोच रहा है। हमने इस देश में जो आशाएं जगाई हैं, उन आशाओं के लिए सभी 90 परसैंट लोगों के लिए यह बिल था।

आपसे आज भी मेरा आग्रह होगा कि यदि आप मेरी बात मान सकते हैं या सरकार इस बिल को अपने सरकारी बिल के तौर पर ले आए तो मुझे खुशी होगी और मुझे लगेगा कि एक सांसद होने के नाते हमने अपने फर्ज को पूरा किया। हम सभी भाइयों ने कम से कम 16वीं लोक सभा में इतना बड़ा काम किया। यदि आप लाएंगे तो मैं अपने बिल को वापस लेता हूं, इस विश्वास के साथ, कि कल को आप इस पूरे बिल को सरकारी बिल के तौर पर लाएंगे और इस देश में गांव-गरीब-किसान और मजदूर में एक नई रोशनी का सूत्रपात करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ जयहिन्द, जयभारत।

08.08.2014
[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): अपने विधेयक को दृढता से रखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि देश में असंगठित और निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों सहित सभी पेंशनभोगियों को गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन के भुगतान और उससे संसक्त मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, मैं विधेयक को वापस लेता हूँ।

(दो) केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद विधेयक, 2014

माननीय सभापति : सदन अब चर्चा के लिए एजेंडा के अगले मद पर विचार करेगा। इससे पहले कि मैं डॉ. रमेश पोखरियाल को उनके विधेयक, अर्थात् केंद्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद विधेयक, 2014 पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश करने के लिए बुलाऊं, इस विधेयक पर चर्चा के लिए सदन को समय आवंटित करना होगा। यदि सभा सहमत हो तो विधेयक पर चर्चा के लिए दो घंटे आवंटित किए जा सकते हैं।

कई माननीय सदस्य: जी हां,महोदय ।

माननीय सभापति: अत:, इस विधेयक पर चर्चा के लिए दो घंटे आवंटित किए जाते हैं।

08.08.2014
[हिन्दी]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं -

"कि केन्द्रीय हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पर्वतीय राज्यों के संतुलित एवं चहुंमुखी विकास हेतु विकास योजनाएं और स्कीमें तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद् नामक एक परिषद् की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

आदरणीय सभापति जी, वैसे तो हिमालयी राज्यों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाये जाने की एक लंबी चर्चा इस सदन में हुई है। इस पर 15 राज्यों के 17-18 माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जो हिमालयी विकास परिषद राज्य का है, जब तक सरकार इसे तय करती है कि वह अलग मंत्रालय का गठन करें तब तक कम से कम एक ऐसी परिषद होनी चाहिए, जो हिमालयी राज्यों की नीति का निर्धारण करे, जो केन्द्र और राज्यों के बीच अन्यंत समन्वय का कार्य करे। क्योंकि वहां की जो नीति हैं, वे बिल्कुल भिन्न नीति होंगी, चाहे वह वन नीति हो, चाहे वह कृषि नीति हो, चाहे वह औद्योगिक नीति हो, चाहे वह खनन की नीति हो, चाहे खनिज की नीति हो, चाहे वह शिक्षा की नीति हो, चाहे वह पर्यटन की नीति हो।

महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे की यह पूरी हिमालयी बेल्ट जो 2,500 किलोमीटर परिक्षेत्र सीमा पर लगी है, इसकी आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, सब प्रकार की अभिन्न स्थितियां हैं। यह देश की सामरिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, पर्यावर्णिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, हर दृष्टि से जिस छोर तक भी विचार किया जाये, उस छोर तक यह क्षेत्र इस देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वह क्षेत्र है, जो जीवन देता है। यह जीवन देने वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र को धरती का स्वर्ग कहते हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि पूरी दुनिया को इस धरती के स्वर्ग में आमंत्रित कर सकते हैं। यहाँ इस

क्षेत्र में सैकड़ों स्विट्जरलैंड बसे हुए हैं, उन क्षेत्रों में समाये हुए हैं। चाहे पर्यटन की नीति का विषय हो, चाहे वन नीति का विषय हो, क्योंकि वन प्राण हैं और मैं समझता हूं कि यह पूरा क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से पूरी दुनिया की पाठशाला है। साठ प्रतिशत से भी अधिक वन क्षेत्र इस हिमालय की बेल्ट में हैं। वे जहां ऑक्सीजन देते हैं, प्राण वायु देते हैं, वहां हिमालय से निकलने वाली ये जल धाराएं पूरे एशिया को पानी देती हैं, जीवन देती हैं, तो क्या वहां की जल नीति अलग नहीं होनी चाहिए? वहां की जल नीति अलग होनी चाहिए, वहां की वन नीति अलग होनी चाहिए। वर्तमान में यह क्या हो रहा है? जो वन नीति बन रही है, वह पूरे देश की बन रही है, जो जल नीति बन रही है, वह पूरे देश की बन रही है।

हमें मालूम है कि वह बिल्कुल अलग क्षेत्र है। उसकी भौगोलिक और सामरिक चुनौतियां पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हजारों मेगावॉट बिजली को पैदा करने वाला क्षेत्र आज भी अंधेरे की गुमनामी में खोया हुआ है। हजारों मेगावॉट की क्षमता है, मैं सोचता हूं कि असम से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर को देखा जाए तो ये हजारों मेगावॉट बिजली पैदा करते हैं और हजारों जल विद्युत परियोजनाएं अभी भविष्य की कोख में हैं। ऐसे क्षेत्र के लिए अलग से एक ऊर्जा की नीति होनी चाहिए। कम से कम जो ऊर्जा देता है, वह अंधेरे में तो न भटके। लेकिन आज स्थिति यह है कि वहां के गांव अंधेरे में हैं।

जल के संबंध में कहना चाहता हूं कि जो एशिया को पानी देता है, उसके गांव आज भी प्यासे हैं। तीन-चार-पांच किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए वे विवश होते हैं। महिलाओं का आधा समय लकड़ी और पानी लाने में चला जाता है। वन अधिनियम, 1980 और वन जन्तु संरक्षण अधिनियम, दोनों अधिनियम नियमों के कारण अगर देखा जाए तो जो वहां परिस्थितियां हैं, चाहे वह जड़ी-बूटी का व्यवसाय करने वाले लोग थे, चाहे वह लकड़ी पर आधारित काम करने के व्यवसाय में थे, आज उनके गांव उजड़ रहे हैं।

08.08.2014

<u>सायं 6.00 बजे</u>

जड़ी-बूटी तस्करी हो कर चीन में जा रहा है। तस्कर आज भी सक्रिय हैं। लेकिन मेरी कीड़ा-जड़ी और संजीवनी बूटियां जो असाध्य रोगों को भी साधने की हिम्मत रखते हैं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

माननीय सदस्यगण, अभी 6 बजे हैं और 'शून्यकाल' शुरू करने के लिए हम सभा का समय आधा घंटा बढ़ा सकते हैं।

08.08.2014

माननीय सभापति: अब सभा 'शून्यकाल' पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने सभा में शून्य काल के दौरान अविलंबनीय लोक महत्व का मामला उठाने का अवसर दिया है। [हिन्दी] केन्द्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र, धनबाद के चार अंचलों में किसी भी प्रकार के नए उद्योग लगाने या फिर पुराने उद्योगों में उत्पादन विस्तार एवं नई मशीनों की स्थापना पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह धनबाद जिला के उद्यमियों और उसमें कार्यरत कामगारों के लिए बहुत दुःख का विषय है। इसी उद्योग से सभी की जीविका चलती है तथा परिवार का भरण-पोषण होता है। धनबाद जिला के अंचलों में बंद पड़े उद्योगों के कारण कामगारों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय और दुःखद हो चुकी है। मेरे संसदीय क्षेत्र धनबाद में किसी भी प्रकार के नए उद्योग लगाने या पुराने उद्योगों में उत्पादन विस्तार एवं नई मशीनों की स्थापना पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध को हटाए जाने के लिए, मैं केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र धनबाद के सभी उद्यमियों और कामगारों को राहत और रोजगार मिल सके।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं दो दिन पहले इस सदन में सुदूर पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाले अपने लोगों के घर में अंधेरे को मिटाने के लिए जब बात कर रहा था तो मेरे सामने बैठे लोग अपनी महत्वकांक्षा को लेकर इतनी जोर से शोर मचा रहे थे कि मुझे इस सदन में इतनी ऊंची आवाज में बोलना पड़ा जो शायद सदन की मर्यादा के खिलाफ था। मैं इस सदन और आसन दोनों से क्षमा चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, छोटे शहरों और मध्यम शहरों के ढांचागत परियोजना के विकास के लिए वर्ष 2005 में भारत की सरकार ने एक परियोजना आरंभ की थी, उस योजना के माध्यम से छोटे-छोटे शहरों में सीवर और पेय जल की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया था। जोधपुर शहर, जहां से मैं चुन कर आया हूं, उस शहर में भी सीवरेज की तंत्र को सुधारने के लिए इस परियोजना के तहत 607 करोड़ रुपए का, राजस्थान

की सरकार ने अपनी तरफ से जो वहां समिति बनी हुई है, उस वैधानिक समिति के माध्यम से केन्द्र की सरकार को नवम्बर-2013 में एक परियोजना बना कर प्रेषित की थी। जिस परियोजना को दिसम्बर में भारत की सरकार ने अनुमोदित कर दिया था और उस परियोजना में, क्योंकि इस योजना में 80 प्रतिशत अनुदान केन्द्र की सरकार देती है, 10 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार को देना होता है और शेष बचा हुआ 10 प्रतिशत हिस्सा, स्थानीय निकाय को अपने माध्यम से जुटाना होता है, जोधपुर का स्थानीय निकाय अपने स्तर पर अपने फंड का एलोकेशन कर चुका है। राज्य की सरकार ने भी अपना फंड दे दिया है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी मांग क्या है?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : केन्द्र की सरकार का जो स्वीकृत पैसा है, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि केन्द्र की सरकार की जो हिस्सा राशि है उसके प्रथम चरण का 184 करोड़ रुपया स्वीकृत हो चुका है, वह शीघ्र दिलाया जाए ताकि मेरे शहर का सीवर तंत्र और शहर का जो वेस्ट वाटर निकास का जो तंत्र है, वह ठीक किया जा सके।

भारत सरकार की भावना है कि निर्मल भारत का जो अभियान चलाया गया है उस भावना के अनुरूप देश के छोटे-छोटे शहरों में काम हो सके। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी द्वारा शून्य काल में उठाए गए विषय के साथ श्री पी.पी.चौधरी अपने-आप को संबद्ध करते हैं।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उन सैकड़ों गांवों की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं जो सीमाओं पर हैं और जहां से तेजी से लगातार पलायन हो रहा है। चिन्ता का विषय यह है कि जहां पलायन होगा, राष्ट्र के प्रहरी की तरह सीमाओं पर बसे गांव हैं। यह राष्ट्र के लिए संकट का विषय होगा। उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो भेड़ पालन करते थे, उनकी आर्थिकी धीरे-धीरे कमजोर होने के कारण सक्षम लोग पलायन कर गए और जिन लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, वे पलायन करने पर मजबूर हैं। जो ऊनी भेड़ पालन, बकरी पालन होता था, जो भी काम कर रहे होंगे, चाहे वन अधिनियम, चाहे

सरकार की खराब नीतियां, वह पूरा क्षेत्र खाली हो रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे पारंपरिक कुटीर उद्योग खत्म हो रहे हैं। उन्हें संरक्षित करना चाहिए। उन्हें जड़ी-बूटी से जोड़ना चाहिए। कीड़ा जड़ी जो उस क्षेत्र में मिलती है, वह 6 से 8 लाख रुपये किलो है। सरकार विधिवत तरीके से संजीवनी और कीड़ा जड़ी को उन लोगों के साथ जोड़कर उसका कृषिकरण करते हुए उनकी आर्थिकी को मजबूत करे। इससे दोनों काम होंगे, वे मजबूत होंगे और सीमाओं की रक्षा भी होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि चाहे नेपाल का बार्डर हो या तिब्बत-भारत का बार्डर हो, वर्ष 2004 में पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चीन के प्रधान मंत्री से समझौता किया था और वर्ष 2006 में नाथूला दर्रे को व्यापार के लिए खोल दिया था। मैं यह भी मांग करना चाहता हूं कि इन सीमावर्ती क्षेत्रों से यातायात और व्यापार को खोला जाना चाहिए ताकि वे देश की प्रगति में अपना हिस्सा बखूबी निभा सकें और पलायन से बच सकें।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सभापति महोदय, यह मेरा सौभाग्य है कि आज आप यहां बैठे हैं। जब मैंने पहली बार शपथ ग्रहण की थी, उस वक्त भी आप सभापति के रूप में यहां बैठे थे। मुझे लगता है कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके सामने जीरो आवर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। पीने के पानी का राष्ट्रीय ग्रामीण प्रोग्राम भारत के गांवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रोग्राम में अलग नियम, कैटेगरीज, क्राइटेरिया हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए 60 प्रतिशत का क्राइटेरिया है। केन्द्र सरकार राज्यों को जो राशि देती है, वह क्राइटेरिया उसमें रिफ्लैक्ट होता है। ग्रामीण क्षेत्र के अलावा और भी क्राइटेरिया हैं जैसे शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए अलग क्राइटेरिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में पीने का पानी बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। असम और वेस्ट बंगाल में ऐसे बहुत से निजी चाय के बागान हैं जहां लाखों श्रमिक काम करते हैं। असम में लगभग साढ़े तीन लाख और वेस्ट बंगाल में लगभग दस लाख चाय बागान श्रमिक हैं। इन चाय बागान श्रमिकों की मूल समस्या पीने का पानी है। जब चुनाव आया, मोदी चाय का नारा लगा था तब असम के चाय बागान के बहुत से श्रमिकों ने इस सरकार को अपना समर्थन दिया। अब नारे का समय खत्म और काम करने का समय शुरू होता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि चाय बागान वर्कर्स के लिए केन्द्र सरकार की स्कीम्स जैसे नैशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, नैशनल रूरल हैल्थ मिशन और मनरेगा में एक स्पेशल क्राइटीरिया बनाया जाये। इससे चाय बागान श्रमिकों के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आयेगा। भारत के स्वाधीन होने के 67 वर्षों बाद भी ये लोग बहुत ही दयनीय हालत में रहते हैं। उनकी दशा देखकर हम सब की आंखें भर आती हैं। इसलिए हमें उनकी मूल समस्या पीने के पानी पर काम करना चाहिए और एक स्पेशल क्राइटीरिया बनाना चाहिए। यह मेरी आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कुमारी सुष्मिता देव और श्री राधे श्याम विश्वास को श्री गौरव गोगोई द्वारा उठाए गए मामले से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति है।

श्री राधेश्याम बिस्वास (करीमगंज): माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लुमडिंग से बदरपुर तक गेज परिवर्तन के लिए प्रस्तावित मेगा ब्लॉक 1अक्टूबर 2014 से शुरू होगा। इसलिए, आवश्यक वस्तुओं के वाहक सहित सभी प्रकार के यातायात के लिए एकमात्र विकल्प बदरपुर से सोनापुर होते हुए जोवाई और बदरपुर से चुराइबाड़ी बरास्ता करीमगंज एनएच 8 से होगा। इससे इस क्षतिग्रस्त राजमार्ग पर यातायात का भारी दबाव पड़ेगा जिससे उस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी।

पहले विभाग द्वारा यह कहा गया था कि लुमडिंग-सिलचर खंड का गेज परिवर्तन मार्च 2014 तक पूरा हो जाएगा, लेकिन सामयिक प्रसंग नाम के एक समाचार पत्र में यह माननीय रेल मंत्री के संदर्भ में प्रकाशित किया गया था कि गेज परिवर्तन मार्च 2016 तक पूरा हो जाएगा। इससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई क्योंकि इस राष्ट्रीय परियोजना में पहले ही 16 साल की देरी हो चुकी है और इसमें और देरी से असुविधा होगी।

इन परिस्थितियों में मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि मेगा ब्लॉक को शुरू किया जाए लेकिन उससे पहले सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि यह कब पूरा होगा। अगर इसमें देरी होती है तो क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करानी होगी या अधूरी सड़क को पूरा करना होगा। अन्यथा, असम की बराक घाटी और त्रिपुरा, मिजोरम

और मणिपुर जैसे अन्य राज्यों के लोगों को गंभीर संचार समस्या का सामना करना पड़ेगा और भोजन संकट का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, इससे यह क्षेत्र ठप हो जाएगा और इन क्षेत्रों के लोग देश के बाकी हिस्सों से कटे रहेंगे।

माननीय सभापति: कुमारी सुष्मिता देव और श्री गौरव गोगोई को श्री राधेश्याम विश्वास द्वारा उठाए गए मामले से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति है।

डॉ. के. गोपाल (नागापट्टिनम): सभापति महोदय, धन्यवाद। यह विषय मेरे निर्वाचन क्षेत्र नागपट्टिनम में लंबित रेलवे परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने की आवश्यकता के संबंध में है। तिरुवरुर से कराईकुडी तक एक प्रमुख रेलवे लाइन है। वर्ष 2006 में ब्रॉडगेज परिवर्तन के लिए ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। वर्ष 2006 तक मीटर गेज ट्रेनें सफलतापूर्वक चल रही थीं। इसके बाद यह मार्ग ब्रॉड गेज परिवर्तन के अंतर्गत आ गया। वर्ष 2006 के बाद निविदा मंगाये गए। हर साल संस्वीकृत राशि 10 करोड़ रुपये से कम है। इस राशि के कारण, कार्य निष्पादन बहुत धीमा है।

अब कराईकुडी से तिरुवरूर तक काम शुरू होना है। मेरा आग्रह है कि आमान परिवर्तन की प्रक्रिया तिरुवरुर से ही होनी चाहिए। इसी तरह, तिरुथुराईपुंडी से वेदारण्यम लाइन के पास अगस्त्यमपल्ली तक आमान परिवर्तन पिछले तीस वर्षों से चल रहा है। उन्होंने केवल रेलवे लाइन के किनारे पुलियों का काम पूरा किया है।

मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूँ कि अगस्त्यमपल्ली से तिरुथुराईपुंडी में आमान परिवर्तन का कार्य तुरंत शुरू किया जाए क्योंकि इससे हमारे राज्य तमिलनाडु में नमक उत्पादन में जो दूसरे स्थान पर है को मदद मिलेगी। इसलिए, आमान परिवर्तन तुरंत होना चाहिए। लंबी दूरी की ट्रेनों से लाइन के आसपास रहने वाले लोगों की सुविधा मिलनी चाहिए, जिन्हें 720 मील से अधिक की यात्रा करनी होती है।

एक और लंबे समय से लंबित कार्य अक्कराईपट्टी क्षेत्र के पास नागपट्टिनम और कराईकल लाइन पर लेवल क्रॉसिंग लेवल 48 पर है। अक्कराईपेट्टई क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक समुद्री-खाद्य निर्यात क्षेत्र है। निर्यात

प्रक्रिया लगातार 24 x 7 चालू है। गेट लगभग बंद है। इसलिए, वैन और लॉरी दोनों तरफ लंबी कतारों में फंसी रहती हैं। ... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति : आपको शून्यकाल में केवल एक ही मुद्दा उठाना है, इतने सारे मुद्दे नहीं उठाने हैं। आपकी मांग क्या है?

डॉ. के. गोपाल : लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने ओवर ब्रिज बनाने पर सहमति जतायी है। केंद्र सरकार को राशि स्वीकृत करनी चाहिए और ओवर ब्रिज का काम जल्द पूरा करने की अनुमति भी देनी चाहिए।

श्री तारिक हमीद कर्रा (श्रीनगर): सभापति महोदय, 'शून्य काल' का लाभ उठाते हुए, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य के हजारों गरीब छात्रों के विरूद्ध उत्पन्न की गई एक बहुत ही गंभीर स्थिति को उजागर करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत देश के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले लगभग 5000 ऐसे गरीब छात्रों के लिए स्वीकृत शुल्क राशि को रोकने के मंत्रालय द्वारा पारित एकतरफा और मनमाने आदेश ने उनके करियर को खतरे में डाल दिया है।

महोदय, आपको याद होगा कि वर्ष 2010 घाटी के युवाओं के बीच सबसे बदतर विप्लव का साक्षी बना जबकि राज्य सरकार ने 126 निहत्थे युवा लड़कों को बेरहमी से गोलियों से भूनने में संकोच नहीं किया था। और इसके कारणों और वजहों का मूल्यांकन करने और उनका पता लगाने के लिए, 18 अगस्त, 2010 को तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जिसने गरीब छात्रों को देश के विभिन्न कॉलेजों में व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रदान करके देश के भीतर नए शैक्षणिक संस्थान खोलने की सिफारिश की थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया।

सभापति महोदय, इस योजना का उद्देश्य कश्मीर के संकटग्रस्त क्षेत्रों में गरीब परिवारों से संबंधित छात्रों को शिक्षण शुल्क, छात्रावास शुल्क, पुस्तकों की लागत और अन्य आकस्मिक शुल्क प्रदान करना था, जो

कक्षा-12 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सरकारी कॉलेजों और संस्थानों और राज्य के बाहर अन्य चुनिंदा संस्थानों में प्रवेश सुनिश्चित करते हैं।

इस योजना को वर्ष 2011 में बहुत धूमधाम से शुरू किया गया था। पहले वर्ष में केवल 38 छात्रों ने लाभ उठाया। लेकिन वर्ष 2012-13 में अधिकतम सीमा 5000 हो गई। फीस राशि की इस एकतरफा रोक के कारण काफी संख्या में छात्रों को घर लौटना पड़ा। अन्य मामलों में, माता-पिता अपने बच्चों के करियर को बचाने के प्रयास में उच्च ब्याज दरों पर ऋण के लिए आवेदन कर रहे हैं। उनमें से बहुतों ने अपनी पैतृक संपत्ति भी बेच दी है।

ऐसे में, यह मांग की जाती है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय निर्णय ले और निर्धारित नीति के अनुसार ऐसे छात्रों के लिए रोकी गई फीस जारी करे ताकि हजारों गरीब छात्रों के करियर को बचाया जा सके।

श्री पी. नागराजन (कोयम्बटूर): महोदय , हमारी नेता *पुरात्ची थलावी अम्मा* के आशीर्वाद से, मैं यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठाता हूं।

महोदय, कोयम्बटूर मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। कोयम्बटूर देश का एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र है और यहां आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अकेले कोयम्बटूर जंक्शन से एक वर्ष में 1095 मिलियन रुपये की आय होती है जो दक्षिणी रेलवे में दूसरा सबसे अधिक अर्जित राजस्व है।

महोदय, मेरे कोयम्बटूर निर्वाचन-क्षेत्र की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है और रेल बजट में इस क्षेत्र के लिए एक भी परियोजना की घोषणा नहीं की गई है।

पूरे देश से बहुत सारे लोग अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कोयम्बटूर आते हैं और वर्तमान में कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन पर सुविधा यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोयम्बटूर शहर के विकास के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं/ट्रेनें शुरू की जा सकती हैं। इसलिए, मैं इस सभा के माध्यम से

08.08.2014

माननीय रेल मंत्री से निम्नलिखित परियोजनाओं को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का अनुरोध करता हूं:

सबसे पहले तो यह कोयंबटूर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म का विस्तार है। महोदय, कोयम्बटूर जंक्शन के निकटवर्ती एन.टी.सी. मिल को कुछ समस्याओं के कारण बंद कर दिया गया है और सभी मशीनरी और उपकरणों का निपटान कर दिया गया है। अब, भूमि खाली और अप्रयुक्त पड़ी है। इसलिए, यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए रेलवे द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है।

मेट्टुपालयम से कोयंबटूर के लिए शाम को कोई ट्रेन नहीं है। मेट्टुपालयम और कोयंबटूर के बीच 20:00 बजे से 20:30 बजे के बीच चलने वाली यात्री ट्रेनों के अतिरिक्त परिचालन से मदद मिलेगी। धन्यवाद।

माननीय सभापति: माननीय सदस्यों, मेरे पास कुछ सदस्यों के नाम हैं जो मुद्दे उठाना चाहते हैं। यदि वे सहमत हैं तो मैं उन्हें दो मिनट का समय दूंगा और वे उस समय के भीतर अपनी बात रख सकते हैं। फिर, मैं उन्हें अनुमति देने के लिए सहमत हूं।'

अनेक माननीय सदस्य: ठीक है।

08.08.2014

*[redacted]

*श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय; हम सभी जानते हैं कि यदि हम अपना पिछला इतिहास भूल गए तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। कोई भी राष्ट्र तभी विकसित हो सकता है, समृद्ध हो सकता है जब वह अपने इतिहास के प्रति जागरूक रहे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सही ऐतिहासिक ज्ञान प्रदान करें। हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के अधीन था और लोगों ने विभिन्न तरीकों से औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। ब्रिटिश शासन के विरूद्ध किसी भी विरोध को अंग्रेजी शासकों द्वारा आतंकवाद या उग्रवाद कहा जाता था। आज हम स्वतंत्र हैं। इसलिए अगर आज हम अपने क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को आतंकवादी के रूप में पहचानते हैं, तो यह शर्मनाक होगा। यह उन लोगों के लिए बेहद अपमानजनक होगा जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बहुमूल्य जीवन बलिदान कर दिया।' महोदय, हम पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में देख सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और नई पीढ़ियों को गलत संकेत भेजा जा रहा है। आपने खुदीराम बोस, बाघाजतिन, मास्टरदा सूर्य सेन के बारे में सुना होगा, आज भी खुदीराम बोस के लिए शोक गीत गाया जाता है; लोग इस महान आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दुर्भाग्य से, आठवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में इस क्रांतिकारी को आतंकवादी के रूप में दर्शाया गया है और छात्रों को पश्चिम बंगाल में गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। यह तथ्यों का घोरतम और गलत चित्रण है जो हमारे इतिहास और संस्कृति के लिए खतरा है। अत:, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से राज्य सरकारों से परामर्श करने और छात्रों को सही ऐतिहासिक तथ्य पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का कोई रास्ता निकालने का आग्रह करूंगा। बंगाल के लोग यह जानकर व्यथित हैं कि खुदीराम बोस को आतंकवादी कहा जा रहा है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से इस संबंध में तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

---

* मूलतः बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

08.08.2014
[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र) : सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण लोक महत्व के मामले को उठाने की आपने अनुमति दी है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस बार बिहार सरकार की लापरवाही के कारण स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से वंचित होना पड़ेगा। मैं बताना चाहूंगा कि बिहार से बहुत देर से अनुशंसा भेजी राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए, उसकी समय 15 मई तक थी, लेकिन उन्होंने उसके बहुत बाद में अनुशंसा भेजी। कहा जाता है कि बिहार में सुशासन वाली सरकार है, जो अपने जांबाज पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित करने की फुर्सत नहीं है। देश के अन्य भागों के पुलिसकर्मियों को जब राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, वहीं बिहार के जांबाज पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अच्छे काम किए हैं, वे इस बार राष्ट्रपति पुरस्कार से वंचित रह जाएंगे।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्री से निवेदन है कि उनकी लापरवाही को नेगलेक्ट करते हुए, शिथिल करते हुए, वे आपके जांबाज अधिकारी हैं, देश के जांबाज अधिकारी हैं, उनका मनोबल टूट रहा है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए समय-सीमा को समाप्त करते हुए बिहार के पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को राष्ट्रपति पुरस्कार देने की सहमति प्रदान करें। अभी समय है, 15 अगस्त को पुरस्कार दिए जाते हैं।

महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं निवेदन करूंगा कि केन्द्र सरकार इस पर ध्यान दे, बिहार के पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित करने के लिए, राष्ट्रपति पुरस्कार देने के लिए अपनी सहमति प्रदान करें।

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : महोदय, मैं शून्यकाल में श्री राम कृपाल यादव जी द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

08.08.2014

प्रो.चिंतामणि मालवीय (उज्जैन) : सभापति महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। उज्जैन मेरा संसदीय क्षेत्र है, जो कि मध्य प्रदेश में है। वह सोयाबीन का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। लेकिन इस बार उज्जैन के किसानों पर आपदा आई है और यह प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानवीय लालच से पैदा हुई है। कृषि विभाग विपणन संघ व बीज उत्पादक सहकारी और निजी संस्थाओं की मिलीभगत से किसानों को अमानक बीज वितरित किया गया है। इस कारण उज्जैन के किसानों की 60 प्रतिशत फसल बेकार हो गई है और अंकुरित नहीं हो पाई है। कई किसानों की तो 100 प्रतिशत तक फसल बेकार हो गई है। इन नकली बीजों के चलते उज्जैन का किसान बर्बाद हो गया है। अमानक बीजों का रैकेट केवल उज्जैन जिले और सम्भाग में ही नहीं, बल्कि इंदौर के भी कुछ जिलों में फैला है। इसे लेकर कुछ एफआईआर भी हुई है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि अमानक और नकली बीज से पीड़ित सम्भाग के किसानों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करें। साथ ही एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएं, जो उज्जैन सम्भाग में जाकर जांच करके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि किसानों के अरमानों को कुचलने वाले, लूटने वाले लोगों को सजा मिल सके। इसके अलावा एक प्रभावी कानून भी इस संबंध में बनाया जाए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदय, मैं जिस इलाके से आता हूं, उस मिथिलांचल में मधुबनी और दरभंगा में सुखाड़ से बहुत लोग पीड़ित हैं। एकमात्र वहां सिंचाई का साधन पश्चिमी कोसी नहर है, जिससे सिंचाई करके वे खेती आबाद कर सकते थे। उस पश्चिमी कोसी नहर में साइफन काफी संख्या में टूट गया है, क्योंकि गलत जगह पर सुलिस गेट बना हुआ है। इस कारण खेत तक पानी नहीं जा पाता है। उसके अंदर रेखांकन गलत है इसलिए उस रेखांकन में सुधार किया जाए और सुलिस गेट को सही बनाया जाए, टूटे हुए साइफन की जगह फिर से साइफन बनाया जाए। मधुबनी और दरभंगा की सभी नहरों में भरपूर पानी दिया जाए, जिससे वहां के किसान पानी से लाभ उठा सकें। इसलिए नहरों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, यही हमारी मांग भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री से है और यह भी आग्रह है कि भारत सरकार वहां एक विशेष टीम भेजकर पश्चिमी कोसी नहर के सभी कामों की फिर से समीक्षा करके पुनर्प्राक्कलन बनाया जाए।

08.08.2014

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : सभापति जी, मेरा संसदीय क्षेत्र सीधी जो विन्ध्या में आता है, उसके अंतर्गत सिंगरौली औद्योगिक जगत भी है, जिसे मिनी कोल केपिटल कहते हैं। औद्योगिक नगरी होने के नाते यहां देश के कई राज्यों से लोग रोजगार के लिए आते हैं और आसपास के जिलों में भी कल कारखाने बड़े पैमाने पर हैं। वहां की आबादी भी पर्याप्त है। जनसंख्या के हिसाब से इस क्षेत्र के स्थाई और अस्थाई लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं हैं, इनका अभाव है। यहां पर आसपास कोई अच्छा अस्पताल नहीं होने के कारण जरूरतमंदों को 300 किलोमीटर दूर मामूली और गम्भीर इलाज के लिए जाना पड़ता है। इन सभी जगहों के केन्द्रीय बिंदु में सीधी लोक सभा क्षेत्र आता है। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि यहां कम से कम 1,000 बैड का आधुनिक अस्पताल एम्स की तर्ज पर निर्माण कराने का जन हित में शीघ्र निर्णय लें।

श्री ओम बिरला (कोटा) : सभापति जी, राजस्थान के हड़ौती सम्भाग में भारी बाढ़ के कारण अनुमानित 15 से 20 लोगों की दुर्घटना से मृत्यु होने का समाचार आया है। इतना ही नहीं, सारे आवागमन के रास्ते बंद हो चुके हैं। लोगों को मूलभूत जरूरतें जैसे सब्जी, दूध और खाने की अन्य चीजों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। रेल मार्ग और सड़क मार्ग भी बंद हो चुका है। खेत पानी से लबालब भरे हुए हैं। लगातार बारिश आने से बाढ़ की खराब हालत है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के तहत जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, जिनके मकान गिर गए हैं और खेत बर्बाद हो गए हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सम्भाग में तीन-तीन फीट पानी आज भी भरा हुआ है, लाइट बंद है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। ऐसी हालत वहां खराब हो रही है। इसलिए तुंरत ही केन्द्र और राज्य सरकार हालात को सुधारें और राष्ट्रीय आपदा कोष के तहत उन्हें सहायता भी दें तथा डिजास्टर टीम वहां पहुंचकर बाढ़ पीड़ित लोगों को बचाने की व्यवस्था भी करें ।

माननीय सभा: जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, उन्हें समायोजित करने के लिए सभा का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : सभापति महोदय, जब हम किसी देश की समृद्धि एवं विकास का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले वहां के नागरिकों द्वारा प्राप्त की जाने वाली शिक्षा तथा उस देश की शिक्षा व्यवस्था पर

अवश्य ध्यान केन्द्रित करते हैं। निष्कर्ष यही निकलता है कि जहां जितना ज्ञान, वहां उतना विकास। स्वतंत्र भारत के 67 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारा देश विकास की उस ऊंचाई को नहीं पा सका, जिसकी हम सब को आशा थी। इसका मूल कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था रही है। आज भी हमारे समाज की महिलाओं के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। जनसंख्या तो पचास प्रतिशत है, लेकिन सामाजिक दायित्व शत प्रतिशत है, जो बगैर महिला सशक्तिकरण के संभव नहीं है। मेरा कहना इतनी ही है कि महिलाओं को अधिक से अ्धिक शिक्षा मिलनी चाहिए। मेरे लोक सभा क्षेत्र में पांच विधान सभाएं हैं जहां महिलाओं को स्कूल मिलने चाहिए, महाविद्यालय मिलने चाहिए, वह उनसे वंचित हैं।

हमारे लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख में चार तहसीलें हैं, मिश्रिख, संडीला, बिलग्राम, बिल्हौर लेकिन किसी भी तहसील में महिला महाविद्यालय नहीं है न ही कोई केन्द्रीय विद्यालय है। शिक्षा की इस अति गंभीर समस्या को सदन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहती हूं तथा मांग करती हूं कि जनहित में मेरे लोक सभा क्षेत्र में तहसील स्तर पर राजकीय महिला महाविद्यालय तथा केन्द्रीय विद्यालय स्थापित कराए जाएं।

[अनुवाद**]**

श्री करादी सनगन्ना अमरप्पा (कोप्पल): आदरणीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय हित के एक महत्वपूर्ण मामले को उठाने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कोप्पल में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एफ.टी.आर.आई.) की स्थापना के लिए अनुरोध करना चाहता हूं।

भारत कृषि के क्षेत्र में संभावनाओं वाला देश है। भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। गांवों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और संबद्ध सेवाएं हैं। खाद्य सुरक्षा और खाद्य संरक्षा हमारे देश की प्रमुख चिंताओं में से एक है। राजकोषीय वर्ष 2014-15 के बजट में हमने उल्लेखनीय प्रावधान किए हैं। एग्रो-टेक अवसंरचना निधि के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि अलग रखी गई है।

इस संदर्भ में, आपके माध्यम से, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और कृषि मंत्री का ध्यान कर्नाटक के कोप्पल में एक केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एफ.टी.आर.आई.) स्थापित करने की ओर

आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा निर्वाचन-क्षेत्र, कोप्पल चावल, मक्का, कपास, अनार, अंगूर, आम और कई अन्य कृषि उत्पादों का एक बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक में अनार की खेती 14,649 हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है, जिसका वार्षिक उत्पादन 1.46 लाख टन है।

माननीय सभापति: आपकी मांग क्या है?

श्री करादी सनगन्ना अमरप्पा: मेरी मांग कोप्पल में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एफ.टी.आर.आई.) स्थापित करने की है।

कृषि उत्पादन के क्षेत्र में कोप्पल कर्नाटक राज्य के सभी जिलों में दूसरे स्थान पर है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (एटा) : सभापति महोदय, आपने मुझे लोक महत्व के मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सभापति जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र एटा में दो जिले एटा और कासगंज आते हैं। कासगंज में एक स्थान ऐसा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसे शूकर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। करोड़ों लोगों की मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार में से एक अवतार भगवान वराह का इसी क्षेत्र में हुआ था। यहां पर भगवान वराह का बहुत बड़ा मंदिर है। यहां हर वर्ष करोड़ों लोग दर्शन करने आते हैं। यहां एक महीना का मेला लगता है, लेकिन यहां किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है। मेरी आपके माध्यम से यह मांग है कि इस शूकर क्षेत्र को, भगवान वराह के मंदिर को पर्यटन के रूप में मान्यता दी जाए और यहां की जो व्यवस्था है नहाने का घाट है, उसको पूर्ण कराने के लिए, सौंदर्यीकरण कराने के लिए पूरे धन की व्यवस्था की जाए, यही मेरी आपके माध्यम से मांग है। धन्यवाद।

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़चिरोली-चिमुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान महाराष्ट्र में मेरे संसदीय क्षेत्र गढ़चिरोली-चिमुर, जो कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। यह देश का सबसे पिछड़ा, आदिवासी बहुल और आतिनक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, महाराष्ट्र राज्य का गढ़चिरोली-चिमुर क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अविकसित आदिवासी बहुत इलाका है। इस क्षेत्र के कई युवक राष्ट्र की मुख्य धारा से टूटकर समाज विघटक संगठनों से जुड़ कर विकास में बाधा साबित हो रहे हैं।

महोदय, यहां का किसान, व्यापारी, शिक्षित, अशिक्षित, गरीब और अमीर सभी भयभीत हैं और अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नक्सलवाद से प्रभावित इस आदिवासी बहुल एरिया का विकास करके एवं बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध करवा कर समस्याओं का काफी हद तक समाधान हो सकता है।

महोदय, मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में ग्रेनाइट, डोलोमाइट, हीरा, पन्ना, मैगनीज, लोहा, कोयला सहित जल एवं वन के रूप में अपार सम्पदा है। लेकिन फिर भी यह क्षेत्र अति पिछड़ा हुआ है। इसका एक प्रमुख कारण है इस क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क का कम होना। यदि इस क्षेत्र को रेलवे नेटवर्क से जोड़ कर या उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदा के छोटे-बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं तो न केवल इस आदिवासी क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि नक्सल वाद से बुरी तरह प्रभावित इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर भी सुलभ होंगे। मेरी मांग है कि मंजूर वर्शा-गढ़चिरोली रेलवे लाइन एवं नागबीर-चन्द्रपुर की सिंगल लाइन को ब्रॉड गैज में रूपांतरित करके, मंजूरी देकर अगर शुरू किया जाए।

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : सभापति जी, मैं निम्न महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

बिहार के विभिन्न जिलों भागलपुर एवं बक्सर में क्रमशः एनएच 80, एनएच 84 सहित अन्य राष्ट्रीय उच्च पथों की स्थिति जर्जर है। सड़कों की बदहाली के कारण प्रायः प्रतिदिन दुर्घटनाएं घट रही हैं। सैकड़ों घायल तथा दर्जनों लोग मौत के घाट भी उतर चुके हैं। आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा

है। साथ ही भागलपुर, बिहार में एनएच 80 स्थित चम्पानाला पुल टूट जाने एवं कहल गांव के पास भैना नदी पर पुल क्षतिग्रस्त हो जाने तथा अंतर्राज्यीय भागलपुर - देवघर मुख्य मार्ग पर (बैजानी ग्राम के पास) पुल टूट जाने से चारों तरफ से आवागमन पूर्णतः ठप्प हो गया है। लाखों लोगों का जीवन दूभर हो गया है। विशेष रूप से विश्व प्रसिद्ध श्रवणी मेला के अवसर पर काँवरिया मेला में देश-विदेश के लाखों काँवरिया तीर्थ यात्रियों को काफी कष्ट उठाना पड़ रहा है।

बिहार के बक्सर में गंगा पुल एवं राजेन्द्र सेतु मोकामा पुल क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। उत्तर प्रदेश सहित देश के कई पूर्वांचल राज्यों से बड़े वाहनों का आवागमन पूर्णतः बाधित है। फलस्वरूप पटना का गांधी सेतु तथा विक्रमशीला सेतु, भागलपुर पर वाहनों का भार अधिक पड़ जाने से दोनों पुलों की स्थिति भी जर्जर होती जा रही है, जिसके कारण कभी भी बड़ी घटनाएं घट सकती हैं। उक्त जगहों पर सड़कों एवं पुलों के क्षतिग्रस्त होने से यातायात दुर्व्यवस्था के कारण रोजगार एवं व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हैं। खाद्य पदार्थ, फल, सब्जी, दूध आदि शहरों में मुहैया नहीं होने के कारण महंगाई बढ़ गई है। रोजगार एवं व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हैं।

अतएव आपके माध्यम से केंद्रीय सरकार के परिवहन मंत्री से आग्रह है कि बिहार के उपरोक्त जर्जर एनएच सड़कों की मरम्मत तथा सभी क्षतिग्रस्त पुलों के निर्माण व विशेष मरम्मत का कार्य शीघ्र सम्पन्न कराएं। जिससे राज्य के इन क्षेत्रों में अंतर्राज्यीय सड़कों का यातायात स्थिति बहाल एवं सुदृढ़ हो सके।

[अनुवाद]

*श्री के. परसुरमन (तंजावुर): माननीय सभापति महोदय, मैं इस सभा में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। मुझे अखबारों से पता चला कि केंद्र सरकार अगले 20 वर्षों में देश भर के टियर II और टियर III शहरों में 200 कम लागत वाले हवाई अड्डे विकसित करने की योजना बना रही है। सरकार ने परियोजना के पहले चरण में 50 जिलों की पहचान की है। मेरे तंजावुर निर्वाचन-क्षेत्र में एक हवाई अड्डा स्थापित किया जाना चाहिए। इस

* मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

वजह से आसपास के जिलों जैसे शिवगंगा, नागपट्टिनम, तिरुवरुर आदि के लोगों को भी इसका लाभ होगा। मैं इस संबंध में नागरिक उड्डयन मंत्री को पहले ही लिख चुका हूं।' तंजावुर में भारतीय वायु सेना के नियंत्रण में एक हवाई अड्डा है और इस हवाई अड्डे को वाणिज्यिक कनेक्टिविटी के साथ बेहतर बनाया जाना चाहिए। इसलिए मैं तंजावुर में एक कम लागत वाला हवाई अड्डा स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.-67) पर तंजावुर और नागापट्टिनम के बीच भारी यातायात है। तंजावुर-नागापट्टिनम खंड में इस राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने और मजबूत करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। बड़ी संख्या में लोग वेलानकन्नी मंदिर और नागूर दरगाह की तीर्थयात्रा पर जाते हैं। मैंने इस संबंध में राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री को भी लिखा है। इसलिए, मैं इस राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच. 67) के विस्तार और उन्नयन कार्य में तेजी लाने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सतीश कुमार गौतम (अलीगढ़) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहता हूं कि अलीगढ़ जंक्शन रेल गाड़ी आने जाने में जो सुविदा है, वह दो लाइनों से जुड़ा हुआ स्टेशन है। स्टेशन से एक किलोमीटर की दूरी पर महरावल तक तीन लाइनें जुड़ी हुई हैं। माल गोदाम बीच में आने की वजह से तीसरी लाइन से अलीगढ़ जंक्शन नहीं जुड़ पा रहा है इसलिए माल गोदाम को महरावल स्टेशन पर स्थापित कर दिया जाए तो अलीगढ़ तीसरी लाइन से जुड़ जाएगा। इस स्टेशन पर माल गोदाम बनाए जाने के लिए लाइनें बिछाने का कार्य हो चुका है, केवल एक किलोमीटर की लाइन बिछाए जाने का कार्य बाकी है जिस कारण रेलवे स्टेशन को इस निवेश का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस कार्य के पूर्ण होने से लाखों यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, वह नहीं करना पड़ेगा। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अलीगढ़ में माल गोदाम को महरावल स्टेशन तक अतिशीघ्र स्थापित कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

08.08.2014
[अनुवाद]

कुमारी शोभा कारान्दलाजे (उदुपी चिकमगलूर): सभापति महोदय, मैं सार्वजनिक महत्व का एक जरूरी मामला उठा रही हूं।

एंडोसल्फान, जो एक खतरनाक कृषि रसायन कीटनाशक है, ने पिछले पांच दशकों में हजारों भारतीय लोगों को जहर दिया है। कर्नाटक और केरल में, काजू के बागानों में 'टी' मच्छर को नियंत्रित करने के उपाय के रूप में वर्ष 1980 के दशक में एंडोसल्फान का हवाई छिड़काव शुरू हुआ था। लेकिन एंडोसल्फान के उपयोग से हजारों बच्चों और वयस्कों में शारीरिक और मानसिक बीमारियाँ पैदा हो गई हैं।

इस कीटनाशक के लंबे समय तक संपर्क में रहने से सेरेब्रल पाल्सी, कैंसर, शरीर की विकृति, प्रजनन संबंधी विकार, गर्भपात, त्वचा की समस्याएं, बांझपन, मानसिक मंदता और अवसाद जैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकार की बहुत घटनाएं हुई हैं। हमारे देश के लगभग सभी हिस्सों में भोजन, मिट्टी, हवा और शरीर के ऊतकों में घातक कीटनाशक पाया गया है। कर्नाटक और केरल में मानव रक्त और स्तन के दूध में कीटनाशकों का उच्च स्तर पाया गया है।

हाल ही में केरल के कासरगोड में एंडोसल्फान पीड़ित अपने 15 वर्षीय बेटे की हत्या करने के बाद माता-पिता ने आत्महत्या कर ली। अकेले कर्नाटक में 7,000 से अधिक लोग एंडोसल्फान से प्रभावित हुए हैं और कासरगोड में लगभग 10,000 लोग एंडोसल्फान से प्रभावित हुए हैं।

इसलिए, मानवीय आधार पर, 17,000 से अधिक पीड़ितों को केंद्र सरकार से सहारे, सहायता और वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

इसलिए मैं केंद्र सरकार विशेषकर स्वास्थ्य मंत्री से इन पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए एक कोष राशि स्थापित करने, प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने और प्रभावित परिवारों को अंत्योदय राशन कार्ड जारी करने का अनुरोध करूंगी। इसमें आनुवंशिक दोषों की चिकित्सीय जांच की भी आवश्यकता होती है।

08.08.2014
[हिन्दी]

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : माननीय सभापति जी, मेरा संसदीय क्षेत्र दिल्ली से 15 किलोमीटर दूर है। यहां से विकास 1500 किलोमीटर दूर है यानी 'दिये तले अंधेरा' डार्कनेस अंडर द लैम्प'' यहां टूटी हुई सड़कें हैं, सौ साल से ज्यादा पुरानी ट्रेन हैं। यहां पर पैसेंजर ट्रेन चलती हैं। यहां बहुत बेरोजगारी है। यहां कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है इसलिए अपराधी करण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पड़ोस के घर में अगर आग लगती है तो अपने को भी नुकसान होता है, झुलस लगती है। अगर वहां गड़बड़ होती है तो दिल्ली को भी नुकसान होने वाला है, दिल्ली पर बोझ पड़ने वाला है। मैं आपके माध्यम से शहरी विकास मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाई जा रही हैं इसमें से एक स्मार्ट सिटी बागपत और बड़ौत के बीच बनाया जाए। यहां से बागपत 32 किमी. तथा बड़ौत केवल 35 किलोमीटर दूर है। यहां बहुत अच्छा पीने का पानी है, शुद्ध वातावरण है। यहां यमुना का किनारा है। इससे दिल्ली को भी फायदा होगा।

[अनुवाद]

*__श्रीमती आर. वनरोजा (तिरुवन्नमलाई):__ माननीय सभापति महोदय, मैं इस सभा में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूँ। आज़ादी के 67 साल बाद भी, मेरे तिरुवन्नामलाई निर्वाचन-क्षेत्र में एक गाँव सड़क सुविधा से वंचित है। तिरुवन्नमलाई जिले के चेंगम तालुक में अरियाकुंजुर में कोई सड़क संपर्क नहीं है। यह गांव पूरी तरह संपर्क से वंचित है। इस गांव में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। अरियाकुंजुर से 2 कि.मी. की दूरी पर चिन्नाकलथंबडी एक जगह है और दूसरी तरफ 2 कि.मी. की दूरी पर अराट्टावाडी गांव है। इन गाँवों के लिए सड़क सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएं । माननीय मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाईवी अम्मा सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जन प्रतिनिधियों की मांगों के आधार पर पर्याप्त धनराशि प्रदान करती हैं। चूंकि जिस जमीन पर

* मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सड़क बिछायी जानी है, वह जमीन वन विभाग की है, इसलिए सड़क संपर्क उपलब्ध कराने में समस्या आ रही है। विशेषकर अनुसूचित जाति के लोग सड़क सुविधा के बिना प्रभावित होते हैं। मैं इस सभा के माध्यम से आग्रह करती हूँ कि केंद्र सरकार वन विभाग के स्वामित्व वाली भूमि में सड़क सुविधा प्रदान करने की अनुमति प्रदान करे। जम्मनाथुर गाँव चेंगाम शहर से 120 कि.मी. की दूरी पर है। पनरेव और पलागानुर के बीच वन भूमि में 6 किमी. की दूरी तक सड़क बनाकर इसे 33 किमी. तक कम किया जा सकता है। केंद्र सरकार को वन भूमि में सड़क बनाने की अनुमति देनी चाहिए। यह कल्लाथुर, ऊर्कवुंदालुर, पलामारथुर, मेलसिलंबडी और पुलियुरपंचायतों को सड़क संपर्क प्रदान कर सकता है। यदि केंद्र सरकार अनुमति देती है तो माननीय अम्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार इन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण सुनिश्चित करेगी। अतः, मेरा अनुरोध है कि अरियाकुंजुर और चिन्नाकलाथम्बाड़ी, अरियाकुंजुर और अरत्तवाड़ी तथा पनरेव और पालकानूर के बीच वन भूमि में गाँव की सड़कों को बिछाने के लिए केंद्र सरकार को अनुमति देने के लिए आगे आना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सी.आर. चौधरी (नागौर) : परम सम्माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका हृदय से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का समय दिया। मैं नागौर, राजस्थान से आता हूं, नागौर की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

इस जिले की जनसंख्या 32 लाख है और नागौर शहर की पापुलेशन 1.4 लाख है। आजादी के बाद से आज तक वहां हर घर में एक सैनिक मिल जायेगा। लेकिन इसके बावजूद भी वहां कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं खुल पाया। अब एक साल से केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए सिद्धांततः केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। [अनुवाद] राजस्थान सरकार ने केंद्रीय विद्यालय के लिए 15 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है लेकिन अभी तक क्रियान्वयन में नहीं आया है। [हिन्दी] मेरा आपसे अनुरोध है कि जब तक वहां भवन नहीं बने, तब तक राजस्थान सरकार एक स्कूल भवन देने के लिए तैयार है और बाकी वहां सारी सुविधाएं हैं, बच्चे तैयार हैं। लेकिन यहां से एक फॉर्मल आर्डर निकलना है।

इसलिए सभापति महोदय मैं आपके मार्फत केन्द्रीय एचआरडी मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इसी सैशन से इस केन्द्रीय विद्यालय को चालू करें, ताकि बच्चों को और जिले के लोगों को उसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को अपने लोक सभा संसदीय क्षेत्र बुलंदशहर के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। मेरा लोक सभा क्षेत्र बुलंदशहर दिल्ली से मात्र 70 किलोमीटर दूर है और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के अंतर्गत यह एनसीआर का एक पार्ट है। लेकिन यह एनसीआर का पार्ट होते हुए जितना दिल्ली के करीब है, उतना ही यह विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। बुलंदशहर जिला देश का राजधानी दिल्ली के लिए भारी मात्रा में दूध, फल, सब्जियां और अनाज उपलब्ध कराता है। लेकिन विकास के मामले में उतना ही पिछड़ा हुआ है। बुलंदशहर में कोई अच्छे रास्ते नहीं हैं, वहां सारे रास्ते टूटे हुए हैं और कोई भी रेल की सुविधा बुलंदशहर से दिल्ली आने-जाने के लिए नहीं है। जबकि हजारों की संख्या में लोग यहां से आते-जाते हैं। कोई भी विकास कार्य जो एनसीआर के अंतर्गत आता है, वह बुलंदशहर लोक सभा क्षेत्र में नहीं है।

अतः मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है कि जो सारी सुविधाएं एनसीआर रीजन में गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव के लिए दी जा रही हैं, वे सुविधाएं बुलंदशहर के लिए भी दी जाएं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही सोमवार, 11 अगस्त, 2014 के पूर्वाह्न 11 बजे के लिए स्थगित की जाती है।

<u>सायं 6.54 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 11 अगस्त, 2014 / 20 श्रावण, 1936 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

08.08.2014

<u>इंटरनेट</u>

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

08.08.2014

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित